



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2021–22



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2021–22

छत्तीसगढ़ शासन

विषय—सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना		1
विनियोग लेखे का सार		2–17
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट		19–21
विनियोग लेखे		
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (भारित विनियोग)	23–26
	लोक ऋण (भारित विनियोग)	27–28
01	सामान्य प्रशासन	29–33
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	34–36
03	पुलिस	37–41
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	42–44
05	जेल	45–46
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	47–50
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	51–53
08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	54–59
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	60–61
10	वन	62–68
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	69–72
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	73–76
13	कृषि	77–85
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	86–89
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	90–91
16	मछली पालन	92–93
17	सहकारिता	94–95

18	श्रम	96—98
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	99—105
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	106—111
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	112—115
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	116—117
23	जल संसाधन विभाग	118—126
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	127—134
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	135—137
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	138—140
27	स्कूल शिक्षा	141—148
28	राज्य विधान मंडल	149—150
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	151—155
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	156—161
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	162—163
32	जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	164—166
33	आदिम जाति कल्याण	167—169
34	समाज कल्याण	170—172
35	पुनर्वास	173
36	परिवहन	174—176
37	पर्यटन	177
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	178—181
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	182—223
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	224—226
43	खेल और युवा कल्याण	227—229
44	उच्च शिक्षा	230—232

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	233—235
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	236—237
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	238—242
49	अनुसूचित जाति कल्याण	243
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	244
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	245—246
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	247
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	248—250
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	251—258
56	ग्रामोद्योग	259—261
57	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	262—263
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	264—270
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	271
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	272—300
65	विमानन विभाग	301—302
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	303—306
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	307—317
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	318—320
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	321—322
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	323—325
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	326—329
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	330—331
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	332—336
80	त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	337—340
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	341—344
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	345—347
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	348

परिशिष्ट

पृष्ठ संख्या

परिशिष्ट—I	2021–22 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित नहीं किया गया।	351
परिशिष्ट—II	अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियाँ	352–354

प्रस्तावना

वर्ष 2021–22 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में—

मूल	मूल अनुदान या विनियोग का घोतक है।
पूरक	पूरक अनुदान या विनियोग का घोतक है।
पुनर्वित	सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का घोतक है।
प्रभारित	विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2% से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी (मूल एवं अनुपूरक)।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर है, पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

सभी अधिक व्ययों का विधानसभा से नियमितिकरण की आवश्यकता होगी।

- (1) सभी प्रकरणों में जहां अनुदानों में पूर्ण आधिक्य है कुछ राशि प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उप शीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर है, पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

का सार

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत			आधिक्य		
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)			(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

62,15,13,62	00	5,02,68,78	00	00	00
00	88,45,29,39	00	00	00	34,68,92,86 (₹34,68,92,85,832)
2,31,95,92	48,95,80	57,42,48	6,85,20	00	00
28,25,59	00	8,54,91	00	00	00
1,59,28,06	00	1,92,76,64	80,06,50	00	00
44,71,02,57	98,96,16	6,17,98,31	34,78,30	00	00
1,74,30	00	21,70	00	00	00
60,77,49	2,67,88	31,86,62	18,86,83	00	00
1,57,16,64	46,50	38,17,51	5,20	00	00
00	00	10	00	00	00
75,64,88,28	-16,58	00	63,88	5,90,14,15 (₹5,90,14,15,379)	00
87,25	00	00	00	40,84 (₹40,84,191)	00
2,16,83,64	1,48,60	67,89,35	72,50	00	00
65,00,00	00	6,35	00	00	00
8,06,37,95	4,86,25	3,13,55,76	2,31,22,75	00	00
00	00	15,26	00	00	00
7,91,35	00	12,82,65	50,00	00	00
00	00	10	00	00	00
17,16,80,47	13,98,38	2,63,46,26	1,61,12	00	00
4,39,68	00	11,32	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	

11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	2,29,53,55	1,15,40,30
	प्रभारित	7,85	5,00
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय			
	दत्तमत	20,73,24,11	6,03,65,60
	प्रभारित	2,50,00,00	00
13 कृषि			
	दत्तमत	45,92,85,29	11,68,70
	प्रभारित	17,50	00
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय			
	दत्तमत	4,63,94,39	9,88,00
	प्रभारित	20,00	00
15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	दत्तमत	1,24,34,73	42,00,00
16 मछली पालन			
	दत्तमत	79,92,75	2,75,00
	प्रभारित	20	00
17 सहकारिता			
	दत्तमत	2,29,86,90	17,91,52
	प्रभारित	15	00
18 श्रम			
	दत्तमत	2,15,75,45	00
	प्रभारित	20	00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	दत्तमत	32,68,46,74	69,25,60
	प्रभारित	1,45,85	00
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	दत्तमत	3,30,14,92	7,71,72,42
	प्रभारित	16,00	00
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	2,47,85,22	2,99,69,75
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	दत्तमत	13,67,75	00
	प्रभारित	5	00

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
			बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)			(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

1,90,98,19 00	8,13,34 00	38,55,36 7,85	1,07,26,96 5,00	00 00	00 00
20,64,06,56 2,50,00,00	5,07,50,31 00	9,17,55 00	96,15,29 00	00 00	00 00
40,15,66,75 7,97	3,20,44 00	5,77,18,54 9,53	8,48,26 00	00 00	00 00
3,67,62,26 00	1,60,70 00	96,31,13 20,00	8,27,30 00	00 00	00 00
68,25,27	3,74,57	56,09,46	38,25,43	00	00
67,19,99 00	88,95 00	12,72,76 20	1,86,05 00	00 00	00 00
1,85,73,85 00	13,50,00 00	44,13,05 15	4,41,52 00	00 00	00 00
1,67,17,11 00	00 00	48,58,34 20	00 00	00 00	00 00
30,05,46,18 31,32	59,78,89 00	2,63,00,56 1,14,53	9,46,71 00	00 00	00 00
2,23,58,60 1,56	5,48,14,25 00	1,06,56,32 14,44	2,23,58,17 00	00 00	00 00
1,95,57,35	2,08,79,01	52,27,87	90,90,74	00	00
6,01,36 00	00 00	7,66,39 5	00 00	00 00	00 00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	

23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	6,23,42,42	5,19,28,39
प्रभारित	1,10	55,00
24 लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	10,90,63,37	15,37,81,04
प्रभारित	00	20,10,00
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,82,48,90	1,04,16,03
प्रभारित	5,00	00
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	51,14,93	2,75,00
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	51,97,53,71	36,90,20
प्रभारित	30,00	00
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	70,49,30	00
प्रभारित	88,00	00
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	4,87,75,97	10,41,13
प्रभारित	85,05,29	33,50
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	32,10,53,79	9,29,89,50
प्रभारित	19,00	00
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	52,70,80	00
प्रभारित	40	00
32 जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,34,13,20	10,00
प्रभारित	10	00
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	48,79,42,16	5,61,50
प्रभारित	34,00	00

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
			बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)			(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

4,74,32,05	2,32,25,06	1,49,10,37	2,87,03,33	00	00
00	8,89	1,10	46,11	00	00
6,36,62,05	13,98,67,37	4,54,01,32	1,39,13,67	00	00
00	16,66,44	00	3,43,56	00	00
3,11,95,97	26,28,53	70,52,93	77,87,50	00	00
00	00	5,00	00	00	00
40,63,73	3,50	10,51,20	2,71,50	00	00
45,86,47,87	33,10,02	6,11,05,84	3,80,18	00	00
00	00	30,00	00	00	00
45,48,72	00	25,00,58	00	00	00
29,84	00	58,16	00	00	00
3,64,16,17	1,66,39	1,23,59,80	8,74,74	00	00
65,74,26	7,14	19,31,03	26,36	00	00
20,24,40,85	7,83,77,66	11,86,12,94	1,46,11,84	00	00
00	00	19,00	00	00	00
31,45,42	00	21,25,38	00	00	00
00	00	40	00	00	00
2,22,39,24	5,85	11,73,96	4,15	00	00
00	00	10	00	00	00
45,59,66,23	76,71	3,19,75,93	4,84,79	00	00
16,92	00	17,08	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	

34 समाज कल्याण			
दत्तमत	1,28,53,53	3,00,00	
प्रभारित	40	00	
35 पुनर्वास			
दत्तमत	2,12,17	00	
36 परिवहन			
दत्तमत	86,96,85	12,26,20	
प्रभारित	20,50	00	
37 पर्यटन			
दत्तमत	46,05,40	70,00,00	
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय			
दत्तमत	23,74,54,73	57,52,20	
प्रभारित	50	00	
41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना			
दत्तमत	1,68,44,17,38	37,12,00,83	
प्रभारित	10	15,00	
42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
दत्तमत	00	9,60,71,02	
प्रभारित	00	00	
43 खेत और युवा कल्याण			
दत्तमत	70,64,05	1,69,50	
प्रभारित	30	00	
44 उच्च शिक्षा			
दत्तमत	8,01,51,55	6,22,50	
प्रभारित	1,10	00	
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
दत्तमत	79,47,36	3,75,52,22	
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी			
दत्तमत	22,75,00	3,80,00	
	2,23,27	00	

का सार—जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)			(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
97,85,80 00	10,51 00	30,67,73 40	2,89,49 00	00	00	00
1,44,50	00	67,67	00	00	00	00
50,35,24 00	3,00,83 00	36,61,61 20,50	9,25,37 00	00	00	00
46,05,40	57,50,00	00	12,50,00	00	00	00
20,24,51,33 00	44,62,02 00	3,50,03,40 50	12,90,18 00	00	00	00
1,38,84,40,88 00	25,90,37,73 00	29,59,76,50 10	11,21,63,10 15,00	00	00	00
00	5,45,71,28 00	00	4,14,99,74 00	00	00	00
35,35,22 00	1,57,45 00	35,28,83 30	12,05 00	00	00	00
6,31,92,80 00	6,27 00	1,69,58,75 1,10	6,16,23 00	00	00	00
70,09,59	3,20,75,37	9,37,77	54,76,85	00	00	00
9,09,57 2,23,27	00 00	13,65,43 00	3,80,00 00	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	

47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	दत्तमत प्रभारित	3,50,01,30 10	22,60,50 00
49 अनुसूचित जाति कल्याण	दत्तमत	4,94,30	00
50 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	3,84,25	00
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व	दत्तमत	15,97,92	4,50,00
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	दत्तमत	23,34,20	61,98,13
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	2,04,90,00	50,30,00
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	दत्तमत प्रभारित	10,22,84,63 10	33,66,50 00
56 ग्रामोद्योग	दत्तमत	1,11,23,44	6,00,43
57 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	दत्तमत	00	7,00,00
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	दत्तमत	11,10,57,99	20,00
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	दत्तमत	65,00	1,04,00,00
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	दत्तमत प्रभारित	55,15,72,50 10	13,00,66,74 00

का सार—जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)			(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

2,30,59,80	10,11,94	1,19,41,50	12,48,56	00	00
00	00	10	00	00	00

3,29,18	00	1,65,12	00	00	00
---------	----	---------	----	----	----

2,03,10	00	1,81,15	00	00	00
---------	----	---------	----	----	----

7,21,58	4,77,16	8,76,34	00	00	27,16
					(₹ 27,16,000)

21,01,28	61,98,13	2,32,92	00	00	00
----------	----------	---------	----	----	----

2,04,28,75	32,60,00	61,25	17,70,00	00	00
------------	----------	-------	----------	----	----

7,48,66,55	2,67,18	2,74,18,08	30,99,32	00	00
68	00	00	00	58	00
					(₹ 57,868)

90,04,43	1,12,04	21,19,01	4,88,39	00	00
----------	---------	----------	---------	----	----

00	00	00	7,00,00	00	00
----	----	----	---------	----	----

8,80,26,94	00	2,30,31,05	20,00	00	00
------------	----	------------	-------	----	----

20,25	1,03,37,30	44,75	62,70	00	00
-------	------------	-------	-------	----	----

44,89,82,22	11,00,04,78	10,25,90,28	2,00,61,96	00	00
00	00	10	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	

65 विमानन विभाग

दत्तमत	54,41,21	18,06,70
प्रभारित	10	00

66 पिछड़ा वर्ग कल्याण

दत्तमत	2,30,63,70	25,73,00
--------	------------	----------

67 लोक निर्माण कार्य-भवन

दत्तमत	7,08,71,96	7,85,44,68
प्रभारित	86,50	00

68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित
लोक निर्माण कार्य-भवन

दत्तमत	00	95,04,50
--------	----	----------

69 नगरीय प्रशासन एवं विकास
विभाग—नगरीय कल्याण

दत्तमत	11,53,74,32	00
--------	-------------	----

71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं
जैव-प्रौद्योगिकी

दत्तमत	1,20,11,26	1,15,00,00
--------	------------	------------

75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबाड़
से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

दत्तमत	00	6,99,06,00
--------	----	------------

76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों
से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

दत्तमत	00	9,40,15,05
--------	----	------------

79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से
सम्बंधित व्यय

दत्तमत	9,10,02,66	2,19,16,81
प्रभारित	3,20	00

80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं
को वित्तीय सहायता

दत्तमत	26,71,63,63	1,33,00,00
--------	-------------	------------

81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

दत्तमत	18,21,37,20	6,69,06,68
प्रभारित	1,02,45,37	00

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)

49,00,65 00	11,29,68 00	5,40,56 10	6,77,02 00	00	00
1,81,65,65	4,70,80	48,98,05	21,02,20	00	00
5,94,51,37 13,06	3,07,90,34 00	1,14,20,59 73,44	4,77,54,34 00	00	00
00	56,78,92	00	38,25,58	00	00
7,74,38,23	00	3,79,36,09	00	00	00
47,81,99 00	1,00,00,00 1,58,66,93	72,29,27 00	15,00,00 5,40,39,07	00	00
00	8,06,81,32	00	1,33,33,73	00	00
6,72,67,45 00	61,75,75 00	2,37,35,21 3,20	1,57,41,06 00	00	00
25,24,62,27	63,66,81	1,47,01,36	69,33,19	00	00
17,41,68,25 1,02,45,37	6,68,96,68 00	79,68,95 00	10,00 00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	

82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	दत्तमत	2,20,65,47	1,05,00,00
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	दत्तमत	55,38,60	78,10,68
<hr/>			
योग दत्तमत :		8,13,16,27,70	1,63,13,95,82
योग प्रभारित :		72,71,50,45	53,97,55,03
महायोग :		8,85,87,78,15	2,17,11,50,85

का सार-जारी

व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना					
	बचत		आधिक्य			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	(₹ हजार में)	
1,40,13,94	9,36,43	80,51,53	95,63,57	00	00	00
54,86,45	78,10,68	52,15	00	00	00	00
6,95,57,85,80	1,12,11,58,87	1,23,48,56,06	51,02,64,11	5,90,14,15	27,16	
67,36,84,69	88,62,11,86	5,35,07,18	4,36,03	41,42	34,68,92,86	
7,62,94,70,49	2,00,73,70,73	1,28,83,63,24	51,07,00,14	5,90,55,57	34,69,20,02	

विनियोग लेखे का सार-जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :—

अनुदान संख्या और नाम—

अनुभाग

दत्तमत—अनुदान

06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	पूँजीगत

प्रभारित—विनियोग

(..)	लोक ऋण	पूँजीगत
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	राजस्व

वर्ष 2021–22 के दौरान विनियोग लेखे के सार में दर्शाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों से किये गये ₹ 2,00,00 हजार का व्यय तथा वर्ष के दौरान किया गया प्रतिपूरित सम्मिलित है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं, जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2021–22 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है:—

	राजस्व	पूँजीगत		
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
(₹ हजार में)				

विनियोग लेखे के अनुसार

कुल व्यय	6,95,57,85,80	67,36,84,69	1,12,11,58,87	88,62,11,86
----------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

घटाइये—वसूलियों का जोड़	12,84,69,64	00	4,00,38,08	00
-------------------------	--------------------	-----------	-------------------	-----------

वित्त लेखे के विवरण संख्या 11—

में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	6,82,73,16,16	67,36,84,69	1,08,11,20,79	88,62,11,86
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :—

(क) दत्तमत अनुदानः—

राजस्वः— 06

पूंजीगतः— निरंक

(ख) प्रभारित विनियोग :—

राजस्व :—06

पूंजीगतः— लोक ऋण एवं 55

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुईः—

(क) दत्तमत अनुदानः—

(i) राजस्व :—अनुदान संख्या— 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 69, 71, 79 एवं 82

(ii) पूंजीगत :—अनुदान संख्या—01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 79, 80 एवं 82

(ख) प्रभारित विनियोग :—

(i) राजस्वः— अनुदान संख्या— 01, 03, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 47, 64, 65, 67 एवं 79

(ii) पूंजीगतः— अनुदान संख्या— 11, 23, 24, 29, एवं 41

लोक लेखा समिति द्वारा उप शीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ—साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ—साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों, एवं विनियमों के अनुसार लेन देन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्कताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कर्यालयों और छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्कताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग—अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं,

1) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दो अनुदानों और तीन विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि के अतिरिक्त ₹ 4,059.76 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया। वर्ष 2000–01 से 2020–21 तक अधिक संवितरण किए गए ₹ 13,376.63 करोड़ को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद-204 एवं 205 का उल्लंघन है, जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि राज्य के समेकित निधि से राज्य विधान सभा द्वारा विनियोग के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अतिरिक्त कोई भी राशि आहरित नहीं की जायेगी। यह बजटीय प्रणाली तथा वित्तीय नियंत्रण को प्रभावित करती है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितता को प्रोत्साहित करती है।

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[मांग संख्या 06, 51, 55 एवं लोक ऋण का संदर्भ]

'मामले के महत्व' खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांक: 16 दिसम्बर 2022

स्थान: नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुमू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(प्रभारित विनियोग)

कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ हजार में)
----------------	------------------	-----------------------------------

मुख्य शीर्ष –

**2048—ऋण घटाने या उसका परिहार
करने के लिए विनियोजन**

2049—ब्याज अदायगियां

राजस्व:

मूल	64,40,27,40			
पूरक	2,77,55,00	67,17,82,40	62,15,13,62	(−) 5,02,68,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,02,68,78

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 10,540.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 17,215.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 27,755.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
-------	----------------	------------------	----------------------------------

(1) 2049—01—101—2199—नया

बाजार ऋण—

मूल	27,500.00			
पुनर्वि.	(−) 22,658.00	4,842.00	0.00	(−) 4,842.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,658.00 लाख की कमी नया बाजार ऋण के लिए प्रावधान पृथक शीर्ष में किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2049—01—101—7758—उदय योजना के

अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य

विद्युत वितरण कम्पनी

को अनुदान—

मूल	10,000.000			
पुनर्वि.	(−) 7,411.18	2,588.82	7,430.82	+4,842.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,098.62 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,312.56 लाख की कमी नया बाजार ऋण के लिए प्रावधान पृथक शीर्ष में किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 7,411.18 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2049—01—123—4854—केन्द्रीय सरकार की

राष्ट्रीय अल्प बचत

निधि पर ब्याज—

मूल	52,000.00			
पुनर्वि.	(−) 14,775.98	37,224.02	37,224.02	0.00

विनियोग से ₹ 14,775.98 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−)
		(₹ लाख में)	
(4) 2049–01–200–3087—भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
(5) 2049–01–200–3089—भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशागियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज—			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	(-)80.00	0.00	0.00
(6) 2049–01–200–3732—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गए ऋणों पर ब्याज—			
मूल	29,000.00		
पुनर्वि.	(-)8,952.05	20,047.95	20,047.95
(7) 2049–01–305–2624—पुराने ऋणों का प्रबंध—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)948.00	52.00	52.00
(8) 2049–03–104–4033—विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज—			
मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	(-)3,631.82	868.18	868.18
(9) 2049–03–104–4487—सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज—			
मूल	50,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,436.24	47,563.76	47,563.76
(10) 2049–04–101–3707—राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज—			
मूल	12,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,496.74	6,503.26	6,530.26
(11) 2049–04–101–6721–12वें वित्त आयोग की अनुसंशानुसार समोकित ऋणों पर ब्याज—			
मूल	6,192.95		
पुनर्वि.	(-)4,087.11	2,105.84	2,105.84

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(12) 2049—60—701—4192—शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना— (बीमा निधि पर ब्याज)—			
मूल 3,500.00			
पुनर्वि. (-)1,343.48	2,156.52	2,156.52	0.00
(13) 2049—60—701—4198—शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना— (बचत निधि पर ब्याज)—			
मूल 9,000.00			
पुनर्वि. (-)5,292.30	3,707.70	3,707.70	0.00
(14) 2049—60—701—4209—शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज—			
मूल 1,500.00			
पुनर्वि. (-)1,373.92	126.08	126.08	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा विनियोग से क्रमशः ₹ 8,952.05 लाख, ₹ 948.00 लाख, ₹ 3,631.82 लाख, ₹ 2,436.24 लाख, ₹ 5,496.74 लाख, ₹ 4,087.11 लाख, ₹ 1,343.48 लाख, ₹ 5,292.30 लाख एवं ₹ 1,373.92 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जूलाई 2022)। 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (06) से (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2016—17 से 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12), 2011—12 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (13) एवं 2012—13 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 2049—01—101—6466—5.94 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00
(2) 2049—01—101—6467—5.38 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00
(3) 2049—01—101—6468—5.38 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
(4) 2049—01—101—6469—5.32 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025—			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वार्स्टिक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ लाख में)			
(5) 2049-01-101-6470-5.93 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00
(6) 2049-01-131-6467-6471-विशेष आहरण सुविधा— पूरक 50.00 पुनर्वि. 88.94	138.94	138.94	0.00
(7) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचालन सम्बन्धी व्यय— मूल 200.00 पुनर्वि. 747.09	947.09	947.09	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में क्रमशः ₹ 5,940.00 लाख, ₹ 5,380.00 लाख, ₹ 5,350.00 लाख, ₹ 5,320.00 लाख, ₹ 5,930.00 लाख, ₹ 88.94 लाख एवं ₹ 747.09 लाख के आवर्धन बजट प्रावधान के समय प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष –

6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

पूँजीगत

मूल	53,76,36,53			
पुनर्वि.	साकेतिक	53,76,36,53	88,45,29,39	+34,68,92,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				7,47,58,14
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) भारित विनियोग पर हुए ₹ 34,68,92,85,832 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 3,46,892.86 के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 74,758.14 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(1) 6003—105—3731—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण

विकास बैंक की ऋण

निधि से कर्जे—

मूल	87,500.00			
पुनर्वि.	(−)1,015.45	86,484.55	86,484.55	0.00

विनियोग से ₹ 1,015.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 6003—110—637—उपाय तथा

साधन अग्रिम—

मूल	58,188.00			
पुनर्वि.	(−)58,188.00	0.00	0.00	0.00

₹ 58,188.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2007—08 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 6003—110—779—कमियों की पूर्ति

के लिए अग्रिम—

मूल	25,000.00			
पुनर्वि.	(−)25,000.00	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,628.80 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 12,371.20 लाख की कमी अपेक्षानुसार व्यय नहीं किए जाने से ₹ 25,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

लोक ऋण—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 6004—02—101—6718— बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार समेकित ऋण—	मूल 10,500.00 पुनर्वि. (-)1,173.87	9,326.13	9,326.13 0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 1,173.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 6004—09—101—3052—ब्लाक

कर्जे—

मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	------	------	------

₹ 2,000.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

(1) 6003—106—7758—उदय योजनान्तर्गत

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान—

मूल सांकेतिक पुनर्वि. 8,701.20	8,701.20	8,701.20	0.00
-----------------------------------	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 8,701.20 लाख का आवर्धन बजट प्रावधान के समय प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 6003—111—5670—केन्द्रीय सरकार

की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां—

मूल 45,000.00 पुनर्वि. 587.53	45,587.53	45,587.53	0.00
----------------------------------	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 587.53 लाख का आवर्धन बजट प्रावधान के समय प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 6003—112—6471—विशेष आहरण सुविधा

100.00	4,21,751.00	+4,21,651.00
--------	-------------	--------------

आधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट प्रावधान के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 6004—02—101—3052—ब्लाक कर्जे—

मूल 9,300.00 पुनर्वि. 3,339.68	12,639.68	12,639.68	0.00
-----------------------------------	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 3,339.68 लाख का आवर्धन बजट प्रावधान के समय प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

कुल अनुदान या विनियोग	वारतविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	---------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

2013—मंत्री परिषद

2015—निर्वाचन

2051—लोक सेवा आयोग

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2055—पुलिस

2059—लोक निर्माण कार्य

2062—सतर्कता

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	2,65,68,40			
पूरक	23,70,00	2,89,38,40	2,31,95,92	(—)57,42,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,96,689
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित—

मूल	36,70,50			
पूरक	10,00	36,80,50	28,25,59	(—)8,54,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				8,54,29
(31 मार्च 2022)				

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	52,74,00			
पूरक	3,07,00	55,81,00	48,95,80	(—)6,85,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,62,22
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 70.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 2,300.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,370.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का घोतक है।

अनुदान संख्या 01—जारी

(ii) ₹ 5,742.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 5,966.89 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट का कमज़ोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2013—102—3282—मंत्रियों का वेतन—			

मूल	337.00	249.50	248.48	(—)1.02
पुनर्वि.	(—)87.50			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.50 लाख की कमी जिला कोषालयों द्वारा वेतन एवं अन्य भत्ते का भुगतान वेतन मद से किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2015—101—6262—राज्य निर्वाचन

आयोग—				
मूल	2,542.60			
पुनर्वि.	(—)1,482.96	1,059.64	1,059.31	(—)0.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,482.96 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्राप्त नहीं होने, कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा स्थगित किए जाने, नगरीय निकायों, त्रि-स्तरीय सामान्य निर्वाचन एवं पंचायतों के उप निर्वाचन नहीं होने, अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने, दूरभाष की दरें कम होने, निर्वाचन में मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं नवीन भवन में फर्नीचर की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2052—090—4327—सचिवालय—

मूल	7,402.40			
पूरक	370.00			
पुनर्वि.	(—)530.05	7,242.35	7,260.08	+17.73

समर्पण द्वारा ₹ 530.05 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(4) 2052—091—458—आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन

नई दिल्ली का कार्यालय—				
मूल	1,309.60			
पुनर्वि.	(—)329.04	980.56	1,017.81	+37.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 329.04 लाख की कमी मुख्यतः मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं होने, 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के तहत बकाया राशि की अंतिम किश्त का भुगतान नहीं किए जाने, कोरोना महामारी के कारण अतिथियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कम आगमन होने, कम्प्यूटरीकरण किए जाने से लेखन सामाग्री कम खरीदने एवं मरम्मत कार्यों को नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2055—101—4544—सी.आई.डी.

(इकॉनामिक अफेन्सेस)—				
मूल	1,454.00			
पुनर्वि.	(—)603.10	850.90	850.94	+0.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 603.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं व्यय में मितव्ययता अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(6) 2055—101—5461—एन्टी करण

ब्यूरो—				
मूल	1,118.50			
पुनर्वि.	(—)413.98	704.52	705.30	+0.78

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 413.98 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2059—80—001—3541—मुख्य तकनीकी निरीक्षक

का कार्यालय—				
मूल	199.79			
पुनर्वि.	(—)81.46	118.33	118.39	+0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2062—104—5405—लोक आयोग—

मूल	525.65			
पुनर्वि.	(—)180.72	344.93	344.89	(—)0.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.72 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2070—003—5435—प्रशासन अकादमी—

मूल	1,287.12			
पुनर्वि.	(—)752.77	534.35	559.25	+24.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 752.77 लाख की कमी कोरोना महामारी के कारण प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2251—090—4329—सचिवालय—

मूल	2,132.90			
पुनर्वि.	(—)657.28	1,475.62	1,471.71	(—)3.91

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 657.28 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 3451—090—4327—सचिवालय—

मूल	2,130.00			
पुनर्वि.	(—)435.71	1,694.29	1,692.06	(—)2.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 435.71 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 854.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 854.29 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 01—जारी

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (लाख में)
(1) 2012-03-090-4330—सचिवालय—			

मूल	666.51		
पुनर्वि.	(-)195.13	471.38	470.61

(-)0.77

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 195.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा पर कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2012-03-103-9059—घरेलू

कर्मचारी—				
मूल	490.84			
पूरक	10.00			
पुनर्वि.	(-)102.25	398.59	397.61	(-)0.98

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 102.25 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2012-03-108-3609—अन्य व्यय—

मूल	20.16			
पुनर्वि.	(-)17.24	2.92	5.94	+3.02

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 8.00 लाख एवं ₹ 9.24 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण विनियोग में ₹ 17.24 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(4) 2012-03-800-3609—अन्य

व्यय—				
मूल	22.25			
पुनर्वि.	(-)16.87	5.38	5.36	(-)0.02

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 16.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(5) 2051-102-3689—राज्य लोक

सेवा आयोग—				
मूल	2,290.10			
पुनर्वि.	(-)507.60	1,782.50	1,783.66	+1.16

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 507.60 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 307.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 685.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 562.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमज़ोर बजटीय प्रबंधन का घोतक है।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7862—मुख्यमंत्री घोषणाओं
की पूर्तियाँ—

मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)446.84	4,553.16	4,468.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 446.84 लाख की कमी मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त प्रस्तावनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के करण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं

2053—जिला प्रशासन

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2250—अन्य सामाजिक सेवाएं

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

राजस्व:

मूल	3,46,18,16			
पूरक	5,86,54	3,52,04,70	1,59,28,06	(-)1,92,76,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,77,07,47
(31 मार्च 2022)				

पूँजीगत	80,06,50	00	(-)80,06,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			80,00,00
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 450.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 136.54 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 586.54 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 19,276.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 17,707.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई एवं शेष राशि ₹ 1,569.17 लाख का अभ्यर्पण नहीं किया गया। यह प्रचलन कमज़ोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2052—090—6452—मुख्यमंत्री अद्योसंरचना

संधारण एवं उन्नयन

प्राधिकरण—

मूल	32,000.00			
पूरक	400.00			
पुनर्वि.	(-)16,830.95	15,569.05	14,353.99	(-)1,215.06

₹ 1,215.06 लाख के बचत के परिपेक्ष्य में, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान का आवधन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 16,830.95 लाख की कमी माग अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(2) 2052—092—6705—राज्य सूचना

आयोग—

मूल	737.76			
पुनर्वि.	(-)264.60	473.16	472.52	(-)0.64

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 264.60 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत नियंत्रण बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 02—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2070—800—4678—स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय—			
मूल	233.80		
पुनर्वि.	(-)85.82	147.98	147.84
			(-)0.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.82 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2070—800—5079—विशेष जांच आयोग—			
मूल	159.00		
पुनर्वि.	(-)44.45	114.55	114.55
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 44.45 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(5) 2235—60—107—4674—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान—			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)175.12	4.88	2.44
			(-)2.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.12 लाख की कमी जिलाधिशों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2006—07 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2235—60—800—1982—दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता			
	500.00	290.66	(-)209.34
₹ 209.34 लाख के बचत के विरुद्ध कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2250—800—6358—अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण—			
मूल	69.60		
पूरक	186.54	256.14	71.40
			(-)184.74
₹ 184.74 लाख के अंतिम बचत के परिपेक्ष्य में, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 186.54 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2250—800—6368—कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड—			
मूल	299.50		
पुनर्वि.	(-)231.05	68.45	68.45
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं कोरोना महामारी में व्यय कम होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 02—समाप्त

पूँजीगत :

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 80.06 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अमर्पित किया गया।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹लाख में)

4070—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6452—मुख्यमंत्री अद्योसंरचना

संधारण एवं उन्नयन

प्राधिकरण—

मूल 8,000.00

पुनर्वि. (—)8,000.00

0.00

0.00

0.00

₹ 8,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2049—ब्याज अदायगियां

2055—पुलिस

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	50,73,17,86			
पूरक	15,83,02	50,89,00,88	44,71,02,57	(—)6,17,98,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,04,17,61
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित—

मूल	96,00			
पूरक	1,00,00	1,96,00	1,74,30	(—)21,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				21,70
(31 मार्च 2022)				

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	1,30,84,46			
पूरक	2,90,00	1,33,74,46	98,96,16	(—)34,78,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				34,78,30
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 1,483.02 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 100.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,583.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 61,798.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 60,417.61 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का दोतक है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2049—01—200—2629—पुलिस—

मूल	8,800.00			
पुनर्वि.	(—)184.00	8,616.00	8,616.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2055—001—3680—राज्य

मुख्यालय—	कुल मूल	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

पुनर्वि.	9,882.60	8,551.78	8,566.90	+15.12
(—)1,330.82				

अनुदान संख्या 03—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,330.82 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 1,330.82 लाख के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 15.12 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता हेतु अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(3) 2055–001–7012—पुलिस जवाबदेही	प्राधिकरण—			
	मूल	182.92		
	पुनर्वि.	(–)91.32	91.60	91.59
				(–)0.01
	समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.32 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2055–001–7811—डायल				
	100 / 112—			
	मूल	6,700.00		
	पूरक	100.00		
	पुनर्वि.	(–)2,597.30	4,202.70	4,202.70
				0.00
	समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,597.30 लाख की कमी डायल–112 का संचालन सभी जिलों में नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2055–003–195—अन्य पुलिस	प्रशिक्षण शालाएं—			
	मूल	5,680.10		
	पुनर्वि.	(–)933.99	4,746.11	4,729.33
				(–)16.78
	समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 933.99 लाख की कमी मुख्यतः मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2055–101–279—अभियोजन	संचालनालय—			
	मूल	2,988.50		
	पुनर्वि.	(–)667.30	2,321.20	2,319.40
				(–)1.80
	समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 667.30 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010–11 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2055–101–7633—क्राईम एंड क्रिमिनल	ट्रैकिंग नेटवर्क			
	सिस्टम—			
	मूल	300.00		
	पूरक	400.00		
	पुनर्वि.	(–)88.04	611.96	611.96
				0.00
	समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.04 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2055–101–0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—	7933—महिलाओं एवं बच्चों के बचाव के लिए			
	फारेंसिक लेब एवं ट्रेनिंग			
	सेन्टर की स्थापना—			
	मूल	100.00		
	पुनर्वि.	(–)82.92	17.08	17.08
				0.00

अनुदान संख्या 03—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.92 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(9) 2055–104–4492—सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)—	मूल 1,45,967.60 पुनर्वि. (–)7,908.60	1,38,059.00	1,36,771.53	(–)1,287.47
--	---	-------------	-------------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,908.60 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2055–104–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7936—विशेष अधोसंरचना योजना— सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ—	मूल 4,000.00 पुनर्वि. (–)222.09	3,777.91	3,777.91	0.00
--	------------------------------------	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 222.09 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2055–108—5067—विधि चिकित्सा विज्ञान—	मूल 1,436.16 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (–)415.36	1,020.80	1,020.30	(–)0.50
--	---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 415.36 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010–11 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2055–109—4491—सामान्य व्यय— (जिला स्थापना)—	मूल 2,40,854.90 पुनर्वि. (–)28,856.25	2,11,998.65	2,11,384.52	(–)614.13
---	--	-------------	-------------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28,856.25 लाख की कमी मुख्यतः मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2055–109—6717—प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय—	मूल 19,527.50 पूरक 710.00 पुनर्वि. (–)607.26	19,630.24	19,664.33	+34.09
--	--	-----------	-----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 607.26 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 607.26 लाख के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 34.09 लाख का आधिक्य व्यय, निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का घोतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(14) 2055—109—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7660—महिला अपराध अनुसंधान इकाई— मूल 359.44 पुनर्वि. (-)359.44	0.00	0.00	0.00
₹ 359.44 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मुख्यतः मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(15) 2055—111—2531—पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग (रेलवे पुलिस—पूर्वी विभाग)— मूल 3,917.40 पुनर्वि. (-)875.66	3,041.74	3,038.35	(-)3.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 875.66 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई लें 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2055—114—4155—बेतार केन्द्र रायपुर— मूल 5,394.60 पुनर्वि. (-)1,197.94	4,196.66	4,181.48	(-)15.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,197.94 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(17) 2055—115—2643—पुलिस बल का आधुनिकीकरण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)104.16	2,395.84	2,395.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.16 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2055—115—0600—विशेष केन्द्रीय सहायता— 7918—नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता— मूल 26,664.00 पुनर्वि. (-)8,389.00	18,275.00	18,275.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,389.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2070—107—2710—प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय— मूल 2,571.38 पुनर्वि. (-)774.60	1,796.78	1,803.88	+7.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 774.60 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2070—107—492—आव्हान पर होने वाला व्यय— मूल 16,050.85 पुनर्वि. (-)4,143.58	11,907.27	11,907.27	0.00

अनुदान संख्या 03—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,143.58 लाख की कमी होमगार्ड्स के पद रिक्त रहने, रेल्व वारंट से संबंधित दावे प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 290.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(1) 4055–207–3680—राज्य मुख्यालय—

मूल	1,260.00			
पुनर्वि.	(-)958.76	301.24	301.24	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 958.76 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4055–207–4491—सामान्य व्यय

(जिला स्थापना)—				
मूल	1,836.20			
पूरक	190.00			
पुनर्वि.	(-)321.99	1,704.21	1,704.21	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 321.99 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4055–208–4155—वेतार केन्द्र

रायपुर—				
मूल	314.41			
पुनर्वि.	(-)102.93	211.48	211.48	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.93 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4055–208–5067—विधि चिकित्सा

विज्ञान—				
मूल	121.50			
पुनर्वि.	(-)77.79	43.71	43.71	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.79 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4055–208–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2629—पुलिस—				
मूल	8,450.00			
पूरक	100.00			
पुनर्वि.	(-)1,903.29	6,646.71	6,646.71	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,903.29 लाखकी कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007–08 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद्

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांखिकी

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	88,95,11			
पूरक	3,69,00	92,64,11	60,77,49	(-)31,86,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				30,19,17
(31 मार्च 2022)				

पूँजीगत:

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	21,54,71	2,67,88	(-)18,86,83
(31 मार्च 2022)			18,86,83

टीका एवं टिप्पणियां—

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 369.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 3,186.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 3,019.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+ बचत(-)
	अनुदान	व्यय (₹ लाख में)	

(1) 2070—108—7714—राज्य मुख्यालय, अग्निशमन एवं

आपातकालीन सेवाएं—

मूल	260.71			
पुनर्वि.	(-)193.40	67.31	67.31	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.40 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2070—108—7715—नियंत्रण कक्ष, आग नियंत्रण

एवं आपातकालीन सेवाएं—

मूल	86.61			
पुनर्वि.	(-)74.97	11.64	11.64	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 74.97 लाख की कमी मुख्यतः मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2070—108—7716—क्षेत्र कार्यालय, आग नियंत्रण

एवं आपातकालीन सेवाएं—

मूल	3,049.45			
पुनर्वि.	(-)1,998.06	1,051.39	1,050.51	(-)0.88

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,998.06 लाख की कमी मुख्यतः मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 04—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(4) 2070—108—7717—प्रशिक्षण केन्द्र, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 275.83 पुनर्वि. (-)255.29	50.54	50.54	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 225.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2070—108—7718—आपातकालीन सेवाएं— मूल 873.55 पुनर्वि. (-)332.52	541.03	541.03	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.52 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वाहनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2235—60—200—6704—जनजागरण अभियान	100.00	0.00	100.00
--	--------	------	--------

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(7) 2235—60—200—7495—अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति	800.00	490.02	(-)309.98
--	--------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2235—60—200—9262—जिला सैनिक बोर्ड— मूल 629.80 पुनर्वि. (-)87.09	542.71	542.63	(-)0.08
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.09 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, हितग्राहियों की मृत्यु होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 3454—01—800—6399—जनगणना कार्य	752.52	406.78	(-)345.74
-----------------------------------	--------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2013—800—9261—अन्य व्यय— मूल 308.00 पूरक 369.00	677.00	1,043.44	+366.44
---	--------	----------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में आवर्धन के पश्चात राशि ₹ 366.44 लाख का किया गया आधिक्य व्यय, निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आंकलन का द्योतक है।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(2) 2235—60—200—2653—पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए
अनुदान, सहायता अनुदान 500.00 721.30 +221.30

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत :

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4070—800—7716—मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं
आपातकालीन सेवाएं—

मूल	505.00			
पुनर्वि.	(—)250.00	255.00	254.99	(—)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4070—800—7718—आपातकालीन
सेवाएं—

मूल	1,634.21			
पुनर्वि.	(—)1,634.21	0.00	0.00	0.00

₹ 1,634.21 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 05—जेल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2056—जेल

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत	1,95,34,15	1,57,16,64	(—)38,17,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			37,75,57

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	10	00	(—)10 10
---	----	----	-------------

पूँजीगत:

दत्तमत	51,70	46,50	(—)5,20 5,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 3,817.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 3,775.57 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2056—001—2272—निर्देशन और

प्रशासन—

मूल	444.90	342.12	341.58	(—)0.54
पुनर्वि.	(—)102.78			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2056—101—938—केन्द्रीय एवं

जिला जेलों—

मूल	18,194.25	15,123.75	15,082.36	(—)41.39
पुनर्वि.	(—)3,070.50			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,070.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण (₹ 1,512.83 लाख) उल्लिखित की गई है। शेष राशि ₹ 1,557.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2006—07 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2056—101—0801—केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (समान्य)—

938—केन्द्रीय एवं

जिला जेलों—

मूल	145.00	49.92	49.92	0.00
पुनर्वि.	(—)95.08			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.08 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 05—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्ताविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(4) 2056—102—1524—जेल उत्पादन—			
मूल	750.00		
पुनर्वि.	(-)507.21	242.79	242.79
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 507.21 लाख की कमी कोविड-19 महामारी से जेल उद्योग बंद किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अन्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2435—अन्य कृषि कार्यक्रम
- 4070—पूंजीगत पर अन्य प्रशासनिक सेवायें
- 7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	67,24,44,12			
पूरक	2,50,30,00	69,74,74,12	75,64,88,28	+5,90,14,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				37,94,12
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित	46,41	87,25	+40,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			41
(31 मार्च 2022)			

पूंजीगत:

दत्तमत—	47,30	16,85	(-)63,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			34,23
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 5,90,14,15,379 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 7,56,488.27 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2021 (₹ 30.00 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 25,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25,030.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था। यह निधि के आवश्यकता के अनुचित आंकलन का द्योतक है।

(iii) ₹ 59,014.15 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2022 में ₹ 3,794.12 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2052—091—4296—संचालनालय संस्थागत

वित्त व्यवस्था—

मूल	199.40		
पुनर्वि.	(-)70.97	128.43	128.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.97 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2052—095—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 821.00 पुनर्वि. (—)551.88 269.12 269.12 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 551.88 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2054—003—3843—लेखा प्रशिक्षण शाला— मूल 95.12 पुनर्वि. (—)42.86 52.26 52.46 +0.20			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 42.86 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2054—095—2274—निर्देशन और प्रशासन— मूल 2,492.20 पुनर्वि. (—)818.77 1,673.43 1,672.95 (—)0.48			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 818.77 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2054—095—4307—संभागीय स्थापना— मूल 1,058.25 पुनर्वि. (—)420.41 637.84 637.75 (—)0.09			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 420.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2008—09 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2054—095—8904—आडिट सेल— मूल 347.90 पुनर्वि. (—)90.37 257.53 257.25 (—)0.28			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(7) 2054—095—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (—)93.28 56.72 56.72 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.28 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2054—097—1026—खजाना स्थापना— मूल 3,874.85 पुनर्वि. (—)418.49 3,456.36 3,453.76 (—)2.60			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 418.49 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

(9) 2054—098—4361—स्थानीय

निधि लेखा—

मूल	1,791.10			
पुनर्विनियोजन	(—)378.13	1,412.97	1,407.65	(—)5.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 378.13 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2054—098—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त

प्रबंधन परियोजना—

मूल	150.00			
पुनर्विनियोजन	(—)125.98	24.02	24.02	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.98 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2071—01—117—6801—राज्य शासन

का अंशदान—

मूल	1,04,000.00			
पूरक	25,000.00			
पुनर्विनियोजन	(—)725.85	1,28,274.15	1,28,274.71	+0.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 725.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य+
बचत(—)

(1) 2071—01—101—2413—सेवानिवृत वेतन

भोगियों को देय

मूल	3,48,500.00	3,73,425.68	+24,925.68
-----	-------------	-------------	------------

₹ 24,925.68 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2071—01—102—3080—भारत में पेंशनों का

रूपान्तरित मूल्य का भुगतान

मूल	3,300.00	4,017.99	+717.99
-----	----------	----------	---------

₹717.99 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(3) 2071—01—104—4590—सेवा एवं मूल्य

निवृति पुरस्कार

मूल	67,000.00	68,872.29	+1,872.29
-----	-----------	-----------	-----------

₹ 1,872.29 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(4) 2071-01-105-2514—परिवार पेंशन 1,08,000.00 1,29,825.01 +21,825.01

₹ 21,825.01 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(5) 2071-01-111-4010—विधायकों को पेंशन 1,500.00 1,906.25 +406.25

₹ 406.25 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 2071-01-115-5438—अवकाश नगदीकरण 25,500.00 38,398.04 +12,898.04

₹ 12,898.04 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

प्रभारित—

(vi) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 40,84,191 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vii) ₹ 40.84 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2022 में ₹ 0.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

2071-01-106-600—उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय 46.00 87.25 +41.25

₹ 41.25 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(ix) ₹ 63.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 34.23 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमज़ोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
-----------------------------	------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण
- 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर
- 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
- 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी
- 6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	2,77,22,99			
पूरक	7,50,00	2,84,72,99	2,16,83,64	(—)67,89,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				42,23,24
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित	65,06,35	65,00,00	(—)6,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,05
(31 मार्च 2022)			

पूँजीगत :

दत्तमत	2,21,10	1,48,60	(—)72,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			51,41
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 750.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह निधियों की आवश्यकता का कमजोर आंकलन का द्योतक है।

(ii) ₹ 6,789.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 4,223.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। शेष राशि का अभ्यर्पित नहीं किये जाने के कारण प्रेषित नहीं किए गए हैं।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2030—02—797—7428—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत

भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण—

मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(—)330.13	2,669.87	2,669.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.13 लाख की कमी कम उपकर प्राप्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2030—03—001—1480—जिला प्रभार—

मूल	2,343.10		
पुनर्वि.	(—)522.24	1,820.86	1,821.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 522.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 2039-001-122—अधीक्षण—

मूल	3,895.21		
पुनर्वि.	(-)1,531.76	2,363.45	2,363.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,531.76 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण निधि का कम उपयोग होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2020-21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2039-001-1470—जिला कार्यपालिक

स्थापना—			
मूल	6,468.50		
पुनर्वि.	(-)1,571.64	4,896.86	5,110.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,571.64 लाख की कमी निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। ₹ 213.96 लाख के अधिक व्यय के परिपक्ष में, पुनर्विनियोजन करते समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया था। 2010-11 से 2020-21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2039-102-8629—नये सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स

सिनेमाघरों को प्रोत्साहन—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)167.13	132.87	132.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 167.13 लाख की कमी योग्य आवेदक द्वारा आवेदनों का प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2040-001-3569—मुख्यालय

स्थापना व्यय	1,969.01	1,336.04	(-)632.97
--------------	----------	----------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2012-13 से 2020-21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2040-001-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
---	----------	------	-------------

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2040-101-1509—जिला स्थापना

7,859.47	6,021.69	(-)1,837.78
----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013-14 से 2020-21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2030-01-101-4612—स्टाम्पों की लागत—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	300.00	400.00	580.34

₹ 180.34 लाख के अधिक व्यय को देखते हुए अनुपूरक प्रावधान के समय में निधि की आवश्यकता का उचित आंकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

अनुदान संख्या 07—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
(2) 2030-01-102-4611-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	35.00	205.09	+170.09
बजट प्रावधान से अधिक व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(3) 2030-02-101-2456—गैर न्यायिक स्टॉम्प की लागत—			
मूल	50.00		
पूरक	450.00		
पुनर्वि.	(-)0.92	499.08	848.20
			+349.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.92 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। बजट प्रावधान से अधिक व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 6.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 5.05 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 72.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 51.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक हैं।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2029—भू—राजस्व

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2053—जिला प्रशासन

2216—आवास

3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन

4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

5054—सड़क तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय

6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	9,18,93,71		
पूरक	2,01,00,00	11,19,93,71	8,06,37,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			(—)3,13,55,76 3,02,95,35

प्रभारित	15,26		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			(—)15,26 15,26

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	2,32,09,00		
पूरक	4,00,00	2,36,09,00	4,86,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			(—)2,31,22,75 2,31,90,92

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 20,100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन का घोतक है।

(ii) ₹ 31,355.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 30,295.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान		
		वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2029—001—456—आयुक्त, भू—अभिलेख
तथा बंदोबस्त का

कार्यालय—

मूल	629.00		
पुनर्वि.	(—)169.74	459.26	443.98
			(—)15.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 169.74 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(2) 2029—101—5017—पटेली मेहनताना—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)198.84	201.16	179.51
			(—)21.65
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 198.84 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2029—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7787—इ—धरती—			
मूल	5,940.00		
पुनर्वि.	(—)5,387.83	552.17	540.81
			(—)11.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,387.83 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2029—103—1472—जिला प्रभार—			
मूल	32,900.40		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)512.70	32,387.70	32,103.55
			(—)284.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 512.70 लाख की कमी देयक प्राप्त नहीं होने, आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं प्रशिक्षितों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2029—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 908—कृषि संगणना—			
मूल	274.40		
पुनर्वि.	(—)273.63	0.77	0.00
			(—)0.77
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 273.63 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2029—103—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 9981—लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय—			
मूल	253.40		
पुनर्वि.	(—)253.40	0.00	0.00
			0.00
₹ 253.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2029—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7635—राष्ट्रीय भू—अभिलेख का आधुनिकरण (एन. एल. आर. एम. पी.)—			
मूल	100.10		
पुनर्वि.	(—)100.10	0.00	0.00
			0.00
₹ 100.10 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2029—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6601—भू—अर्जन हेतु जमा राशि पर अर्जित ब्याज तथा प्रशासनिक सेवा शुल्क की राशि का व्यय— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(9) 2029—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 316.50 पुनर्वि. (—)316.50	0.00	0.00	0.00
₹ 316.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2029—797—6753—पर्यावरण निधि को अंतरण— मूल 5,782.00 पुनर्वि. (—)5,782.00	0.00	0.00	0.00
₹ 5,782.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2029—797—6754—अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण— मूल 7,540.00 पुनर्वि. (—)7,540.00	0.00	0.00	0.00
₹ 7,540.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2029—800—0510—अधोसंरचना विकास निधि— 6476—अधोसंरचना विकास उपकर निधि— मूल 800.00 पुनर्वि. (—)800.00	0.00	0.00	0.00
₹ 800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(13) 2029—800—0510—अधोसंरचना विकास निधि— 6477—पर्यावरण उपकर निधि— मूल 800.00 पुनर्वि. (—)800.00	0.00	0.00	0.00
₹ 800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(14) 2029—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6495—ग्रामीण भूमिहीन कृषक न्याय योजना— मूल 10.00 पूरक 20,000.00 पुनर्वि. (—)5,711.58	14,298.42	14,359.69	+61.27

अनुदान संख्या 08—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,711.58 लाख की कमी शासन के स्वीकृति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 61.27 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
		अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)
(15) 2052-099-3657—राजस्व बोर्ड—				
मूल	605.70			
पुनर्वि.	(—)235.59	370.11	369.43	(—)0.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 235.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयक प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(16) 2053-093-1510—जिला स्थापना—				
मूल	32,133.41			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(—)1,689.04	30,444.37	29,614.92	(—)829.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,689.04 लाख की कमी यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने, जिलाधीशों द्वारा मांग के अनुसार प्रशिक्षण की राशि का आवंटन प्राप्त होने एवं जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2010-11 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(17) 2053-101-452—आयुक्त संभागीय कार्यालय—				
मूल	1,174.40			
पुनर्वि.	(—)175.26	999.14	942.52	(—)56.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.26 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :—				
शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
		अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)
(1) 2029-102-2193—नजूल स्थापना—				
मूल	578.30			
पुनर्वि.	(—)5.15	573.15	633.60	+60.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5.15 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 60.45 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आकलन का द्योतक है।				
(2) 2029-102-2503—परिमापन, व्यवस्थापन तथा लेख संग्रह संबंधी कार्य—				
मूल	585.20			
पुनर्वि.	(—)3.12	582.08	657.76	+75.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3.12 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 75.68 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आकलन का द्योतक है।				

अनुदान संख्या 08—जारी

प्रभारित—

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2053—093—1510—जिला स्थापना—

मूल	15.00			
पुनर्वि.	(-)15.00	0.00	0.00	0.00

₹ 15.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग जिलाधिशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 400.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

(vii) ₹ 23,122.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 23,190.92 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 4059—80—051—0510—अधोसंरचना विकास निधि—

6476—अधोसंरचना विकास

उपकर निधि—

मूल	7,475.00			
पुनर्वि.	(-)7,425.00	50.00	50.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,425.00 लाख की कमी शासन द्वारा स्वीकृति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4059—80—051—0510—अधोसंरचना विकास निधि—

6477—पर्यावरण उपकर

निधि—

मूल	7,475.00			
पुनर्वि.	(-)7,355.00	120.00	120.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,355.00 लाख की कमी शासन द्वारा स्वीकृति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4059—80—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6601—भू—अर्जन हेतु जमा राशि पर

अर्जित ब्याज तथा प्रशासनिक

सेवा शुल्क की राशि का व्यय—

पूरक	400.00			
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00	0.00

₹ 400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 4059—80—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7787—ई—धरती—

मूल	88.00			
पुनर्वि.	(-)88.00	0.00	0.00	0.00

₹ 88.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(5) 5054—05—337—0510—अधोसंरचना विकास निधि—

6476—अधोसंरचना विकास

उपकर निधि—

मूल	4,000.00
पुनर्वि.	(-)3,875.92

124.08

124.07

(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,875.92 लाख की कमी प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 5054—05—337—0510—अधोसंरचना विकास निधि—

6477—पर्यावरण

उपकर निधि—

मूल	4,000.00
पुनर्वि.	(-)4,000.00

0.00

0.00

0.00

₹ 4,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4059—80—052—1510—जिला स्थापना—

मूल	107.00		
पुनर्वि.	(-)7.00	100.00	168.50
			+68.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7.00 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 68.50 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण

4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत	20,74,00	7,91,35	(—)12,82,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			12,82,28
प्रभारित	10	00	(—)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			10

पूंजीगत:

दत्तमत	50,00	00	(—)50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			50,00

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,282.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,282.28 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2058—001—2286—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा

लेखन सामग्री का कार्यालय—

मूल	136.30		
पुनर्वि.	(—)83.81	52.49	52.51

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 83.81 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण,

भण्डारण और वितरण—

मूल	1,133.10		
पुनर्वि.	(—)765.77	367.33	367.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 765.77 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस,

रायपुर—

मूल	495.80		
पुनर्वि.	(—)358.44	137.36	136.48

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 358.44 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, फर्नीचर एवं उपकरण की आवश्यकता नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(4) 2058—104—301—अशासकीय मुद्रणालयों
में मुद्रण कार्य—

मूल	150.00		0.00
पुनर्वि.	(—)54.24	95.76	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 54.24 लाख की कमी फर्नीचर एवं उपकरण की आवश्यकता नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2021—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4058—103—3427—मशीनों और उपकरण

छपाई की मशीनों
की खरीद—

मूल	50.00		0.00
पुनर्वि.	(—)50.00	0.00	

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रिंटिंग मशीन एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 10—वन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी

4406—वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	17,68,91,73		
पूरक	2,11,35,00	19,80,26,73	17,16,80,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)2,63,46,26
(31 मार्च 2022)			2,62,85,83

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2022)

4,51,00

4,39,68

(—)11,32

14,35

पूंजीगत :

दत्तमत	15,59,50	13,98,38	(—)1,61,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,62,90
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021(₹ 1,135.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 20,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21,135.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 26,346.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 26,285.83 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2406—01—001—3555—मुख्यालय—

मूल	3,430.80		
पुनर्वि.	(—)909.18	2,521.62	2,521.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 909.18 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2406—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2723—प्रशासन का			
सुदृढीकरण—			
मूल	111.87		
पुनर्वि.	(—)75.92	35.95	46.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.92 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 10.70 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आंकलन का घोतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(3) 2406—01—003—4462—वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन—			
मूल	402.77		
पुनर्वि.	(—)36.88	365.89	363.71
			(—)2.18
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 49.88 लाख की कमी मजदूरी का भुगतान किए जाने, भवनों का रख-रखाव किए जाने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 36.88 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2406—01—070—4349—सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरुस्ती—			
मूल	1,007.00		
पुनर्वि.	(—)56.65	950.35	942.00
			(—)8.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.65 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2406—01—101—2786—प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)—			
मूल	1,522.72		
पुनर्वि.	(—)258.00	1,264.72	1,265.88
			+1.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2406—01—101—3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस—			
मूल	3,135.00		
पुनर्वि.	(—)612.79	2,522.21	2,508.49
			(—)13.72
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 612.79 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2406—01—101—3877—क्षेत्रीय वनमण्डल—			
मूल	43,933.30		
पुनर्वि.	(—)4,751.44	39,181.86	38,968.94
			(—)212.92
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,851.44 लाख की कमी क्रमशः मजदूरी का भुगतान किए जाने, भवनों का रख-रखाव किए जाने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 4,751.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2406—01—101—7888—कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु विशेषज्ञ अमला—			
मूल	165.40		
पुनर्वि.	(—)164.40	0.00	0.00
₹ 165.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2406—01—101—812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना— मूल 1,140.05 पुनर्वि. (-)228.94	911.11	929.71	+18.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.94 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 18.60 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आंकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2406—01—101—813—कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य— मूल 535.00 पुनर्वि. (-)105.82	429.18	428.02	(-)1.16
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.82 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2406—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित— मूल 5,351.00 पुनर्वि. (-)787.92	4,563.08	4,916.58	+353.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 787.92 लाख की कमी नवीन कार्य के लिए अनुमोदन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 353.50 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आंकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2406—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6827—भूजल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 2,208.00 पुनर्वि. (-)99.91	2,108.09	2,108.13	+0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2406—01—102—3531—प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण— मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)9,990.09	10,009.91	9,993.94	(-)15.97
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,563.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 8,427.09 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 9,990.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(14) 2406—01—102—4475—सामाजिक वानिकी— मूल 1,567.47 पुनर्वि. (-)394.64	1,172.83	1,118.19	(-)54.64

अनुदान संख्या 10—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 394.64 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकार्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(15) 2406–01–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
7732—छत्तीसगढ़ स्टेट एक्शन प्लान आन			
कलाईमेट योजना—			
मूल 50.00	50.00	0.00	0.00
पुनर्वि. (–)50.00			
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

(16) 2406–01–102–0430—वन विकास निधि—

6699—वन विकास उपकर				
निधि से व्यय—				
मूल 400.00				
पुनर्वि. (–)107.76	292.24	292.24	0.00	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.76 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(17) 2406–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6724—बांस वनों का				
पुनरुद्धार—				
मूल 2,392.18				
पुनर्वि. (–)134.22	2,257.96	1,870.94	(–)387.02	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.22 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा समय पर व्यय नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(18) 2406–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6828—पथ वृक्षारोपण—				
मूल 486.80				
पुनर्वि. (–)80.44	406.36	406.37	+0.01	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.44 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(19) 2406–01–203–535—इमारती

लकड़ी—				
मूल 11,369.33				
पुनर्वि. (–)4,205.52	7,163.81	7,162.24	(–)1.57	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,205.32 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(20) 2406–01–203–5641—वन प्रबंधन

समितियां—				
मूल 3,594.20				
पुनर्वि. (–)1,008.54	2,585.66	1,905.08	(–)680.58	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,008.54 लाख की कमी निधि के व्यय के लिए शासन से अनुमोदन वर्ष के अंत में प्राप्त होने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(21) 2406—01—204—2901—बांस—			
मूल	1,600.00		
पुनर्वि.	(—)542.37	1,057.63	1,060.93
			+3.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 542.37 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(22) 2406—02—110—2900—अभ्यारण			
क्षेत्र—			
मूल	3,561.90		
पुनर्वि.	(—)178.01	3,383.89	3,416.09
			+32.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 178.01 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2406—02—110—3896—वन्य प्राणियों द्वारा			
जनहानि करने पर			
क्षतिपूर्ति—			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(—)116.15	2,383.85	2,388.46
			+4.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2007—08 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(24) 2406—02—110—6885—प्रधान मुख्य संरक्षक			
(वन्यप्राणी) कार्यालय			
की स्थापना—			
मूल	432.60		
पुनर्वि.	(—)90.68	341.92	359.60
			+17.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.68 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 17.68 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आंकलन का घोतक है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2406—02—110—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—			
5502—प्रोजेक्ट			
एलीफेन्ट—			
मूल	236.65		
पुनर्वि.	(—)236.65	0.00	0.00
			0.00
₹ 236.65 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(26) 2406—02—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं			
अभ्यारणयों का			
विकास—			
मूल	606.30		
पुनर्वि.	(—)392.63	213.67	230.42
			+16.75

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 292.63 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 392.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 16.75 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में अपूर्ण आंकलन का घोतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(27) 2406—04—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7261—राष्ट्रीय वनीकरण

कार्यक्रम—

मूल	450.00
पुनर्वि.	(-)450.00

0.00

0.00

0.00

₹ 450.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 2406—04—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7856—ग्रीन इंडिया

मिशन—

मूल	175.00
पुनर्वि.	(-)175.00

0.00

0.00

0.00

₹ 175.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2406—01—070—6218—भवनों की

मरम्मत—

मूल	1,111.60	1,524.23	1,541.60	+17.37
पुनर्वि.	412.63			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 450.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 37.37 लाख की कमी मजदूरी का भुगतान किए जाने, भवनों का रख—रखाव किए जाने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 412.63 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 17.37 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में अपूर्ण आंकलन का घोतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(2) 2406—01—204—5641—वन प्रबंधन

समितियों—

मूल	805.80	705.59	1,382.86	+677.27
पुनर्वि.	(-)100.21			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.21 लाख की कमी भारत सरकार से निधि की व्यय की स्वीकृति 31 मार्च 2022 को प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 677.27 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में अपूर्ण आंकलन का घोतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(3) 2406—02—110—2899—राष्ट्रीय पार्क—

मूल	1,386.08	1,346.10	1,425.12	+79.02
पुनर्वि.	(-)39.98			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39.98 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 79.02 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में अपूर्ण आंकलन का घोतक है।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकरण+ बचत(-)
(4) 2406—02—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—बिगड़े वर्नों का सुधार बांस वर्नों सहित—			
मूल	330.00		
पुनर्वि.	(-).1.64	328.36	371.09
			+42.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1.64 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 42.73 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) ₹ 11.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 14.35 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर कमज़ोर प्रबंधन को दर्शाता है।

पंजीगतः

दत्तमत-

(vi) ₹ 162.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 162.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4406-01-101-3877-क्षेत्रीय वन मण्डल-

ਮੂਲ	44.50			
ਪੁਨਰ्वि.	(-)44.50	0.00	0.00	0.00

₹ 44.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(2) 4406-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

6540—चिड़ियाघरों का

विकास एवं उन्नयन-

मूल 1,100.00

पुनर्वि. (-)50.09

1,049.91

1,049.91

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11-जारी

₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2852–80–102–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

9068—औद्योगिक इकाइयों को पूंजी अनुदान	6,400.00	6,500.00	+100.00
---------------------------------------	----------	----------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित—

(v) ₹ 7.85 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को राशि ₹ 7.75 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 10,726.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 10,681.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4851–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना—	मूल 2,505.00 पुनर्वि. (–)2,505.00	0.00	0.00	0.00
--	--------------------------------------	------	------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान का अप्रयुक्त रहना निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। ₹ 2,505.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4851–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

6377—फूड पार्क की स्थापना—	मूल 5,000.00 पुनर्वि. (–)4,582.30	417.70	133.87	(–)283.83
----------------------------	--------------------------------------	--------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,582.30 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4851–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

6381—जेस्म एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना—	मूल 800.00 पुनर्वि. (–)800.00	0.00	0.00	0.00
---	----------------------------------	------	------	------

₹ 800.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4851–101–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

6742—औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान—	मूल 800.00 पुनर्वि. (–)800.00	0.00	500.00	+500.00
---	----------------------------------	------	--------	---------

अनुदान संख्या 11—समाप्त

₹ 500.00 लाख के आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(5) 4851–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7480—जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना— मूल 200.00 पुनर्वि. (–)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4851–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7909–26 औद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार— मूल 300.00 पुनर्वि. (–)300.00	0.00	44.23	+44.23
₹ 44.23 लाख के आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4851–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8983—औद्योगिक क्षेत्र अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (–)577.44	422.56	128.96	(–)293.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 577.44 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। ₹ 293.60 लाख के अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में निधि के समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4851–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9219—भू—अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान— मूल 910.00 पुनर्वि. (–)910.00	0.00	0.00	0.00
₹ 910.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

2801—बिजली

2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4810—ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूँजी परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत	20,73,24,11	20,64,06,56	(—)9,17,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			9,13,18
(31 मार्च 2022)			
प्रभारित	2,50,00,00	2,50,00,00	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	4,96,24,10			
पूरक	1,07,41,50	6,03,65,60	5,07,50,31	(—)96,15,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				96,15,29
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 917.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 913.18 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार—

बिजली शुल्क—

मूल	1,147.10			
पुनर्वि.	(—)249.17	897.93	893.56	(—)4.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 249.17 लाख की कमी अतिरिक्त अनुदान होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2801—80—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7620—उपभोक्ताओं को विद्युत

शुल्क राहत हेतु सब्सिडी—

मूल	50.00			
पुनर्वि.	(—)50.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सांकेतिक अनुदान के रूप में निधि का आवंटन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 2810—800—0410—ऊर्जा विकास निधि—

3188—ऊर्जा विकास संस्था को				
सहायक अनुदान—				
मूल	1,250.00			
पुनर्वि.	(—)437.50	812.50	812.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 437.50 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2810—800—0410—ऊर्जा विकास निधि—

5695—छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल				
विकास प्राधिकण—				
मूल	150.00			
पुनर्वि.	(—)52.50	97.50	97.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 52.50 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2810—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7697—बायो एनर्जी आधारित				
कार्यक्रम—				
मूल	250.00			
पुनर्वि.	(—)87.50	162.50	162.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.50 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4801—05—052—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6378—स्काडा योजना—				
मूल	5,000.00			
पुनर्वि.	(—)5,000.00	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4801—06—800—0410—ऊर्जा विकास निधि—

6758—ऊर्जा संरक्षण				
निधि से व्यय—				
मूल	7,500.00			
पूरक	7,676.00			
पुनर्वि.	(—)6,622.00	8,554.00	8,554.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,622.00 लाख की कमी उर्जा विकास निधि से उपरोक्त योजना का व्यय पूर्ति किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 4810—101—0410—ऊर्जा विकास निधि—

6483—बायोएथेनॉल				
प्रदर्शनी संयंत्र—				
मूल	150.00			
पुनर्वि.	(—)90.00	60.00	60.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 4810—101—0410—ऊर्जा विकास निधि—

7693—सोलर पंप हेतु				
सहायक अनुदान—				
मूल	1,500.00			
पुनर्वि.	(—)525.00	975.00	975.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 525.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 4810—101—0311—नार्बाड पोषित योजनायें (सामान्य)—

7693—सोलर पंप हेतु				
सहायक अनुदान—				
मूल	25,000.00			
पुनर्वि.	(—)2,277.19	22,722.81	22,722.81	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,277.19 लाख की कमी नार्बाड द्वारा कम राशि स्वीकृत किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिकय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4801—06—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8965—मुख्यमंत्री मजारा टोला				
विद्युतीकरण—				
मूल	630.00			
पूरक	1,070.00			
पुनर्वि.	4,995.00	6,695.00	6,695.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,995.00 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(v) विद्युत / ऊर्जा विकास निधि :—

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर पॉच पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्त्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर ‘राजस्व शीर्ष 0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क—800—अन्य प्राप्तियों’ में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के “मुख्य शीर्ष 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क—797—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क—3218—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण” को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

इस निधि में 01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष ₹ 5,787.52 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 25,000.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत “मुख्य शीर्ष-2045-797 संचय तिथि से/में स्थानांतरण-3218 छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण” को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 25,000.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2022 को ₹ 5,787.52 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन-देन” मुख्य शीर्ष-8229—विकास एवं कल्याण निधि—110—ऊर्जा विकास निधि” में सम्मिलित है जिसका विस्तृत लेखा वित्त लेखे 2021-22 के विवरण क्रमांक-21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
- 4401—फसल कृषि—कर्म पर पूँजीगत परिव्यय
- 5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	45,92,85,29			
पूरक	सांकेतिक	45,92,85,29	40,15,66,75	(—)5,77,18,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				5,77,34,83
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	17,50	7,97	(—)9,53
(31 मार्च 2022)			8,03

पूँजीगत :

दत्तमत	11,68,70	3,20,44	(—)8,48,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			8,48,26
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 57,718.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को राशि ₹ 57,734.83 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2401—001—119—अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ

कर्मचारी वृन्द—(जिला एवं अधीनस्थ

स्तर का अमला)—

मूल 34,475.80

पुनर्वि. (—)5,776.49

28,699.31

28,694.95

(—)4.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,776.49 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2401—001—124—अधीक्षण (संभागीय स्तर

का अमला)—

मूल 782.90

पुनर्वि. (—)154.57

628.33

628.67

+0.34

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.10 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 158.67 लाख से प्रावधान में ₹ 154.57 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं मजदूरी का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(3) 2401—001—4288—संचालनालय (मुख्यालय अमला)—			
मूल	1,288.80		
पुनर्वि.	(-)203.28	1,085.52	1,084.89

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.10 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 199.18 लाख से प्रावधान में ₹ 203.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं मजदूरी का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2401—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,760.40	239.60	239.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,760.40 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2401—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीड़स एण्ड ऑर्डलपॉम—			
मूल	483.00		
पुनर्वि.	(-)226.35	256.65	256.65

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.35 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2401—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6438—राजीव गांधी किसान न्याय योजना—			
मूल	2,69,800.00		
पुनर्वि.	(-)749.01	2,69,050.99	2,69,050.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 749.01 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2401—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8936—ज्याइट लायबिलिटी ग्रुप को ऋण अनुदान—			
मूल.	60.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	0.00	0.00

₹ 60.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अपुयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(8) 2401—103—898—कृषि प्रदर्शन एवं

बीज फार्म—			
मूल	823.25		
पुनर्वि.	(-)161.66	661.59	660.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.66 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	--------------------

(9) 2401—103—0701—केच्च प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7264—एन. ए. ई. टी. सबमिशन

आन सीड एण्ड प्लान्टिग

मटेरियल योजना—

मूल 1,800.00

पुनर्वि. (—)1,397.22

402.78

402.78

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,397.22 लाख की कमी निधि को जारी करने में विलम्ब होने एवं एकल नोडल एजेंसी के खाते में निधि का स्थानांतरण 30.03.2022 को किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2401—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6820—कृषक समग्र

विकास योजना—

मूल 4,051.00

पुनर्वि. (—)110.42

3,940.58

3,940.58

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.42 लाख की कमी बीजों के वितरण में कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2401—105—1060—खाद गुण नियंत्रण

प्रयोगशाला की स्थापना—

मूल 240.77

पुनर्वि. (—)70.75

170.02

170.88

+0.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.75 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 2401—105—7283—छत्तीसगढ़ राज्य विपणन

संघ को उर्वरक व्यवसाय

हेतु सहायता—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा महासंघ को निधि के विमुक्ति की स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2401—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6448—गोधन न्याय

योजना—

मूल 8,750.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (—)3,403.39

5,346.61

5,346.61

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,403.39 लाख की कमी जिलों से प्राप्त निधि की मांग के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2401—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7768—जैविक प्रमाणिकरण

संरक्षा—

मूल 60.00

पुनर्वि. (—)60.00

0.00

0.00

0.00

₹ 60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी करने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(15) 2401—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8900—जैविक खेती मिशन— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)137.49	862.51	862.51	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.49 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण, मेला और जागरूकता कैंपस का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 8,670.00 पुनर्वि. (—)5,800.77	2,869.23	2,869.23	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,800.77 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के द्वितीय किश्त जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(17) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7266—एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम— मूल 1,230.00 पुनर्वि. (—)980.93	249.07	249.07	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 980.93 लाख की कमी 31.03.2022 को केन्द्रांश जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(18) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेत्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 904.00 पुनर्वि. (—)770.76	133.24	133.24	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 770.76 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचार्ह योजना— मूल 3,360.00 पुनर्वि. (—)1,867.62	1,492.38	1,492.38	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,867.62 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 1,509.00 पुनर्वि. (—)840.79	749.21	749.21	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 840.79 लाख की कमी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं किए जाने एवं सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण अन्य गतिविधियों नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(21) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 5,728.00 पुनर्वि. (-)5,148.60	579.40	579.40	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,148.60 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7833—रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वार्डल (आर.पी.एस.)— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 8,070.00 पुनर्वि. (-)7,689.47	380.53	380.53	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,547.62 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,141.85 लाख से प्रावधान में ₹ 7,689.47 लाख की कमी भारत सरकार से अनुमोदन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(24) 2401—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5549—गन्ना कृषकों को बोनस— मूल 7,200.00 पुनर्वि. (-)6,098.10	1,101.90	1,101.90	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,098.10 लाख की कमी राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(25) 2401—109—867—कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों

की स्थापना— मूल 317.20 पुनर्वि. (-)134.45	182.75	183.34	+0.59
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.45 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 2401—109—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)665.87	1,334.13	1,334.13	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 665.87 लाख की कमी निधि के जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

	शीर्ष अनुदान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(27) 2401—109—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7829—नेशनल ई—गवर्नेंश प्यालन एग्रीकल्चर— मूल 180.00 पुनर्वि. (—)180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 180.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।				
(28) 2401—113—7017—कृषि यंत्री कार्यालय— मूल 937.85 पुनर्वि. (—)134.65	839.20	803.25	(—)35.95	
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 132.65 लाख से प्रावधान में ₹ 134.65 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(29) 2401—119—2013—नए उद्यानों तथा पौध शालाओं की रक्खापना— मूल 2,860.80 पुनर्वि. (—)250.19	2,610.61	2,621.12	+10.51	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.19 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 10.51 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2020)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(30) 2401—119—6788—संचालनालय उद्यानिकी— मूल 372.55 पुनर्वि. (—)94.25	278.30	278.25	(—)0.05	
(31) 2401—119—9188—उद्यान विकास योजना— मूल 6,791.75 पुनर्वि. (—)521.91	6,269.84	6,277.88	+8.04	
उपरोक्त क्रम संख्या (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 94.25 लाख एवं ₹ 521.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(32) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,240.00 पुनर्वि. (—)1,220.85	1,019.15	1,019.15	0.00	
(33) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम— मूल 560.00 पुनर्वि. (—)546.81	13.19	13.19	0.00	

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(34) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—			
मूल	2,800.00		
पुनर्वि.	(-)775.01	2,024.99	2,024.99

उपरोक्त क्रम संख्या (32) से (34) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,220.85 लाख, ₹ 546.81 लाख एवं ₹ 775.01 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि कम जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (33) एवं 2020–21 के दौरान क्रम संख्या (34) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2015–16 से 2020–21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (32) के शीर्षान्तर्गत भी निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(35) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7705—एकीकृत बागवानी विकाश मिशन—			
मूल	11,480.00		
पुनर्वि.	(-)7,129.01	4,350.99	4,350.99

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,921.35 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,207.66 लाख से प्रावधन में ₹ 7,129.01 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(36) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7874—नेशलन मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री (एन.एम.एस.ए.)—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)264.96	35.04	35.04

(37) 2401—119—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7947—एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन—			
मूल	672.00		
पुनर्वि.	(-)603.55	68.45	68.45

उपरोक्त क्रम संख्या (36) एवं (37) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 264.96 लाख एवं ₹ 603.55 लाख की कमी सरकार द्वारा कम निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी क्रम संख्या (36) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(38) 2401—119—0311—नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7854—नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)321.28	178.72	178.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 321.28 लाख की कमी शासन द्वारा ₹ 500.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 200.00 लाख की राशि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(39) 2401—119—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8638—राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना—			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)605.25	94.75	94.75

अनुदान संख्या 13—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 555.25 लाख से प्रावधान में ₹ 605.25 लाख की कमी बीज निगम द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं चैम्प्स द्वारा कम दावे प्रस्तुत किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(40) 2401–800–1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—				

6353—चिराग योजना—

मूल	7,500.00			
पुनर्वि.	(–)2,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,000.00 लाख की कमी सरकार द्वारा वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(41) 2402–101–8351—विस्तृत मृदा				
सर्वेक्षण—				

सर्वेक्षण—

मूल	1,296.60			
पुनर्वि.	(–)246.50	1,050.10	1,052.68	+2.58

(42) 2402–102–3143—भूमि संरक्षण कटावरोधक				
बंधान की योजना—				

बंधान की योजना—

मूल	3,719.50			
पुनर्वि.	(–)785.67	2,933.83	2,933.66	(–)0.17

उपरोक्त क्रम संख्या (41) एवं (42) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 246.50 लाख एवं ₹ 785.67 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(43) 2402–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—				
---	--	--	--	--

7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन

कार्यक्रम—

मूल	5,000.00			
पुनर्वि.	(–)1,933.98	3,066.02	3,066.02	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,933.98 लाख की कमी सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
-------	--	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2401–108–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—				
--	--	--	--	--

6606—भारतीय प्राकृतिक

कृषि पद्धति—

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि.	1,014.39			
----------	----------	--	--	--

1,014.39

1,014.39

1,014.39

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,014.39 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा—निर्देशों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2401–110–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
---	--	--	--	--

7797—प्रधानमंत्री फसल

बीमा योजना—

मूल 35,460.00

पुनर्वि.	5,845.59			
----------	----------	--	--	--

41,305.59

41,305.59

0.00

अनुदान संख्या 13—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,206.35 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 360.76 लाख से प्रावधान में ₹ 5,845.59 लाख का आवर्धन शासन द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने, किसानों द्वारा फसल की अधिक बीमा किए जाने एवं बीमा कम्पनियों के दावा प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(3) 2401—113—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
8961—कृषि यांत्रिकीकरण			
मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों			
पर अनुदान—			
मूल	3,840.00		
पुनर्वि.	2,229.12	6,069.12	6,069.12
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,248.23 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.11 लाख से प्रावधान में ₹ 2,229.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधि की द्वितीय किश्त जारी किए जाने एवं समय से निधि विमुक्त नहीं होने से बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(1) 4401—113—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
8961—कृषि यांत्रिकीकरण			
मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों			
पर अनुदान—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(—)136.43	163.57	163.57
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.43 लाख की कमी सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4401—113—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8961—कृषि यांत्रिकीकरण			
मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों			
पर अनुदान—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(—)300.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5425—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7713—जैव प्रौद्योगिकी प्रोन्नत			
सोसायटि की स्थापना—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(—)300.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2403—पशुपालन

4403—पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत	4,63,94,39	3,67,63,26	(—)96,31,13 96,71,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			

प्रभारित	20,00	00	(—)20,00 20,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			

पूँजीगत:

दत्तमत	9,88,00	1,60,70	(—)8,27,30 8,27,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 9,631.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 9,671.45 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2403—001—1468—जिला एवं

संभागीय स्तर—

मूल	3,867.30	3,187.63	3,180.20	(—)7.43
पुनर्वि.	(—)679.67			

(2) 2403—001—4297—संचालनालय

स्तर—

मूल	581.75	441.63	441.44	(—)0.19
पुनर्वि.	(—)140.12			

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 679.67 लाख एवं ₹ 140.12 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 एवं 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2009—10 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5620—पशुरोग

नियंत्रण—

मूल	1,105.00	753.88	753.88	0.00
पुनर्वि.	(—)351.12			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 351.12 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7826—बकरी रोग नियंत्रण— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
(5) 2403—101—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 7471—नाबार्ड योजनान्तर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान— मूल 60.00 पुनर्वि. (—)60.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 60.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 एवं 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं 2017—18 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(6) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय— मूल 22,809.50 पुनर्वि. (—)3,484.00	19,325.50	19,319.09	(—)6.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,484.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8898—केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय ब्रूसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)63.90	936.10	934.25	(—)1.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 63.90 लाख की कमी हितग्राहियों का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2403—102—1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 5,566.80 पुनर्वि. (—)1,121.87	4,444.93	4,443.32	(—)1.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,121.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2403—102—2567—पशु प्रजनन प्रक्षेत्र— मूल 890.24 पुनर्वि. (—)169.30	720.94	760.40	+39.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 169.30 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि का समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 39.47 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 2403—102—5535—छत्तीसगढ़ गौ—सेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00
<p>₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इसशीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।</p>			
(11) 2403—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 1,250.00 पुनर्वि. (-)1,186.08	63.92	63.92	0.00
<p>(12) 2403—102—0101—राज्यआयोजना (सामान्य)— 7614—राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)58.00</p>			
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,186.08 लाख एवं ₹ 58.00 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 एवं 2020—21 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।</p>			
(13) 2403—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 1,928.55 पुनर्वि. (-)391.45	1,537.10	1,540.58	+3.48
<p>(14) 2403—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5027—बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण— मूल 327.87 पुनर्वि. (-)72.19</p>			
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 391.45 लाख एवं ₹ 72.19 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 एवं 2020—21 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।</p>			
(15) 2403—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6784—शूकर विकास प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण— मूल 478.72 पुनर्वि. (-)92.97	385.75	396.72	+10.97
<p>समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.97 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।</p>			
(16) 2403—113—3784—रोग अनुसंधान— मूल 956.50 पुनर्वि. (-)169.19	787.31	790.69	+3.38

अनुदान संख्या 14—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(17) 2403—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना— मूल 1,683.57 पुनर्वि. (-)643.37	1,040.20	1,039.62	(-)0.58

उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 169.19 लाख एवं ₹ 643.37 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं 2018–19 से 2020–21 के दौरान क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2403—001—1468—जिला एवं संभागीय स्तर— मूल 10.00 पुनर्वि. (-)10.00	0.00	0.00	0.00
(2) 2403—001—4297—संचालनालय स्तर— मूल 10.00 पुनर्वि. (-)10.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 10.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4403—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुकुकुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान देयकों का प्रस्ताव की स्वीकृती प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

(2) 4403—109—0311—नाबाड पोषित योजनायें (सामान्य)—

7403—कामधेनू पशु चिकित्सा
विश्वविद्यालय—

मूल 466.00 पुनर्वि. (-)466.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	------	------	------

₹ 466.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

**अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिकय+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2405—मछली पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

राजस्व

1,24,34,73

68,25,27

(—)56,09,46

56,09,46

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2022)

पूँजीगत

42,00,00

3,74,57

(—)38,25,43

38,25,43

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2022)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष

कुल

वास्तविक

आधिकय+

अनुदान

व्यय

बचत(—)

(₹ लाख में)

(1) 2235—60—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (सामान्य)—

मूल 250.00

पुनर्वि. (—)147.66

102.34

102.34

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.66 लाख की कमी भारत सरकार से व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2515—789—198—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7687—मुख्यमंत्री पंचायत

सशक्तिकरण योजना—

मूल 48.50

पुनर्वि. (—)48.50

0.00

0.00

0.00

₹ 48.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के प्रयाप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2515—789—198—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7893—राष्ट्रीय ग्राम

स्वराज्य अभियान—

मूल 360.00

पुनर्वि. (—)103.67

256.33

256.33

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.67 लाख की कमी भारत सरकार से अनुमोदन अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2853—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 5,285.30 पुनर्वि. (—)5,285.30	0.00	0.00	0.00

₹ 5,285.30 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

4515—789—198—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8986—मुख्यमंत्री समग्र

ग्रामीण विकास योजना—

मूल 4,000.00

पुनर्वि. (—)3,825.43

174.57

174.57

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,825.43 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा अनुमोदन अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2405—मछली पालन

2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	79,63,40			
पूरक	29.35	79,92,75	67,19,99	(-)12,72,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				12,77,80
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	20	00	(-)20
(31 मार्च 2022)			20

पूंजीगत :

दत्तमत	2,75,00	88,95	(-)1,86,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			28,44
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 29.35 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,272.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 1,277.80 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2405—001—2280—निर्देशन और

प्रशासन—

मूल	420.15			
पुनर्वि.	(-)104.78	315.37	314.76	(-)0.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.78 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कोविड महामारी के कारण दौरे पर कम खर्च और प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2405—101—162—अंतर्देशीय मतस्य पालन

के लिए जिला स्तर

कर्मचारी—

मूल	4,016.90			
पुनर्वि.	(-)1,051.13	2,965.77	2,970.37	+4.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,051.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, दौरे पर कम खर्च किए जाने के कारण, जिलों से व्यय का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने एवं लॉकडाउन के कारण प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2405—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7434—मतस्य महाविद्यालय, कवर्धा को अनुदान— मूल 400.10 पुनर्वि. (—)40.10 360.00 360.00 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 40.10 लाख की कमी वित्त विभाग से व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2405—800—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

5625—मतस्य पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं इनफारमेशन नेट वर्किंग का सुदृढ़ीकरण— मूल 44.00 पुनर्वि. (—)41.61 2.39 2.39 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 41.61 लाख की कमी भारत सरकार से व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 186.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 28.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
4405—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7434—मात्रिकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)28.26 171.74 14.13 (—)157.61			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 28.26 लाख की कमी एवं ₹ 157.61 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग से व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2425—सहकारिता

4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

6425—सहकारिता के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत	2,29,86,90	1,85,73,85	(—)44,13,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			44,07,51

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	15	00	(—)15
			15

पूंजीगत:

मूल	14,00,02			
पूरक	3,91,50	17,91,52	13,50,00	(—)4,41,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4,41,52

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 4,413.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 4,407.51 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2425—001—123—अधीक्षण—

मूल	4,593.78			
पुनर्वि.	(—)657.07	3,936.71	3,931.20	(—)5.51

प्रावधान से ₹ 657.07 लाख की कमी में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.90 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 655.17 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2425—001—2282—निर्देशन—

मूल	760.02			
पुनर्वि.	(—)176.43	583.59	583.73	+0.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.43 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5628—कृषक ऋण व्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान—				
मूल	13,766.50			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,006.50 लाख की कमी वित्त विभाग से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7889—प्राथमिक कृषि साख			
सहकारी समितियों का			
कम्प्यूटरीकरण—			
मूल 500.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि. (-)500.00			

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4425—200—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—			
8545—नाबार्ड सहायता से			
गोदाम निर्माण—			
मूल 0.01			
पूरक 391.50			
पुनर्वि. (-)391.51	0.00	0.00	0.00

₹ 391.51 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 6425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8970—विपणन सहकारी समितियों

का सुदृढ़ीकरण—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
मूल 50.00			
पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान समाजिक संस्थाओं से समेकित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के साथ ही वित्त विभाग द्वारा समाजिक संस्था का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—श्रम

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	------------------	--------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

राजस्व :

दत्तमत	2,15,75,45	1,67,17,11	(—)48,58,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			48,56,66

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	20	00	(—)20 20
---	----	----	-------------

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 4,858.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 4,856.66 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2210—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3676—राज्य बीमा

अस्पताल—

मूल	5,629.54		
पुनर्वि.	(—)300.11	5,329.43	5,326.46

(—)2.97

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.11 लाख की कमी मुख्यतः नई डिसपेंसी नहीं खोले जाने एवं रिक्त पदों की पुर्ति हेतु प्रस्ताव अस्वीकृत किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007—08 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2210—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

791—कर्मचारी राज्य बीमा

चिकित्सालय—

मूल	4,881.32		
पुनर्वि.	(—)598.61	4,282.71	4,280.93

(—)1.78

प्रावधान से ₹ 598.61 लाख की कमी पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.60 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 584.01 लाख बिल प्राप्ति में देरी एवं व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2230—01—001—4268—श्रम

आयुक्त—

मूल	686.02		
पुनर्वि.	(—)215.05	470.97	469.83

(—)1.14

(4) 2230—01—101—4271—श्रम कानूनों

के कार्यान्वयन के

लिए अमला—

मूल	1,574.60		
पुनर्वि.	(—)328.70	1,245.90	1,250.75

+4.85

अनुदान संख्या 18—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से कमशः ₹ 215.05 लाख तथा ₹ 328.70 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016–17 से 2020–21 के दौरान एवं 2013–14 से 2020–21 के दौरान क्रमशः क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	-----------------------------------

(5) 2230–01–101–4272—श्रम न्यायालय—	मूल 851.60 पुनर्वि. (–)417.31	434.29	433.66 (-)0.63
--	----------------------------------	--------	-------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 417.31 लाख की कमी विभिन्न पदों के रिक्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 और 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2230–01–101–712—औद्योगिक न्यायालय—	मूल 298.10 पुनर्वि. (–)137.43	160.67	160.57 (-)0.10
---	----------------------------------	--------	-------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.43 लाख की कमी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008–09 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2230–01–102–5810—औद्योगिक स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा—	मूल 530.75 पुनर्वि. (–)182.46	348.29	348.48 +0.19
--	----------------------------------	--------	-----------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.46 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2230–01–102–0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6915—बाल श्रम सर्वेक्षण—	मूल 108.00 पुनर्वि. (–)108.00	0.00	0.00 0.00
--	----------------------------------	------	--------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा संस्थाओं का अधिग्रहण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2230–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5648—आद्योगिक हाइजिन प्रयोगशाला की स्थापना—	मूल 162.06 पुनर्वि. (–)115.24	46.82	46.82 0.00
--	----------------------------------	-------	---------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.24 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2230–01–103–4270—श्रम कल्याण निधि की स्थापना—	मूल 500.00 पुनर्वि. (–)500.00	0.00	0.00 0.00
---	----------------------------------	------	--------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्ताविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(11) 2230—01—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल— मूल 3,850.00 पुनर्वि. (—)454.61 3,395.39 3,395.39 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 454.61 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने से हुए बचत के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2230—01—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8977—असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल— मूल 800.00 पुनर्वि. (—)596.38 203.62 203.62 0.00
--

(13) 2230—01—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8989—ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हारपाल कल्याण मण्डल— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (—)890.79 609.21 609.21 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 596.38 लाख तथा ₹ 890.79 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014—15 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (12) एवं 2015—16 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित:

(iii) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2211—परिवार कल्याण

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:
दत्तमत—

मूल	23,13,77,02			
पूरक	9,54,69,72	32,68,46,74	30,05,46,18	(-)2,63,00,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,46,25,99
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित—

मूल	42,60			
पूरक	1,03,25	1,45,85	31,32	(-)1,14,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				16,69
(31 मार्च 2022)				

पूंजीगत :
दत्तमत—

मूल	67,65,60			
पूरक	1,60,00	69,25,60	59,78,89	(-)9,49,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,32,88
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व :
दत्तमत—

(i) ₹ 3,00,546.18 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2021 (₹ 42,830.00 लाख), दिसम्बर 2021 (₹ 41,900.00 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 10,739.72 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 95,469.72 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 26,300.56 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 34,625.99 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2210—01—001—2283—निर्देशन एवं प्रशासन—

(राजीव गांधी मिशन)

मूलभूत सेवाएँ)—

मूल	4,309.55		
पुनर्वि.	(-)819.69	3,489.86	3,480.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 819.69 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत—

(2) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7397—छत्तीसगढ़ इमरजेंसी

मेडिकल रिस्पोंस

सर्विसेस योजना—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (—)400.00

600.00

600.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2210—01—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1473—जिला चिकित्सालय—

मूल 27,799.05

पूरक. 2,880.00

पुनर्वि. (—)2,956.65

27,725.40

26,239.28

(-)1,486.12

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 2,880.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,956.65 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात ₹ 1,486.12 लाख का बचत, निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलत को दर्शाता है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2210—01—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8631—शव वाहिका

योजना—

मूल 1,200.00

पुनर्वि. (—)247.46

952.54

952.54

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 247.46 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2210—01—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8649—मुख्य मंत्री शहरी

स्वास्थ्य कार्यक्रम—

मूल 336.00

पुनर्वि. (—)157.15

178.85

180.11

+1.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.15 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं निधि जारी नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2210—03—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6611—प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत

हेल्थ इन्फार्स्ट्रक्चर मिशन—

पूरक 3,750.00

पुनर्वि. (—)2,690.00

1,060.00

1,060.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,690.00 लाख की कमी निधि के जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2210—03—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन—

मूल 60,000.00

पूरक. 26,900.00

पुनर्वि. (—)7,901.44

78,998..56

78,998.56

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,901.44 लाख की कमी निधि के जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
(8) 2210—03—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 748—दवाखाना— मूल 447.50 पुनर्वि. (—)270.57 176.93 176.93 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 270.57 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2210—03—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 33,152.35 पुनर्वि. (—)1,902.26 31,250.09 30,138.38 (—)1,111.71			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,902.26 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2210—06—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6811—राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान— मूल 220.85 पुनर्वि. (—)110.08 110.77 118.00 +7.23			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.08 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2210—06—101—4244—शीत ज्वर— मूल 2,531.35 पुनर्वि. (—)824.83 1,706.52 1,704.69 (—)1.83			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 824.83 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2210—06—101—858—कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 3,722.15 पुनर्वि. (—)651.93 3,070.22 3,066.53 (—)3.69			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 651.93 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7679—टी.बी रोकथाम के लिए पोषित खाद्य— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)500.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2210—06—102—1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)— मूल 1,689.70 पुनर्वि. (—)880.21 809.49 808.27 (—)1.22			

अनुदान संख्या 19—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 880.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	--------------------------------

(15) 2210–06–104–750—औषधि

नियंत्रण—

मूल	1,324.90		
पुनर्वि.	(-)566.89	758.01	758.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 566.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(16) 2210–06–200–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6362—डॉ. खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य

सहायता योजना—

मूल	27,500.00		
पूरक	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,204.00	27,296.00	16,300.00

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 5,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,204.00 लाख की कमी निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2210–06–200–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6363—मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य

सहायता योजना—

मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,500.00	0.00	0.00

₹ 2,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2211–001–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

1508—जिला स्तरीय

अमला—

मूल	636.00		
पुनर्वि.	(-)142.56	493.44	491.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 142.56 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2211–001–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

3704—राज्य स्तरीय

परिवार कल्याण—

मूल	1,143.00		
पुनर्वि.	(-)611.82	531.18	530.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 611.82 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2211–003–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

1007—क्षेत्रीय परिवार कल्याण

प्रशिक्षण केन्द्र—

मूल	238.30		
पुनर्वि.	(-)154.30	84.00	83.89

(-)0.11

अनुदान संख्या 19—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 154.30 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	--------------------------------

(21) 2211–101–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

621—उप स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल	14,456.10	10,617.06	10,659.87	+42.81
पुनर्वि.	(–)3,839.04			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,839.04 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 42.81 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ था।

(22) 2211–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6791—शहरी स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल	454.85	344.91	346.18	+1.27
पुनर्वि.	(–)109.94			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.94 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	--------------------------------

(1) 2071–01–800–5499—सेवानिवृत्त कर्मचारियों

को चिकित्सा सुविधा—

मूल	230.00	215.00	429.12	+214.12
पुनर्वि.	(–)15.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 214.12 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2009–10 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ था।

(2) 2210–01–200–77—अंध रोग उपचार

की रोकथाम की इकाइयां

स्थापित करना—

मूल	2,097.30	2,048.74	2,410.27	+361.53
पुनर्वि.	(–)48.56			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 48.56 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 361.53 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2210–03–197–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5998—सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र—

मूल	14,410.40	14,040.88	18,273.27	+4,232.39
पुनर्वि.	(–)369.52			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 369.52 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। बजट प्रावधान से आधिक्य व्यय वेतन एवं भत्ते के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	--------------------------------

(4) 2210—03—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल.	8,240.20
पूरक.	सांकेतिक
पूनर्वि.	(-)72.88

8,167.32

11,463.25

+3,295.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.68 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। बजट प्रावधान से आधिक्य व्यय वेतन एवं भत्ते के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(5) 2210—06—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6441—कोविड—19 के संक्रमण की

रोकथाम एवं उपचार

18,800.00

31,333.33

+12,533.33

₹ 12,533.33 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(6) 2210—06—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6441—कोविड—19 के संक्रमण की

रोकथाम एवं उपचार—

मूल. 5,000.00

पूरक. 20,800.00

पूनर्वि. (—)126.52

25,673.48

26,769.77

+1,096.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.52 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। बजट प्रावधान से आधिक्य व्यय, निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 103.25 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 114.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 16.69 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष

कुल
विनियोगवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

2210—01—001—2283—निर्देशन एवं प्रशासन—

(राजीव गांधी मिशन)

मूलभूत सेवाएँ—

मूल 20.10

पूरक 103.25

पूरक (—)16.69

106.66

16.69

(-)89.97

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 16.69 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

पूंजीगतः

दत्तमत—

(viii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 160.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) ₹ 946.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 1,132.88 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

अनुदान संख्या 19—समाप्त

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4210—01—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1473—जिला चिकित्सालय—

मूल	2,996.50			
पूरक	160.00			
पुनर्वि.	(-)188.52	2,967.98	2,968.97	+0.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 188.52 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4210—01—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2283—निर्देशन और प्रशासन

(राजीव गांधी मिशन)

(मूलभूत सेवाएं)—

मूल	530.00			
पुनर्वि.	(-)530.00	0.00	0.00	0.00

₹ 530.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 4210—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल	455.10			
पुनर्वि.	(-)55.10	400.00	400.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 55.10 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 4210—02—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5998—सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र—

मूल	1,666.00			
पुनर्वि.	(-)335.72	1,330.28	1,330.28	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 335.72 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत—
		(₹ लाख में)	

4210—02—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2777—प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र—

मूल	965.00			
पुनर्वि.	(-)9.81	955.19	1,140.02	+184.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9.81 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 184.83 लाख का आधिक्य व्यय वर्ष 2019—20 के लम्बित आपत्ति पुस्तिका उचत लेखे का निराकरण के कारण हुई है।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	--------------------

मुख्य शीर्ष—

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2215—जलापूर्ति तथा सफाई

4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	3,30,14,92	2,23,58,60	(—)1,06,56,32 1,08,34,64
---	------------	------------	-----------------------------

प्रभारित—

मूल वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	16,00	1,56	(—)14,44 14,44
--	-------	------	-------------------

पूंजीगत:

दत्तमतः

मूल पूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	4,96,43,42 2,75,29,00 7,71,72,42	5,48,14,25	(—)2,23,58,17 2,23,58,62
--	--	------------	-----------------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्वः

दत्तमत—

(i) ₹ 10,656.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 10,834.64 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	--------------------

(1) 2215—01—001—2294—निर्देशन—

मूल पुनर्वि.	2,256.05 (-)756.48	1,499.57	1,584.43 +84.86
-----------------	-----------------------	----------	--------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 756.48 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 84.86 लाख का आधिकर्य व्यय वर्ष 2018—19 के बकाया ओ. बी. उचंत लेखे के समायोजन के कारण हुई है। 2008—09 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2215—01—001—2715—प्रशासन—

मूल पुनर्वि.	13,128.80 (-)3,743.27	9,385.53	9,383.34 (—)2.19
-----------------	--------------------------	----------	---------------------

(3) 2215—01—101—5300—स्थानीय संस्थाओं की

जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,420.50 (-)618.26	802.24 924.53 +122.29
--------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
(4) 2215—01—102—1202—ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण—			
मूल	719.45		
पुनर्वि.	(-)228.53	490.92	486.91
(5) 2215—01—102—1854—डिलिंग रिंग्स का आपरेशन—			(-)4.01
मूल	1,836.59		
पुनर्वि.	(-)626.76	1,209.83	1,209.34
(6) 2215—01—102—2219—नलकूपों का अनुरक्षण—			(-)0.49
मूल	7,226.20		
पुनर्वि.	(-)3,198.71	4,027.49	4,023.26
(7) 2215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7858—सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना—			(-)4.23
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
(8) 2215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7964—राजीव गांधी सर्व जल योजना—			0.00
मूल	134.00		
पुनर्वि.	(-)134.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 3,743.27 लाख, ₹ 618.26 लाख, ₹ 228.53 लाख, ₹ 626.76 लाख एवं ₹ 3,198.71 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निधि के समर्पण के पश्चात ₹ 122.29 लाख का अधिक व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2012—13 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (2), 2013—14 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (3), 2009—10 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (4), 2014—15 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (5) एवं 2010—11 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2215—01—799—4058—विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम—			
मूल	2,000.10		
पुनर्वि.	(-)1,013.20	986.90	967.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,013.20 लाख की कमी निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			(-)19.03

अनुदान संख्या 20—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत— (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	--------------------------------

2215—01—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6707—बलौदा बाजार जल

प्रदाय योजना

0.01

69.19

+69.18

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में “2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 967.87 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष “उचंत” में अस्थायी प्रकृति के लेन—देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बन्धित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है।

“उचंत” शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :—

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन—देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई है :—

(1) क्रय— राज्य में 1983—84 से नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन—देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2021—22 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत “उचंत” लेन—देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2021 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2022 को नामे + जमा (-)
2215—जल आपूर्ति तथा सफाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)-1,600.70	0.00	0.00	(-)-1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	0.00	0.00	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+12,102.01	967.87	139.78	+12,930.10
योग	+12,051.54	967.87	139.78	+12,879.63

अनुदान संख्या 20—जारी

पूँजीगतः

दत्तमत—

(v) ₹ 22,358.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 22,358.62 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4215—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2294—निर्देशन—

मूल	188.90			
पुनर्वि.	(-)182.57	6.33	6.33	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 182.57 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4215—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6434—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई

हेतु जल प्रदाय योजना—

मूल	201.00			
पुनर्वि.	(-)201.00	0.00	0.00	0.00

₹ 201.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4215—01—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6383—जल जीवन

मिशन योजना—

मूल	40,248.02			
पूरक	27,529.00			
पुनर्वि.	(-)20,333.49	47,443.53	47,472.53	+29.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 20,333.49 लाख की कमी राज्य के समान अंश तथा केद्रांश की विमुक्ति के आधार पर निधि का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(4) 4215—01—102—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएँ (सामान्य)—

5403—पाइप द्वारा ग्रामीण

जल प्रदाय योजना—

मूल	450.00			
पुनर्वि.	(-)171.96	278.04	278.04	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 171.96 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6420—गोठानों में

नलकुप खनन—

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)139.23	360.77	360.77	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.23 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(6) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 693—ओजार और संयंत्र— मूल 131.00 पुनर्वि. (-)131.00	0.00	0.00	0.00

₹ 131.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7962—मिनि माता अमृत धारा नल योजना— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)38.78	511.22	161.09	(-)350.13
--	--------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 38.78 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(8) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7963—मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना— मूल 335.00 पुनर्वि. (-)185.00	150.00	0.00	(-)150.00
---	--------	------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 185.00 लाख की कमी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 6215—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2182—नई नगरीय जल प्रदाय योजनाएं— मूल 2,495.00 पुनर्वि. (-)653.70	1,841.30	1,841.30	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 653.70 लाख की कमी दिनांक 31/03/2022 को शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण कोषालय से निधि का आहरण नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत—
		(₹ लाख में)	
(1) 4215—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा जल प्रदाय योजना— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)76.93	373.07	736.65	+363.58

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.93 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्ताविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	----------------------------------	-------------------

(2) 4215—01—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7951—आंगन बाड़ी एवं अस्पताल में

नलकूप खनन कार्य—

मूल 250.00

पुनर्वि. (-)22.19

227.81

377.81

+150.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 22.19 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2216—02—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7670—मुख्यमंत्री आवासीय योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)842.00	158.00	158.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 842.00 लाख की कमी भवन क्रय हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं भवन निर्माण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2217—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371—नया रायपुर विकास प्राधिकरण— मूल 3,705.00 पुनर्वि. (-)655.00	3,050.00	3,050.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 655.00 लाख की कमी समय पर निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2217—01—051—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7334—जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एस.यू.टी.पी. योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं निधि विमुक्ति में देरी के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2217—05—001—2020—नगर और ग्राम निवेश— मूल 1,939.20 पुनर्वि. (-)861.04	1,078.16	1,074.94	(-)3.22
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 861.04 लाख की कमी मुख्यतः कर्मचारीयों की नियुक्ति नहीं किए जान एवं क्षेत्रिय कार्यालय द्वारा निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2217—05—001—8892—छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अभिकरण— मूल 216.02 पुनर्वि. (-)140.42	75.60	75.60	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.42 लाख की कमी प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 21—जारी

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-) (₹ लाख में)
(1) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7552—कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण— मूल 4,200.00 पुनर्वि. (-)61.00 4,139.00 4,139.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 61.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार बैंक ऋण का पुनः भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371—नया रायपुर विकास प्राधिकरण— मूल 2,715.00 पुनर्वि. (-)593.37 2,121.63 2,121.63 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 593.37 लाख की कमी मांग के अनुसार निधि विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4217-01-051-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7334—जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एस. यू.टी.पी. योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आवश्यकतानुसार शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371—नया रायपुर विकास प्राधिकरण— मूल 16,418.75 पुनर्वि. (-)12,420.37 3,998.38 3,998.38 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,420.37 लाख की कमी में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,020.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,400.37 लाख की कमी आवश्यकतानुसार निधि विमुक्त नहीं किए जाने, नया कार्य स्वीकृत नहीं होने एवं कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7416-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 800.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। बजट प्रावधान के बावजूद कोई व्यय नहीं होना, दोषपूर्ण बजट प्रबंधन एवं अपूर्ण योजना को दर्शाता है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 6217-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7669—रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)500.00 3,500.00 3,500.00 0.00			

अनुदान संख्या 21—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी कार्य प्रगति धीमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।
2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(7) 6217–01–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7883—जल प्रदाय योजना—

मूल	1,500.00		0.00
पुनर्वि.	(–)1,500.00		0.00

₹ 1,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं
(जुलाई 2022)। बजट प्रावधान के बावजूद कोई व्यय नहीं होना, दोषपूर्ण बजट प्रबंधन एवं अपूर्ण योजना को दर्शाता है।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिकय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

6217–01–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5371—नया रायपुर विकास

प्राधिकरण—

मूल	सांकेतिक		7,020.00
पुनर्वि.	7,020.00		7,020.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,020.00 लाख का आवधन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्रधिकारण के दिर्घकालीन ऋणों का भुगतान होने के कारण आवधन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

राजस्व :

दत्तमत	13,67,75	6,01,36	(—)7,66,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			7,65,76

प्रभारित	5	00	(—)5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			5

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 766.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 765.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(₹ लाख में)

(1) 2217—80—001—2122—नगर पालिका कर्मचारियों की

पेंशन योजना का

क्रियान्वयन—

मूल	82.13			
पुनर्वि.	(—)39.17	42.96	42.95	(—)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39.17 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार पेंशन निधि में पेंशन संबंधि राशि जमा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2217—80—001—6148—नगरीय स्थानीय

निकाय संचालनालय—

मूल	441.55			
पुनर्वि.	(—)207.56	233.99	233.64	(—)0.35

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 207.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जाने, निधि का वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरण किए जाने एवं विद्युत व्यवस्था एन.आर.डी.ए. द्वारा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2217—80—001—7442—संभागीय कार्यालय

की स्थापना—

मूल	519.07			
पुनर्वि.	(—)194.02	325.05	324.77	(—)0.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 194.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 22—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्ताविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
-------	---------------	----------------------------------	---------------------

(4) 2217-80-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त

परियोजनाएं (सामान्य)—

7919-छत्तीसगढ़ लोक

वित्त प्रबंधन परियोजना—

मूल 325.00

पुनर्वि. (-)325.00

0.00

0.00

0.00

₹ 325.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 और 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2020-21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ हजार में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-----------------------------	------------------	--------------	--------------------

मुख्य शीर्ष—

2700—वृहद सिंचाई

2701—मध्यम सिंचाई

4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत

मूल	6,20,31,19	पूरक	3,11,23	वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	6,23,42,42	4,74,32,05	(-)1,49,10,37 1,49,88,41
-----	------------	------	---------	---	------------	------------	-----------------------------

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	1,10	00	(-)1,10 1,10
---	------	----	-----------------

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	5,19,16,39	पूरक	12,00	वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	5,19,28,39	2,32,25,06	(-)2,87,03,33 2,87,86,41
-----	------------	------	-------	---	------------	------------	-----------------------------

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	55,00	8,89	(-)46,11 46,11
---	-------	------	-------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 311.23 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह दोषपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 14,910.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 14,988.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	--------------------

(1) 2700—01—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	3,949.10	पुनर्वि.	(-)313.98	3,635.12	3,676.14	+41.02
-----	----------	----------	-----------	----------	----------	--------

(2) 2700—02—101—2894—बांध तथा नहरें—

मूल	2,659.85	पुनर्वि.	(-)116.54	2,543.31	2,544.46	+1.15
-----	----------	----------	-----------	----------	----------	-------

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(3) 2700—03—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल 313.95 पुनर्वि. (—)85.76	228.19	228.07	(—)0.12
(4) 2700—04—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल 296.92 पुनर्वि. (—)134.26	162.66	162.50	(—)0.16
(5) 2700—05—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल 791.65 पुनर्वि. (—)143.19	648.46	651.12	+2.66
(6) 2700—06—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल 700.70 पुनर्वि. (—)163.34	537.36	537.35	(—)0.01
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 313.98 लाख, ₹ 116.54 लाख, ₹ 85.76 लाख, ₹ 134.26 लाख, ₹ 143.19 लाख एवं ₹ 163.34 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2), (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2018—19 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2016—17 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2701—80—001—275—आवियाना			
स्थापना—			
मूल 2,499.45 पुनर्वि. (—)712.67	1,786.78	1,785.29	(—)1.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 712.67 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3264—मंडल स्थापना—			
मूल 2,769.53 पुनर्वि. (—)961.77	1,807.76	1,796.70	(—)11.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 961.77 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3556—मुख्यालय स्थापना			
यूनिट—I—			
मूल 4,120.33 पुनर्वि. (—)1,309.58	2,810.75	2,783.66	(—)27.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,309.58 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2010—11 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
814—मुख्यालय स्थापना			
(विद्युत यांत्रिकी)—			
मूल 1,032.45 पुनर्वि. (—)169.21	863.24	860.39	(—)2.85

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 169.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(11) 2701–80–001–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 815—कार्यपालिक स्थापना— मूल 36,189.70 पुनर्वि. (–)10,271.40	25,918.30	25,946.59	+28.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,271.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में “उचंत” शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 30.17 लाख सम्मिलित है। “उचंत” के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) पर की गई है।

वर्ष 2021–22 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2021 को नामे + / जमा (–)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2022 को नामे + / जमा (–)
2701—मध्यम सिंचाई				
		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(–)841.87	0.00	0.00	(–)841.87
(ii) भण्डार	+678.83	0.00	30.17	+648.66
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+2,425.83	0.00	0.00	+2,425.83
(iv) कार्यशाला उचंत	+147.09	0.00	0.00	+147.09
कुल	+2,409.88	0.00	30.17	+2,379.71

प्रभारित—

(v) वर्ष के दौरान ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2011–12 से 2020–21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगतः:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से बहुत कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 2.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 12.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक प्रावधान करते समय निधि का अपूर्ण आकलन है।

(vii) ₹ 28,703.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 28,786.41 लाख का अभ्यर्पित की गई राशि अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(1) 4700–01–001–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यकारी स्थापना (यूनिट 1 एवं 2)— मूल 3,869.90 पुनर्वि. (–)826.71	3,043.19	3,050.01	+6.82

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(2) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)— मूल 805.47 पुनर्वि. (-)200.53	604.94	602.31	(-)2.63	
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 826.71 लाख एवं ₹ 200.53 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2016–17 से 2020–21 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(3) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)2,038.86	1,961.14	1,961.14	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,038.86 लाख की कमी निविदा कार्य को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(4) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)468.39	31.61	31.61	0.00	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 468.39 लाख की कमी निविदा कार्य को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(5) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यपालन स्थापना (यूनिट-1 एवं 2)— मूल 9,041.00 पुनर्वि. (-)2,309.69	6,731.31	6,734.37	+3.06	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,309.69 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(6) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट-1— मूल 883.45 पुनर्वि. (-)145.05	738.40	740.20	+1.80	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(7) 4700—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 2,770.00 पुनर्वि. (-)1,717.44	1,052.56	1,053.08	+0.52	

अनुदान संख्या 23-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,717.44 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिंगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)960.18	39.82	39.82
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 960.18 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 4700-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-				
2884-नहर तथा उससे				
संबंधित निर्माण कार्य-				
मूल	200.00			
पनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान से निविदा प्रक्रिया में विलंब एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(10) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)–				
2884—नहर तथा उससे				
संबंधित निर्माण कार्य—				
मूल	2,500.00			
पनवि	(–)355.84	2,144.16	2,144.16	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.84 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई।

(11) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—
 5685—बांध सुरक्षा एवं
 सुदृढिकरण—
 मूल 1,000.00
 पंचर्वि (-)558.04 441.96 441.96 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 558.04 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई

(12) 4700-08-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)–					
2884—नहर तथा उससे					
संबंधित निर्माण कार्य—					
मूल	1,500.00				
पचार्हि	(–)1,439.50	60.50	60.50		0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,439.50 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 4700-09-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-				
2898-बांध तथा				
संलग्न कार्य-				
मूल	3,010.00			
पनर्वि	(-)1,777.62	1,232.38	1,232.38	0.00

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,777.62 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(–)
(₹ लाख में)			
(14) 4700–10–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			

2884—नहर तथा उससे

संबंधित निर्माण कार्य—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(–)189.73	10.27	10.27	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.73 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4700–11–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2884—नहर तथा उससे

संबंधित निर्माण कार्य—

मूल	1,140.00			
पुनर्वि.	(–)1,061.24	78.76	78.75	(–)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,061.24 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 4700–12–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2884—नहर तथा उससे

संबंधित निर्माण कार्य—

मूल	281.00			
पुनर्वि.	(–)101.68	179.32	177.85	(–)1.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.68 लाख की कमी भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने एवं वन विभाग से दावा प्राप्त न होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 4700–80–005–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4416—सर्वेक्षण—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(–)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(18) 4700–80–800–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—
--

6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार

परियोजना फेस-II—

मूल	5,000.00			
पूरक	1.00			
पुनर्वि.	(–)4,996.03	4.97	4.97	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,996.03 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 4701–10–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2898—बांध तथा

संलग्न कार्य—

मूल	1,440.00			
पुनर्वि.	(–)1,097.13	342.87	342.87	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,097.13 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(20) 4701—13—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 150.00 पुनर्वि. (—)138.86	11.14	11.14	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 138.86 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4701—30—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 24.50 लाख एवं ₹ 75.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4701—37—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,010.00 पुनर्वि. (—)551.40	458.60	525.53	+66.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 551.40 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने एवं भू—अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 4701—80—002—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4793—जल मौसम विज्ञान नेट वर्क तथा संचालनालय स्थापना— मूल 1,980.15 पूरक 10.00 पुनर्वि. (—)802.58	1,187.57	1,186.66	(—)0.91
समर्पण द्वारा ₹ 802.58 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(24) 4701—80—005—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3363—मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 4701—80—190—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4843—अधोसंरचना विकास निगम— मूल 500.00 पुनर्वि. (—)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(26) 4701—80—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6354—बांध पुनर्वास एवं
सुधार परियोजना
फेस-II—
मूल 1,000.00
पूरक 1.00
पुनर्वि. (—)1,001.00

0.00 0.00 0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 4705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7907—कमांड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति
(आई.एस.बी.आई.जी.)—
मूल 500.00
पुनर्वि. (—)500.00

0.00 0.00 0.00

(28) 4705—210—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2823—फील्ड चेनल्स का
निर्माण—
मूल 100.00
पुनर्वि. (—)100.00

0.00 0.00 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(29) 4711—01—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6757—बाढ़ नियंत्रण
योजनाएं—
मूल 5,000.00
पुनर्वि. (—)3,745.11

1,254.89 1,254.89 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,745.11 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(ix) उचंत लेन देन—

“उचंत” के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) पर की गई है।

वर्ष 2021—22 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :—

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2021 को नामे + / जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2022 को नामे + / जमा (-)
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(—)830.51	0.00	0.00	(—)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	0.00	0.00	+346.16
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+1,590.21	0.00	0.00	+1,590.21
(iv) कार्यशाला उचंत	(—)76.61	0.00	0.52	(—)77.13
कुल	+1,029.25	0.00	0.52	+1,028.73

अनुदान संख्या 23—समाप्त

प्रभारित—

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4700—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4948—डिक्री धन का

भुगतान (भारित)—

मूल	50.00
पुनर्वि.	(-)41.11

8.89

8.89

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 41.11 लाख की कमी डिक्री प्रकरण के संख्या अनुसार भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्कें और पुल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

3053—नागर विमानन्

3054—सङ्क तथा सेतु

5053—नागर विमानन् पर पूँजीगत परिव्यय

5054—सङ्कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत	10,90,63,37	6,36,62,05	(—)4,54,01,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			4,54,04,60

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	15,37,81,01		
पूरक	3	15,37,81,04	13,98,67,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			(—)1,39,13,67 1,54,35,40

प्रभारित	20,10,00	16,66,44	(—)3,43,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			3,43,57

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 45,401.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को ₹ 45,404.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 3054—01—337—134—अनुरक्षण और मरम्मत—

साधारण मरम्मत—

मूल	5,330.00		
पुनर्वि.	(—)2,950.54	2,379.46	2,383.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,950.54 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं भारत सरकार से राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 3054—03—337—2227—नवीनीकरण—

मूल	3,520.00		
पुनर्वि.	(—)2,067.60	1,452.40	1,452.41

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 1,067.60 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 2,067.60 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3054—03—337—4090—विशेष मरम्मत—

मूल	1,237.00		
पुनर्वि.	(—)671.10	565.90	565.91

+0.01

अनुदान संख्या 24—जारी

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 171.10 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 671.10 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(4) 3054–03–797–8716—केन्द्रीय				
सङ्क निधि—				
मूल	32,000.00			
पुनर्वि.	(–)19,453.00	12,547.00	12,547.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19,453.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(5) 3054–04–337–2227—नवीनीकरण—				
मूल	10,277.00			
पुनर्वि.	(–)5,825.79	4,451.21	4,451.26	+0.05
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 4,000.00 लाख एवं ₹ 1,825.79 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 5,825.79 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(6) 3054–04–337–4557—सुदृढ़ीकरण—				
मूल	3,781.00			
पुनर्वि.	(–)3,410.33	370.67	370.69	+0.02
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 2,700.00 लाख एवं ₹ 710.33 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 3,410.33 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2010–11 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(7) 3054–04–337–7984—ग्रामीण मार्गों की				
विशेष मरम्मत—				
मूल	600.00			
पुनर्वि.	(–)408.02	191.98	191.97	(–)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 408.02 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(8) 3054–04–337–7985—ग्रामीण मार्गों				
का सुदृढ़ीकरण—				
मूल	600.00			
पुनर्वि.	(–)541.08	58.92	58.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 541.08 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(9) 3054–04–337–7986—ग्रामीण मार्गों				
का डामरीकरण—				
मूल	282.00			
पुनर्वि.	(–)218.05	63.95	63.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 218.05 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(10) 3054–04–337–7987—ग्रामीण मार्गों				
का नवीनीकरण—				
मूल	5,000.00			
पुनर्वि.	(–)3,996.36	1,003.64	1,003.64	0.00

अनुदान संख्या 24—जारी

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 3,000.00 लाख एवं ₹ 996.36 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 3,996.36 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(11) 3054–80–001–2301–निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग सं. 67–2059–लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)— मूल 13,535.31 पुनर्वि. (–)8,207.14	5,328.17	5,328.17	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,207.14 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रो–रेटा के आकड़े का विवरण एवं बजट में प्रो–रेटा प्रावधान के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 3054–80–001–0101–राज्य आयोजना (सामान्य)—

7609—ए.डी.बी.सहायित छत्तीसगढ़ सङ्क विकास परियोजना का स्थापना व्यय— मूल 482.74 पुनर्वि. (–)166.66	316.08	320.33	+4.25
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 166.66 लाख की कमी वाणिज्यिक सेवाएं के देयक का भुगतान ए.डी.बी. प्रोजेक्ट द्वारा किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 3054–80–052–692—औजार एवं संयंत्र प्रभार—

(मांग सं. 67–2059–लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)— मूल 5,447.82 पुनर्वि. (–)5,329.95	117.87	117.87	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,329.95 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रो–रेटा के आकड़े का विवरण एवं बजट में प्रो–रेटा प्रावधान के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 3054–80–800–6464—सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. के द्वारा

निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण के व्याज की अदायगी— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (–)3,000.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2021)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(1) 3054–03–337–134—अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत— मूल 6,077.00 पुनर्वि. 2,911.65	8,988.65	8,983.60	(–)5.05

अनुदान संख्या 24—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 88.35 लाख से प्रावधान में ₹ 2,911.65 लाख का आवर्धन विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	---------------------------------

(2) 3054—04—337—134—अनुरक्षण और मरम्मत—

साधारण मरम्मत—

मूल	10,081.00		
पुनर्वि.	4,916.58	14,997.58	15,032.66 +35.08

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,000.00 लाख एवं ₹ 83.42 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 4,916.58 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(3) 3054—04—337—7983—ग्रामीण मार्गों की

साधारण मरम्मत—

मूल	6,500.00		
पुनर्वि.	3,176.42	9,676.42	9,641.24 (-)35.18

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,200.00 लाख एवं ₹ 23.58 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 3,176.42 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(iv) केन्द्रीय सङ्केत निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सङ्केत विकास के लिए उद्दिदष्ट मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सङ्केत विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि “3054—सङ्केतों तथा पुल—800—अन्य व्यय” जिसके लिए अनुदान संख्या 24—“लोक निर्माण कार्य सङ्केतों एवं पुल” में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा “8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सङ्केत निधि से आर्थिक सहायता” को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा “8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सङ्केत निधि से आर्थिक सहायता” को अंतरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2021 को केन्द्रीय सङ्केत निधि से आर्थिक सहायता के जमा लेखे में ₹ 1,406.70 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2021—22 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 13,913.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 15,435.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	---------------------------------

(1) 5054—03—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3775—रेल्वे ओवरह ब्रिज

का निर्माण—

मूल	9,500.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(—)2,966.06	6,533.94	6,736.55 +202.61

अनुदान संख्या 24—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,700.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 266.06 लाख की निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 2,966.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 202.61 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
-------	--	---------------	------------------	----------------------------------

(2) 5054–03–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4151—वृहद पुलों का निर्माण—

मूल	8,870.00	4,188.80	4,293.55	+104.75
पुनर्वि.	(–)4,681.20			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,500.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,181.20 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 4,681.20 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 104.75 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5054–03–337–0520—केन्द्रीय सड़क निधि—

8716—केन्द्रीय सड़क निधि—

मूल	32,000.00	13,938.08	14,166.10	+228.02
पुनर्वि.	(–)18,061.92			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,000.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 12,061.92 लाख की निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 18,061.92 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 228.02 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 5054–03–337–0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

1826—डामरीकरण—

मूल	150.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(–)150.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 112.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 38.00 लाख की निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 150.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 5054–03–337–0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

7991—सी. आर. एफ. अंतर्गत निर्माण कार्यों

में राज्य शासन द्वारा व्यय—

मूल	100.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(–)100.00			

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(6) 5054–04–337–0311—नाबाड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

6590—नाबाड ऋण सहायता के अंतर्गत

ग्रामीण मार्गों का निर्माण—

मूल	7,000.00	2,200.00	1,770.09	(–)429.91
पुनर्वि.	(–)4,800.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 4,800.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिकय+
बचत(—)

(7) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2457—न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम—

मूल 21,500.00
पुनर्वि. (—)372.08

21,127.92

21,330.70

+202.78

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 372.08 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 202.78 लाख का आधिकय व्यय निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6484—मुख्यमंत्री धरसा

विकास योजना—

मूल 500.00
पुनर्वि. (—)500.00

0.00

0.00

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 400.00 लाख की निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(9) 5054—05—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6596—सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल.

निर्माण कार्यों हेतु सहायता—

मूल 12,000.00
पुनर्वि. (—)5,000.00

7,000.00

7,000.00

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिकय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिकय+
बचत(—)

(1) 5054—03—101—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

7976—जवाहर सेतु योजना—

मूल 3,000.00
पुनर्वि. 101.96

3,101.96

3,177.94

+75.98

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 98.04 लाख की देयकों का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 101.96 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 75.98 लाख का आधिकय व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(2) 5054—03—337—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)—

4336—राज्यों में सङ्करों का

निर्माण राज्य मार्ग—

मूल 4,000.00
पुनर्वि. 6,487.63

10,487.63

10,698.84

+211.21

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,500.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 12.37 लाख की कमी देयकों का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 6,487.63 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। निधि की वृद्धि के पश्चात राशि ₹ 211.21 लाख का आधिकय व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्स्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	-----------------------------------	-------------------

(3) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा

के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों

का निर्माण—

मूल 14,000.00

पुनर्वि. 358.39

14,358.39

14,476.25

+117.86

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 141.61 लाख की कमी देयकों का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 358.39 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। निधि की वृद्धि के पश्चात राशि ₹ 117.86 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(4) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1513—जिलों की मुख्य

सड़कों का निर्माण—

मूल 26,085.00

पुनर्वि. 10,398.29

36,483.29

36,721.90

+238.61

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 101.71 लाख की कमी देयकों का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 10,398.29 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। निधि की वृद्धि के पश्चात राशि ₹ 238.61 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(5) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6450—मुख्य मंत्री सुगम

सड़क योजना—

मूल 6,500.00

पुनर्वि. 2,397.89

8,897.89

8,989.72

+91.83

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 102.11 लाख की कमी देयकों का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 2,397.89 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। निधि की वृद्धि के पश्चात राशि ₹ 91.83 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(6) 5054—04—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7977—शहरी क्षेत्र के मार्ग—

मूल 3,000.00

पुनर्वि. 1,943.02

4,943.02

5,056.84

+113.82

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 56.02 लाख की कमी देयकों का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 1,943.02 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। निधि की वृद्धि के पश्चात राशि ₹ 113.82 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 24—समाप्त

प्रभारित—

(viii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	----------------	------------------	-------------	-------------------

(1) 5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

1833—डिक्री धन का				
भुगतान (भारित) —				
मूल	10.00			
पुनर्वि.	(-) 6.90	3.10	3.10	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 6.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(2) 5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

3115—भू—अर्जन हेतु				
मुआवजा—				
मूल	2,000.00			
पूरक	(-) 336.67	1,663.33	1,663.34	+0.01

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 336.67 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान	वास्तविक	
या	व्यय	
विनियोग	(₹ हजार में)	

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों

पर पूंजीगत परिव्यय

6853—अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों

के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत	3,82,48,90	3,11,95,97	(—)70,52,93
--------	------------	------------	-------------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			70,52,26
------------------------------	--	--	----------

(31 मार्च 2022)

प्रभारित

5,00	00	(—)5,00
------	----	---------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			5,00
------------------------------	--	--	------

(31 मार्च 2022)

पूंजीगत :

दत्तमत	1,04,16,03	26,28,53	(—)77,87,50
--------	------------	----------	-------------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			77,87,50
------------------------------	--	--	----------

(31 मार्च 2022)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 7,052.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 7,052.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2853—02—001—4639—मुख्यालय

स्थापना—

मूल	1,165.00		
पुनर्वि.	(—)334.81	830.19	830.15
			(—)0.04

(2) 2853—02—001—4640—जिला

स्थापना—

मूल	2,247.45		
पुनर्वि.	(—)490.00	1,757.45	1,758.18
			+0.73

(3) 2853—02—001—4643—क्षेत्रीय

स्थापना—

मूल	1,383.60		
पुनर्वि.	(—)419.06	964.54	963.19
			(—)1.35

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 334.81 लाख, ₹ 490.00 लाख एवं ₹ 419.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1), 2012—13 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (2) तथा 2011—12 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 25—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(4) 2853—02—004—0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7792—संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप— मूल 174.00 पुनर्वि. (-)114.55	59.45	59.45	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.55 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर नहीं लिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2853—02—797—5390—खनिज निधि

में अंतरण—

मूल 33,278.85	27,585.00	27,585.00	0.00
पुनर्वि. (-)5,693.85			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,693.85 लाख की कमी रॉयलटी कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 4853—01—004—4639—मुख्यालय

स्थापना—

मूल 337.00	6.82	6.82	0.00
पुनर्वि. (-)330.18			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.18 लाख की कमी मितव्यी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4853—01—004—0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—

7792—संचालनालय, भौमिकी

तथा खनिकर्म सम्बन्धी

कार्य/क्रियाकलाप—

मूल 3,503.00	178.72	178.72	0.00
पुनर्वि. (-)3,324.28			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,324.28 लाख की कमी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 6853—01—190—0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि—

7796—छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम

सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप—

मूल 6,500.00	1,252.44	1,252.44	0.00
पुनर्वि. (-)5,247.56			

अनुदान संख्या 25—समाप्त

प्रावधान से ₹ 5,247.56 लाख की कमी में पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,172.00 लाख और ₹ 4,075.56 लाख की कमी मांग के अनुरूप व्यय किए जाने एवं छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CMDC) से मांग के अनुसार निधि जारी करने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
अनुदान	व्यय	बचत(—)	(₹ लाख में)
4853—01—004—0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7794—परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)— मूल 0.01 पुनर्वि. 1,171.99	1,172.00	1,172.00	0.00

प्रावधान से ₹ 1,171.99 लाख का आवर्धन, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,172.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.01 कमी छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन विकास के रेल नेटवर्क हेतु भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2205—कला एवं संस्कृति
 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
 4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं
 संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	48,84,93			
पूरक	2,30,00	51,14,93	40,63,73	(—)10,51,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10,58,43
(31 मार्च 2022)				

पूँजीगत:

मूल	2,75,00			
पूरक	सांकेतिक	2,75,00	3,50	(—)2,71,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,71,50
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 130.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 100.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 230.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान एवं अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,051.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 1,058.43 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 2205—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)

4060—विविध संस्थाओं को

अनुदान—

मूल	275.00
पुनर्वि.	(—)52.21

222.79

222.79

0.00

(2) 2205—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)

5753—समारोह हेतु

अनुदान—

मूल	1,650.00
पुनर्वि.	(—)103.90

1,546.10

1,546.10

0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 52.21 लाख तथा ₹ 103.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(3) 2205-103-2318—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	853.57		
पुनर्वि.	(-)118.35	735.22	735.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.35 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2205-103-758—कन्जरवेशन			
सेल—			
मूल	250.67		

पुनर्वि.	(-)88.07	162.60	162.39	(-)0.21
----------	----------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.07 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2205-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
598—उत्थनन तथा सर्वेक्षण—			
मूल	120.00		

पुनर्वि.	(-)94.87	25.13	25.13	0.00
----------	----------	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2022)। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2205-104-3675—राज्य पुरालेख			
संचालनालय—			
मूल	106.49		

पुनर्वि.	(-)75.14	31.35	31.41	+0.06
----------	----------	-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.14 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2205-107-4283—संग्रहालय—			
मूल	514.26		

पुनर्वि.	(-)197.85	316.41	316.23	(-)0.18
----------	-----------	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.85 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 3454-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)			
6041—जिला विचारणियका			
पुनरीक्षण—			

मूल	97.54		
पुनर्वि.	(-)65.98	31.56	31.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.98 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं विवरणों का प्रकाशन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—समाप्त

पूँजीगतः

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹लाख में)	

4202—04—106—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7981—संग्रहालय भवन

निर्माण—

मूल	250.00			
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00	0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।
2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ हजार में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-----------------------------	------------------	--------------	--------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं
 संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	51,40,24,53			
पूरक	57,29,18	51,97,53,71	45,86,47,87	(-)6,11,05,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,20,38,78
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित	30,00	00	(-)30,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			30,00

(31 मार्च 2022)

पूँजीगत :

दत्तमत	36,90,20	33,10,02	(-)3,80,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,80,18

(31 मार्च 2022)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 603.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 5,126.18 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 5,729.18 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 61,105.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 62,038.78 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 2202—01—001—1500—जिला शिक्षा

अधिकारी कार्यालय—

(मूलभूत न्यूनतम
सेवाओं के लिए)—

मूल	10,295.33		
पुनर्वि.	(-)965.40	9,329.93	9,331.76

+1.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 965.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों से निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने एवं आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—01—001—3930—खण्ड विकास अधिकारी

कार्यालय की स्थापना

(मूलभूत न्यूनतम
सेवाओं के लिए)—

मूल	4,309.01		
पुनर्वि.	(-)110.38	4,198.63	4,194.79

(-)3.84

अनुदान संख्या 27—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.38 लाख की कमी मुख्यतः जिला कार्यालय से निधियों की आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(–)
(3) 2202–01–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,05,332.64 पुनर्वि. (–)4,580.03	1,00,752.61	1,00,720.24	(–)32.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,580.03 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202–01–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,23,849.28 पुनर्वि. (–)2,830.12	1,21,019.16	1,20,999.32	(–)19.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,830.12 लाख की कमी मुख्यतः जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वेतन और भत्तों मद में बचत होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2007–08 से 2019–20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय विद्यालय को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 3,400.00 पुनर्वि. (–)495.96	2,904.04	2,904.08	0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 495.96 लाख की कमी जिला कार्यालय से निधि मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2202–01–107–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,552.50 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (–)296.45	3,256.05	3,253.12	(–)2.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.45 लाख की कमी दावों कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2202–01–107–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8647—विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार 300.00 0.00			(–)300.00
₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(8) 2202-01-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1394—छात्राओं का गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम— सेवाओं के लिए) मूल 2,067.00 पुनर्वि. (—)216.84	1,850.16	1,850.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 216.84 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-01-111-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना(सामान्य)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 55,000.00 पुनर्वि. (—)27,841.96	27,158.04	27,158.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27,841.96 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-01-112-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,642.00 पुनर्वि. (—)631.66	2,010.34	2,010.17	(—)0.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 631.66 लाख की कमी विद्यालय में लाभार्थियों और छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर व्यय एवं चौथी तिमाही में नागरिक आपूर्ति निगम/विभाग द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6933—माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,278.00 पुनर्वि. (—)594.77	1,683.23	1,683.29	+0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 594.77 लाख की कमी विद्यालय में लाभार्थियों और छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर व्यय एवं चौथी तिमाही में नागरिक आपूर्ति निगम/विभाग द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना(सामान्य)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 18,510.37 पूरक 2,000.34 पुनर्वि. (—)1,226.13	19,284.58	19,284.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,226.13 लाख की कमी लाभार्थि बच्चों की संख्या के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 14,169.18 पूरक 1,725.35 पुनर्वि. (—)844.10	15,050.43	15,050.41	(—)0.02

अनुदान संख्या 27—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 844.10 लाख की कमी लाभार्थि बच्चों की संख्या के आधार पर व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय (₹ लाख में)	बचत(—)
(14) 2202–01–112–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (–)121.94	178.06	178.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.94 लाख की कमी कोविड–19 महामारी के कारण सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा—निर्देश अनुसार विद्यालयों का न खुलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 और 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202–02–105–4402—शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय— मूल 948.50 पुनर्वि. (–)218.31	730.19	729.43	(–)0.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 218.31 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सांकेतिक प्रावधान किए जाने एवं दावे कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(16) 2202–02–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस. सी. ई. आर. टी.) का पुनर्गठन— मूल 765.20 पुनर्वि. (–)263.24	501.96	501.20	(–)0.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 263.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, दावे कम प्राप्त होने एवं प्रशिक्षण संचालित कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2202–02–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6400—ई—लर्निंग स्कीम— मूल 500.00 पुनर्वि. (–)471.84	28.16	28.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 471.84 लाख की कमी कम दावे प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2202–02–109–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 19,000.00 पुनर्वि. (–)13,758.75	5,241.25	5,241.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,758.75 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2202–02–109–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 1,18,998.69 पूरक 1.00 पुनर्वि. (–)408.16	1,18,591.53	1,18,585.92	(–)5.61

अनुदान संख्या 27—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 408.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं जिलों से अनुदानों का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	--------------------

(20) 2202–02–109–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7367—आदर्श विद्यालय
योजना—
मूल 2,076.00
पुनर्वि. (–)1,164.35

911.65 911.65 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,164.35 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(21) 2202–02–109–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8659—अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण
शुल्क की प्रतिपूर्ति—
मूल 2,198.56
पुनर्वि. (–)2,198.56

0.00 0.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,198.56 लाख की कमी जिलों से निधियों के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(22) 2202–02–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5646—सैनिक विद्यालय
की स्थापना—
मूल 380.00
पुनर्वि. (–)288.00

92.00 92.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2202–80–001–3858—लोक शिक्षण

संचालनालय—
मूल 1,041.54
पुनर्वि. (–)244.28

797.26 796.54 (–)0.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 244.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयक प्राप्त नहीं होने एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2202–80–001–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5526—मदरसा बोर्ड
का गठन—
मूल 450.00
पुनर्वि. (–)360.01

89.99 89.99 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.01 लाख की कमी निधि विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(25) 2202-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)105.00 195.00 195.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्ति के लिए कम समय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2202-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5527—सैनिक बोर्ड का गठन— मूल 358.30 पुनर्वि. (-)148.30 210.00 210.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.30 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2202-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7840—विभागीय कार्यालय— मूल 844.55 पुनर्वि. (-)285.28 559.27 558.68 (-)0.59			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयक प्राप्त नहीं होने एवं संभाग से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2202-80-800-7761-शिक्षकों का वेतन— मूल 2,700.00 पुनर्वि. (-)196.26 2,503.74 2,503.90 +0.16			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.26 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सेन्य दल— मूल 2,624.00 पुनर्वि. (-)1,202.65 1,421.35 1,410.98 (-)10.37			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,202.65 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण स्थागित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(30) 2204-104-1084-खेलकूद एवं गतिविधियों पर व्यय— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)315.47 784.53 782.65 (-)1.88			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 315.47 लाख की कमी खेलकूद गतिविधियां संचालित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(31) 2205—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
4395—सरकारी पुस्तकालय—			
मूल 393.85 पुनर्वि. (-)169.22	224.63	225.25	+0.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 169.22 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2202—02—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5551—हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय—			
मूल 2,710.00 पुनर्वि. 1,500.00	4,210.00	4,227.77	+17.77

₹ 17.77 लाख की आधिक्य व्यय परिपेक्ष्य में पुनर्विनियोजन प्रावधान के समय निधि की आवश्यकता का उचित आंकलन नहीं किया गया। अंतिम आधिक्य बजट में निधि का कम प्रावधान किये जाने के कारण हुआ।

(2) 2202—02—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

110—अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान—

(मूलभूत च्यूनतम सेवाओं के लिए)—

मूल 3,600.00 पुनर्वि. (-)187.37	3,412.63	4,702.87	+1,290.24
------------------------------------	----------	----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.37 लाख की कमी जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 1,290.24 लाख की आधिक्य व्यय परिपेक्ष्य में पुनर्विनियोजन प्रावधान के समय निधि की आवश्यकता का उचित आंकलन नहीं किया गया। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

प्रभारित—

(v) ₹ 30.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया।

पूंजीगतः
दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5646—सैनिक विद्यालय की स्थापना—			
मूल 249.50 पुनर्वि. (-)248.50	1.00	1.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 248.50 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्ताविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
(2) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)73.70	76.30	76.30
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 73.70 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

राजस्व :

दत्तमत	70,49,30	45,48,72	(—)25,00,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			5,92,74

प्रभारित—

मूल	78,00		
पूरक	10,00	88,00	29,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)58,16 00

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 2,500.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 592.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह दोषपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2011—02—101—4007—विधान

सभा	4,363.60	2,744.47	(—)1,619.13
-----	----------	----------	-------------

(2) 2011—02—103—4009—विधानसभा

सचिवालय	1,946.70	1,738.15	(—)208.55
---------	----------	----------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2004—05 से 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2006—07 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2011—02—103—4312—संसदीय

कार्य विभाग—

मूल	139.00		
पुनर्वि.	(—)92.74	46.26	46.21

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.74 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने एवं कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2011—02—103—6582—भारतीय संसदीय

संघ को सहायक अनुदान	100.00	19.89	(—)80.11
---------------------	--------	-------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

प्रभारित—

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iv) ₹ 58.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह दोषपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(-)
-------	----------------	---------------------------------	--------------------

2011–02–101–125—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

का भत्ता—

मूल	78.00		
पुनर्वि.	(-)10.00	88.00	29.84

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2004–05 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

कुल अनुदान	वास्तविक	
या विनियोग	व्यय	(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2014—न्याय प्रशासन

2015—निर्वाचन

2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	4,78,05,46			
पूरक	9,70,51	4,87,75,97	3,64,16,17	(-)1,23,59,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,24,83,13
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित—

मूल	84,25,15			
पूरक	80,14	85,05,29	65,74,26	(-)19,31,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				19,83,13
(31 मार्च 2022)				

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	10,40,50			
पूरक	63	10,41,13	1,66,39	(-)8,74,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				9,59,51
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित	33,50	7,14	(-)26,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			26,36
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:**

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 260.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 710.51 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 970.51 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 12,359.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 12,483.13 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2014—102—5421—छत्तीसगढ़ राज्य

न्यायिक अकादमी—

मूल	592.70		
पुनर्वि	(-)446.61	146.09	146.61
			+0.52

अनुदान संख्या 29—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 446.61लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(2) 2014–105–2410—निर्वाह पत्र	तामिल स्थापना—		
मूल	2,192.10		
पुनर्वि	(–)457.64	1,734.46	1,738.73
			+4.27

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 457.64 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006–07 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2014–105–4497—सामान्य	स्थापना—		
मूल	24,389.90		
पुनर्वि	(–)5,860.26	18,529.64	18,572.85
			+43.21

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,860.26 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2005–06 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2014–105–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)	6356—फार्स्ट ट्रेक स्पेशल		
कोर्ट और पाक्सो—			
मूल	920.00		
पुनर्वि	(–)425.74	494.26	499.05
			+4.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 425.74 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2014–105–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—	7798—कॉर्मर्शियल कोर्ट—		
मूल	189.66		
पुनर्वि	(–)98.24	91.42	91.16
			(–)0.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2014–114–3572—मुफस्सिल	स्थापना—		
मूल	1,025.80		
पुनर्वि	(–)285.69	740.11	742.98
			+2.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.69 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005–06 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2014–117–5416—परिवार न्यायालय	की स्थापना—		
मूल	3,388.30		
पुनर्वि	(–)1,461.02	1,927.28	1,915.76
			(–)11.52

अनुदान संख्या 29—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,461.02 लाख की कमी मुख्य रूप से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(8) 2014–118–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7256—न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण—			
मूल	517.71		
पूरक	970.51		
पुनर्वि	(–)282.89	1,205.33	1,205.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 282.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कम्प्यूटर डेस्कटॉप के भुगतान के लिए इंस्टालेशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 2014–800–2918—बार एसोसिएशन के

पुस्तकालयों के लिए			
आर्थिक सहायता—			
मूल	150.00		
पुनर्वि	(–)134.60	15.40	15.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.60 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं भवनों का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2014–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5464—हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय			
विधिविश्वविद्यालय—			
मूल	600.00		
पुनर्वि	(–)100.00	500.00	500.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2015–102–2409—निर्वाचन

अधिकारी—			
मूल	2,128.20		
पुनर्वि.	(–)551.11	1,577.09	1,584.97

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 551.11 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009–10 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2015–103–3307—मतदाता सूचियों की

छपाई एवं तैयारी—			
मूल	3,041.44		
पुनर्वि.	(–)692.24	2,349.20	2,349.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 692.24 लाख की कमी मुख्यतः चुनाव सूचि का मुद्रण तैयारी पर कम व्यय किए जाने एवं मुख्य रूप से निर्वाचन संबंधी व्यय के हिस्से के दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(13) 2015—105—4311—संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार—			
मूल	2,200.30		
पुनर्वि.	(—)403.88	1,796.42	1,796.42
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 403.88 लाख की कमी विधानसभा चुनाव से संबंधित व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 2015—106—4006—राज्य विधान मण्डल के निर्चाचन के प्रभार—			
मूल	1,600.30		
पुनर्वि	(—)68.69	1,531.61	1,531.61
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 68.69 लाख की कमी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2015—108—9503—मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना—			
मूल	250.00		
पुनर्वि	(—)136.23	113.77	113.77
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.23 लाख की कमी जिलों से मतदाता पहचान पत्र से संबंधित दावे प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2015—108—9057—विधि एवं विधायी कार्य—			
मूल	982.40		
पुनर्वि	(—)189.19	793.21	793.54
			+0.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.19 लाख की कमी प्रशिक्षण नहीं दिये जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2235—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—3255—विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान—			
मूल	2,331.40		
पुनर्वि	(—)712.29	1,619.11	1,626.57
			+7.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 712.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

प्रभारित—

(iv) ₹ 1,931.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 1,984.42 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

2014—102—573—उच्च

न्यायालय—

मूल	8,188.60		
पूरक	80.14		
पूरक	(-)1,934.83	6,333.91	6,387.40

+53.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,934.83 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं प्रशिक्षण नहीं दिये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2005—06 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 874.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 959.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2450—न्याय प्रशासन—				
मूल	500.00			
पुनर्वि	(-)500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5421—छत्तीसगढ़ राज्य				
न्यायिक अकादमी—				
मूल	500.00			
पुनर्वि	(-)430.00	70.00	154.77	+84.77

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 430.00 लाख की माननीय उच्च न्यायालय से निधि हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात ₹ 84.77 लाख का आधिक्य व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का घोतक है। 2019—20 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(viii) पुनर्विनियोजन में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

4070—800—573—उच्च न्यायालय—

मूल	33.50		
पुनर्वि	(-)26.36	7.14	7.14

0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 26.36 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं सरकार से सायकिल क्य के लिए निधि के पुनर्विनियोजन का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

2215—जल पूर्ति तथा सफाई

2216—आवास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

2505—ग्राम रोजगार

2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3054—सङ्कें तथा सेतु

4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सङ्कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	30,49,75,26			
पूरक	1,60,78,53	32,10,53,79	20,24,40,85	(—)11,86,12,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				11,87,20,85
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित

19,00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

19,00

(31 मार्च 2022)

पूंजीगत :

दत्तमत	9,29,89,50	7,83,77,66	(—)1,46,11,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,42,33,47
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 8,694.38 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 7,384.14 लाख) को प्राप्त किया गया ₹ 16,078.53 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,18,612.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 1,18,720.85 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 2215—02—107—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7610—स्वच्छ भारत

अभियान—

मूल	20,000.00		
पुनर्वि.	(—)20,000.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,155.77 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,844.23 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 20,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
(2) 2216—03—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 90,000.00 पुनर्वि. (—)70,415.49	19,584.51	19,584.51	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70,415.49 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2501—06—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन— मूल 20,000.00 पूरक 13,578.52 पुनर्वि. (—)6,139.39	27,439.13	27,439.13	0.00
(4) 2501—06—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8775—प्रशासनिक योजनाएं जिला स्तर— मूल 876.58 पुनर्वि. (—)707.15	169.43	169.43	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 6,139.39 लाख एवं ₹ 707.15 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप एवं केन्द्रांश के आधार निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2505—60—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 272.55 पुनर्वि. (—)144.01	128.54	128.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.01 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2505—60—196—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 80,000.00 पूरक 2,500.00 पुनर्वि. (—)2,498.79	80,001.21	80,001.21	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,844.23 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,343.02 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुरूप निधि के जारी किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 2,498.79 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2515—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1033—विकासखण्ड कार्यालय— मूल 7,341.68 पुनर्वि. (—)2,255.51	5,086.17	5,082.10	(—)4.07

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2515—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3926—विकास आयुक्त— मूल 539.31 पुनर्वि. (—)120.80	418.51	418.54	+0.03
(9) 2515—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5063—ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान— मूल 437.10 पुनर्वि. (—)197.22	239.88	239.17	(—)0.71
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 2,255.51 लाख, ₹ 120.80 लाख एवं ₹ 197.22 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2016—17 से 2020—21 के दौरान के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत भी निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2515—101—2474—पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार— मूल 9,875.50 पुनर्वि. (—)2,015.36	7,860.14	7,848.60	(—)11.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,015.36 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2515—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 115.00 पुनर्वि. (—)115.00	0.00	0.00	0.00
₹ 115.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2515—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7687—मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना— मूल 1,210.70 पुनर्वि. (—)443.70	767.00	767.00	0.00
(13) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा— मूल 6,095.15 पुनर्वि. (—)521.03	5,574.12	5,572.91	(—)1.21
(14) 2515—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4855—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 5,673.20 पुनर्वि. (—)336.97	5,336.23	5,334.93	(—)1.30

अनुदान संख्या 30—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 443.70 लाख, ₹ 521.03 लाख एवं ₹ 336.97 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2016–17 से 2020–21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत भी निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(15) 2515–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क			
एवं विकास योजना—			
मूल	1,538.85		
पुनर्वि.	(–)429.91	1,108.94	1,220.00

+111.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 429.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 111.06 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(16) 3054–04–105–4855—प्रधान मंत्री ग्राम

सड़क योजना—			
मूल	60,000.00		
पुनर्वि.	(–)12,000.00	48,000.00	48,016.09

+16.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,000.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 19.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया।

पूंजीगतः

दत्तमत—

(v) ₹ 14,611.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 14,233.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(1) 4515–102–0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7644—ग्रामीण सड़क सम्पर्क प्रशिक्षण			
एवं अनुसंधान केन्द्र—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(–)100.00	0.00	0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4515–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी			
रुद्धन मिशन—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(–)4,727.50	272.50	272.50

0.00

अनुदान संख्या 30—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,727.50 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के आधार पर निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2018–19 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(3) 4515–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6437—ग्रामीण क्षेत्रों में गोठान निर्माण— मूल 150.00 पुनर्वि. (–)150.00 0.00 0.00 0.00			

₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 5054–04–101–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4871—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (–)2,000.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। यह दोषपूर्ण बजट का घोतक है। 2014–15 से 2020–221 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 5054–04–337–0311—नाबार्ड सहायित योजना (सामान्य)—

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क एवं विकास योजना— मूल 10,350.00 पुनर्वि. 5,203.67	5,146.33	4,702.05	(–)444.28
---	----------	----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,203.67 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(6) 5054–04–337–0311—नाबार्ड सहायित योजना (सामान्य)—

8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 4,050.00 पुनर्वि. (–)3,896.64	153.36	161.87	+8.51
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,896.64 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019–20 एवं 2020–221 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054–04–337–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4855—प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना	3,000.00	0.00	+3,000.00
---------------------------------------	----------	------	-----------

₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014–15 से 2020–221 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

5054—04—337—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

4855—प्रधानमंत्री ग्राम

सङ्क योजना—

मूल	67,500.00		
पुनर्वि.	1,859.58	69,359.58	72,409.98

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन एवं समर्पण द्वारा ₹ 140.42 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजनार्तगत कार्यों को पूर्ण किये जाने एवं केद्रांश एवं राज्यांश के आधार पर निधि विमुक्त किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,859.58 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	52,70,80			
पूरक	सांकेतिक	52,70,80	31,45,42	(—)21,25,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				21,27,74
(31 मार्च 2022)				
प्रभारित		40	00	(—)40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,125.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया ₹ 2,127.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
				(₹ लाख में)

(1) 3451—101—3686—राज्य योजना

आयोग—

मूल	615.90			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(—)222.25	393.65	393.71	+0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 222.25 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 3451—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6474—नवाचारों का बौद्धिक

संपदा अधिकारी—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(—)197.32	2.68	2.68	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.32 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(3) 3451—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7639—राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण,

मूल्यांकन एवं अनुसंधान—

मूल	841.00			
पुनर्वि.	(—)759.04	81.96	81.96	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 759.04 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्ताविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	----------------------------------	-------------------

(4) 3454—02—111—1430—महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकलन—	मूल पूरक पुनर्वि.	350.70 सांकेतिक (-)79.03	271.67	273.77	+2.10
--	-------------------------	--------------------------------	--------	--------	-------

प्रावधान में ₹ 79.03 लाख की कमी पुनर्विनियोजन एवं समर्पण की राशि क्रमशः ₹ 55.00 लाख एवं ₹ 134.03 लाख के कारण उल्लिखित किया गया है। समर्पण एवं पुनर्विनियोजन दोनों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई थी।

(5) 3454—02—201—512—नमूना सर्वेक्षण—	मूल पुनर्वि.	198.90 (-)49.94	148.96	149.93	+0.97
---	-----------------	--------------------	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.94 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई थी।

(6) 3454—02—205—8048—आर्थिक एवं साँचियकी संचालनालय—	मूल पुनर्वि.	3,032.40 (-)797.43	2,234.97	2,234.20	(-)0.77
--	-----------------	-----------------------	----------	----------	---------

प्रावधान में ₹ 797.43 लाख का कमी पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 55.00 लाख एवं ₹ 742.43 लाख की कमी के कारण उल्लिखित किया गया है। समर्पण एवं पुनर्विनियोजन दोनों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वारतविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(-)
-----------------------------	---------------------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2015—निर्वाचन
- 2029—भू—राजस्व
- 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर
- 2051—लोक सेवा आयोग
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2053—जिला प्रशासन
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2056—जेल
- 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075—विविध सामान्य सेवाएं
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेल और युवा सेवाएं
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जलापूर्ति तथा सफाई
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2403—पशुपालन
- 2405—मछली पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2425—सहकारिता
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2701—मध्यम सिंचाई
- 2702—लघु सिंचाई
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
- 3054—सड़क तथा सेतु
- 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- 4220—सूचना तथा प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 32—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

राजस्व :

दत्तमत	2,34,13,20	2,22,39,23	(—)11,73,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			11,65,88

प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	10	00	(—)10 10
---	----	----	-------------

पूँजीगत :

दत्तमत	10,00	5,85	(—)4,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			4,15

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 11,73,97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 11,65,88 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------------

(1) 2220—01—001—2320—निर्देशन और

प्रशासन—

मूल	9,330.55		
पुनर्वि.	(—)1,063.56	8,266.99	8,266.16

(2) 2220—60—106—1479—जिला प्रचार

एवं मोबाइल यूनिट
की स्थापना—

मूल	5,852.25		
पुनर्वि.	(—)395.83	5,456.42	5,455.09

(3) 2701—80—001—3956—विज्ञापन, बिक्री

और प्रचार व्यय—

मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)120.00	280.00	280.00

(4) 3054—80—001—3956—विज्ञापन, बिक्री

और प्रचार व्यय—

मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)54.69	345.31	345.31

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,063.56 लाख, ₹ 395.83 लाख, ₹ 120.00 लाख एवं ₹ 54.69 लाख की कमी कम व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2008—09 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 32—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2215-01-800-3956—विज्ञापन, बिक्री

और प्रचार व्यय—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	169.45	369.45	368.48	(-)0.97

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 170.00 लाख एवं ₹ 0.55 लाख की कमी व्यय में कमी होने एवं देयक लंबित रहने के कारण प्रावधान में ₹ 169.45 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 2220-60-106-5376—इलेक्ट्रानिक मीडिया से

प्रचार प्रसार—

मूल	6,000.00			
पुनर्वि.	471.03	6,471.03	6,463.57	(-)7.46

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 28.97 लाख की कमी व्यय में कमी होने एवं देयक लंबित रहने के कारण प्रावधान में ₹ 471.03 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकोंका कल्याण

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत	48,79,42,16	45,59,66,23	(—)3,19,75,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3,30,70,31
(31 मार्च 2022)			
प्रभारित	34,00	16,92	(—)17,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			17,08
(31 मार्च 2022)			

पूंजीगत:

दत्तमत	5,61,50	76,71	(—)4,84,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			4,84,79
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 31,975.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को किया गया समर्पण ₹ 33,070.31 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2202—01—001—2721—प्रशासन का सुदृढ़ीकरण विकास खण्ड

स्तर—

मूल	4,197.52		
पुनर्वि.	(—)138.30	4,059.22	4,053.92

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 138.30 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2202—01—101—2772—प्राथमिक

शालाये—

मूल	1,85,728.45		
पुनर्वि.	(—)10,370.88	1,75,357.57	1,75,177.91

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 898.00 लाख एवं ₹ 9,472.88 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, जिलों द्वारा निधि का मांग नहीं होने एवं मित्तव्ययी उपायों को अपनाने से प्रावधान में ₹ 10,370.88 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(3) 2202-02-109-3492—माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	1,75,165.76		
पुनर्वि.	(-)12,886.93	1,62,278.83	1,62,230.60
			(-)48.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,886.93 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-02-109-583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं—			
मूल	1,01,876.66		
पुनर्वि.	(-)4,578.29	97,298.37	97,268.15
			(-)30.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,578.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-02-109-979—क्रीड़ा परिसर— को अंशदान—			
मूल	1,440.50		
पुनर्वि.	(-)371.95	1,068.55	1,067.70
			(-)0.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 371.95 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का समर्पण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2202-02-110-307—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान—			
मूल	5,011.00		
पुनर्वि.	(-)2,087.10	2,923.90	4,128.94
			+1,205.04
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 898.00 लाख एवं ₹ 2,985.10 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से प्रावधान में ₹ 2,087.10 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। आधिकय व्यय पुनर्विनियोजन के दौरान निधि के आवश्यकता का अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2225-02-001-1483—जिला प्रशासन— संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास—			
मूल	6,085.50		
पुनर्वि.	(-)1,258.41	4,827.09	4,850.09
			+23.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,258.41 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का समर्पण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 2225-02-001-3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास—			
मूल	1,203.70		
पुनर्वि.	(-)479.83	723.87	729.62
			+5.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 479.83 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 33—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(9) 2225—02—001—6130—संचालनालय—

मूल	1,744.60		
पुनर्वि.	(—)352.24	1,392.36	1,390.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 352.24 लाख की कमी निधि की कम मांग होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2515—101—5495—मुख्य कार्यकारी

अधिकारियों का वेतन—

मूल	2,570.50		
पुनर्वि.	(—)308.47	2,262.03	2,259.76

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 308.47 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

4225—02—001—3728—आदिवासी संस्कृति का

संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण

एवं विकास—

पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(—)455.86	44.14	44.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 455.86 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,07,53,53			
पूरक	21,00,00	1,28,53,53	97,85,80	(-)30,67,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				31,08,49
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	40	00	(-)40
(31 मार्च 2022)			40

पूंजीगत:

दत्तमत	3,00,00	10,51	(-)2,89,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,90,00
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणी:

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 2,100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 3,067.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 3,108.49 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2235—02—001—2322—निर्देशन और प्रशासन—

मूल	2,412.08		
पुनर्वि.	(-)968.86	1,443.22	1,485.02

(2) 2235—02—101—79—दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं—

मूल	1,544.50		
पुनर्वि.	(-)541.42	1,003.08	1,003.13

(3) 2235—02—101—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना(सामान्य)—

7491—निःशक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)471.13	28.87	28.87

(4) 2235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3921—निःशक्तजनों एवं विकलांगों सहायता के लिये योजना			
मूल	620.00		
पुनर्वि.	(-)175.78	444.22	444.22

अनुदान संख्या 34—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 968.86 लाख, ₹ 541.42 लाख, ₹ 471.13 लाख एवं ₹ 175.78 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) में ₹ 41.80 लाख का आधिक्य वर्ष 2003–04 के उच्चतं खाते की लम्बित राशि ₹ 41.80 लाख का निराकरण किया जाना था। 2009–10 से 2020–21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत, 2012–13 से 2020–21 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2015–16 से 2020–21 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
(5) 2235–02–104–0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना(सामान्य)— 7014—वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना—			
मूल 75.00 पुनर्वि. (–)75.00	0.00	0.00	0.00
₹ 75.00 लाख का सम्पूर्ण के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(6) 2235–02–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6451—हाँफ वे होम—			
मूल 313.00 पुनर्वि. (–)263.04	49.96	49.96	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 250.00 लाख एवं ₹ 13.03 लाख की कमी से प्रावधान से ₹ 263.04 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(7) 2235–02–105–0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2245—कलषेध कार्यक्रम—			
मूल 276.50 पुनर्वि. (–)197.35	79.15	79.15	0.00
(8) 2235–107–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5490—राष्ट्रीय पुर्णवास कार्यक्रम निःशक्तजन—			
मूल 231.60 पुनर्वि. (–)97.11	134.49	134.00	(–)0.49

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 197.35 लाख एवं ₹ 97.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(–)
2235–02–104–8980—घरौंदा योजना—			
मूल 5.00 पुनर्वि. 244.86	249.86	249.86	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 250.00 लाख एवं ₹ 5.14 लाख प्रावधान मान्यता प्राप्त स्वायत्त संस्थानों को अनुदान जारी किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 244.86 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है।			
पूँजीगत:			
दत्तमत—			
(v) ₹ 289.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 290.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			

अनुदान संख्या 34—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5650—जिला निःशक्त

पुनर्वास केन्द्र—

मूल 90.00

पुनर्वि. (—)90.00

0.00

0.00

0.00

₹ 90.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(2) 4235—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

79—दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ

शालाए तथा संस्थाएं—

मूल 205.00

पुनर्वि. (—)200.00

5.00

5.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

**अनुदान संख्या 35—पुर्नवास
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

राजस्व	2,12,17	1,44,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		(—)67,67 18,01

टीका एवं टिप्पणियाः

राजस्व :

(i) ₹ 67.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 18.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2235—01—200—4625—स्थाई दायित्व गृह, माना

जिला रायपुर का संचालन—

मूल	152.52	107.92	(—)30.89
पुनर्वि.	(—)13.71	138.81	

₹ 30.89 लाख की बचत के विरुद्ध केवल ₹ 13.71 लाख को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित किया गया था। यह विनियोग स्तर पर निधियों की आवश्यकता के अवास्तविक आंकलन का संकेत है। पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में कमी एवं अंतिम बचत के अभ्यर्पण नहीं करने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। 2003—04 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2013—मंत्री परिषद

2041—वाहन कर

2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं

2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	83,76,85			
पूरक	3,20,00	86,96,85	50,35,24	(—)36,61,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				34,17,74
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	20,50	00	(—)20,50
(31 मार्च 2022)			50

पूंजीगत:

दत्तमत	12,26,20	3,00,83	(—)9,25,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			9,25,26
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 10.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 310.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 320.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 3,661.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 3,417.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2041—001—3565—मुख्यालय

स्थापना—

मूल	836.68		
पुनर्वि.	(—)301.79	534.89	533.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 301.79 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2041—001—5379—राज्य परिवहन

अपीलीय अधिकरण—

मूल	154.32		
पुनर्वि.	(—)62.90	91.42	91.39

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62.90 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(3) 2041—001—8333—सड़क सुरक्षा कोष से व्यय			
मूल 257.16 पुनर्वि. (—)167.43	89.73	89.73	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 301.79 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2041—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)

6370—व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म—			
मूल 841.00 पुनर्वि. (—)841.00	0.00	0.00	0.00

₹ 841.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2041—101—4280—संग्रह प्रभार—

मूल 2,911.34 पुनर्वि. (—)1,448.19	1,463.15	1,474.28	+11.13
--------------------------------------	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,448.19 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 11.13 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में निधियों के अभ्यर्पण के समय निधियों की आवश्यकता का उचित आंकलन नहीं किया गया था। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(6) 2041—102—679—एन्फोर्समेंट—

मूल 1,471.13 पूरक 10.00 पुनर्वि. (—)596.33	884.80	884.80	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 596.33 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007—08 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2070—114—3598—मोटर गैरेज—

मूल 1,285.12 पुनर्वि. 60.00	1,345.12	1,091.65	(—)253.47
--------------------------------	----------	----------	-----------

₹ 253.47 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की आवर्धन अनावश्यक थी। सम्पूर्ण बचत के समर्पण न करने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 20.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को किया गया केवल ₹ 0.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
2070—114—3598—मोटर गैरेज	20.00	0.00	(—)20.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 36—समाप्त

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) ₹ 925.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 925.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
(1) 5055—800—4280—संग्रह प्रभार—			
मूल 27.10 पुनर्वि. (—)27.10	0.00	0.00	0.00
(2) 5055—800—679—एन्फोसमेंट—			
मूल 871.00 पुनर्वि. (—)871.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 27.10 लाख एवं ₹ 871.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से सीधे बैंक खाते में राशि की प्राप्ति होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 37—पर्यटन

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिकय+
बचत(—)**मुख्य शीर्ष—****3452—पर्यटन****5452—पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय**

राजस्व	46,05,40	46,05,40	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00
(31 मार्च 2022)			

पूँजीगत	70,00,00	57,50,00	(-)12,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			12,50,00
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:**(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—**

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 5452—01—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7009—पर्यटन केन्द्रों का विकास— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)425.00	75.00	75.00	0.00
(2) 5452—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6380—सिरपुर एकीकृत विकास योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)425.00	75.00	75.00	0.00
(3) 5452—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6396—कुदरगढ़ में रोपवे निर्माण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)255.00	45.00	45.00	0.00
(4) 5452—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6397—दामाखेड़ा के अधोसंरचनात्मक विकास— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)60.00	40.00	40.00	0.00
(5) 5452—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6398—पर्यटन प्रोत्साहन योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)85.00	15.00	15.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 425.00 लाख, ₹ 425.00 लाख, ₹ 255.00 लाख, ₹ 60.00 लाख, एवं ₹ 85.00 लाख की कमी मांग होने पर भी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ हजार में)		

मुख्य शीर्ष—

2408—खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार

3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

4408—खाद्य, भंडारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय

6408—खाद्य भंडारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	23,33,04,73	पूरक	41,50,00	23,74,54,75	20,24,51,33	(-)3,50,03,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						3,49,99,04
(31 मार्च 2022)						

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	50	00	(-)50
(31 मार्च 2022)			50

पूँजीगत:

दत्तमत

मूल	24,02,20	पूरक	33,50,00	57,52,20	44,62,02	(-)12,90,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						12,90,18
(31 मार्च 2022)						

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 4,150.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे जहा आवश्यक हों, सांकेतिक राशि से सीमित किया जा सकता था।

(ii) ₹ 35,003.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 34,999.04 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2408—01—001—1471—जिला

कार्यालय—

मूल	2,906.80	पुनर्वि.	(-)548.82	2,357.98	2,356.73	(-)1.25
-----	----------	----------	-----------	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 548.82 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने, एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2408—01—001—629—उपभोक्ता

संरक्षण प्रकोष्ठ—

मूल	1,507.34	पुनर्वि.	(-)482.35	1,024.99	1,023.08	(-)1.91
-----	----------	----------	-----------	----------	----------	---------

अनुदान संख्या 39—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 498.90 लाख की कमी नौ जिला मंचों में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में देरी होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(–)
(3) 2408–01–001–0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7944—एकीकृत प्रबंधन—सार्वजनिक वितरण प्रणाली— मूल 141.60 पुनर्वि. (–)141.60	0.00	0.00	0.00

₹ 141.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से सीधे बैंक खाते में राशि की प्राप्ति होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2408–01–003–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण— मूल 400.00 पुनर्वि. (–)300.55	99.45	99.45	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.55 लाख के कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2408–01–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 580.00 पुनर्वि. (–)277.03	302.97	302.97	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 277.03 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2408–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3229—राज्य सहकारिता विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति— मूल 650.00 पुनर्वि. (–)650.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 650.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2408–01–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6839—मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना— मूल 1,69,508.50 पुनर्वि. (–)50,358.95	1,19,149.55	1,19,149.55	0.00
---	-------------	-------------	------

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 22,271.00 लाख एवं ₹ 28,087.95 लाख की बचत का कम अनुमान एवं विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 50,358.95 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(8) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6964—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढिकरण हेतु सहायता— मूल 53.00 पुनर्वि. (—)50.02 2.98 2.98 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.02 लाख का की कमी जिलो से निधि आबंटन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7906—त्योहार / मेलों हेतु दाल—भात केन्द्रों का संचालन— मूल 48.00 पुनर्वि. (—)48.00 0.00 0.00 0.00
--

₹ 48.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(10) 2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8674—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्य उपार्जन में हुये व्ययों की प्रतिपूर्ति— मूल 15,206.00 पूरक 4,150.00 पुनर्वि. (—)4,150.00 15,206.00 15,206.00 0.00
--

प्रावधान से ₹ 4,150.00 लाख की कमी के परिप्रेक्ष्य में कारण अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान में ₹ 4,150.00 लाख का आवर्धन करना अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण के माध्यम से कमी के कारण सूचित किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(11) 3475—106—6112—मुख्यालय एवं मंडल कार्यालय— मूल 733.95 पुनर्वि. (—)119.42 614.53 613.51 (—)1.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 119.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिकय द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

2408—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3248—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्य उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति— मूल 27,500.00 पुनर्वि. 22,271.00 49,771.00 49,771.00 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22,271.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 39—समाप्त

प्रभारित—

(v) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 6408—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6914—पहुंचविहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में
खाद्यान भंडारण हेतु

सहायता—

मूल	125.00			0.00
पुनर्वि.	(-)125.00	0.00	0.00	0.00

₹ 125.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 6408—02—190—0311—नाबाड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

8545—नाबाड सहायता से

गोदाम निर्माण—

मूल	2,250.00			
पूरक	3,350.00			
पुनर्वि.	(-)1,150.48	4,449.52	4,449.52	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,150.48 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2012—13 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211—परिवार कल्याण
- 2215—जलापूर्ति तथा सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236—पोषण
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
- 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
- 2425—सहकारिता
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्राम रोजगार
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2702—लघु सिंचाई
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
- 2851—ग्राम तथा लघु उधोग
- 2852—उद्योग
- 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जलापूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय
- 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4403—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय
- 4405—मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागारपर पूंजीगत परिव्यय
- 4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
- 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810—गैर—पारम्पारिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 5275—संचार/अन्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज
 6425—सहकारिता के लिए कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,62,42,98,19		
पूरक	6,01,19,19	1,68,44,17,38	1,38,84,40,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)29,59,76,50
(31 मार्च 2022)			26,68,31,46
 प्रभारित	 वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	 10	 (—)10
(31 मार्च 2022)		00	10

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	32,91,35,92		
पूरक	4,20,64,91	37,12,00,83	25,90,37,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)11,21,63,10
(31 मार्च 2022)			11,33,22,58
 प्रभारित	 वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	 15,00	 (—)15,00
(31 मार्च 2022)		00	15,00

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 38,66.31 लाख), दिसम्बर 2021 (₹ 17,047.69 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 4,402.19 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 60,119.19 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 2,95,976.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 2,66,831.46 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 41—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3491—माध्यमिक शालाएं—(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 80,059.39 पुनर्वि. (-)6,510.48 73,548.91 73,508.12 (-)40.79			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,510.48 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 91,077.40 पुनर्वि. (-)6,290.34 84,787.06 84,860.83 +73.77
--

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,385.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,905.34 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 6,290.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

495—आश्रम और शालाएं— मूल 30,282.40 पूरक 40.00 पुनर्वि. (-)4,867.59 25,454.81 25,454.81 +757.93

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,867.59 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं जिलों को निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। आधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में निधि के समर्पण के समय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2009-10 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5092—जवाहर उत्कर्ष योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)464.62 535.38 535.38 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 464.62 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2202-01-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8979—एकीकृत अम्बेला योजना— मूल 12,500.10 पूरक 480.00 पुनर्वि. (-)4,506.32 8,473.78 8,342.55 (-)131.23
--

समर्पण द्वारा ₹ 4,506.32 लाख की कमी भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2009-10 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			
(6) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1394—छात्राओं का गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम— सेवाओं के लिए)— मूल 4,300.00 पुनर्वि. (-)2,147.57	2,152.43	2,152.43	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,147.57 लाख की कमी निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियाँ— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)727.06	4,272.94	4,272.94	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 727.06 लाख की कमी योग्य उम्मीदवारों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7437—मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना— मूल 3,420.30 पुनर्वि. (-)1,371.20	2,049.10	2,047.71	(-)1.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,371.20 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं जिलों में निधि की आवश्यकता नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2202-01-796-111-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 41,800.00 पुनर्वि. (-)21,159.90	20,640.10	20,640.10	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 21,159.90 लाख की कमी भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 9,662.00 पूरक 1,018.36 पुनर्वि. (-)827.76	9,852.60	9,852.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 827.76 लाख की कमी बच्चों की संख्या के अनुसार खर्च किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(11) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—			
मूल 7,402.00			
पूरक 878.37			
पुनर्वि. (-)2,645.60	5,634.77	5,634.77	.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,645.60 लाख की कमी बच्चों की संख्या के अनुसार खर्च किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

- (12) 2202-02-796-106-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7765—मुख्यमंत्री अमृत योजना—			
मूल 271.00			
पुनर्वि. (-)271.00	0.00	0.00	0.00

₹ 271.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यालयों का संचालन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (13) 2202-02-796-109-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, [अनुच्छेद-275(i)]—			
मूल 5,000.00			
पुनर्वि. (-)1,814.11	3,185.89	3,185.89	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,814.11 लाख की कमी जिलों में निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

- (14) 2202-02-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा—			
मूल 14,440.00			
पुनर्वि. (-)11,008.88	3,431.12	3,431.12	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,008.88 लाख की कमी भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (15) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

1395—छात्रावास—			
मूल 26,909.50			
पुनर्वि. (-)5,279.52	21,629.98	21,653.82	+23.84

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,279.52 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं जिलों में निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 23.84 लाख का अधिक व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(16) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 90,432.95 पुनर्वि. (-)3,587.65	16,845.30	86,822.39	(-)22.91
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 350.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,237.65 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 3,587.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6140—छात्र भोजन सहायता योजना— मूल 1,300.00 पुनर्वि. (-)413.96	886.04	886.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 413.96 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2020-21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7363—युवा कैरियर निर्माण योजना— मूल 748.00 पुनर्वि. (-)535.66	212.34	322.18	+109.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 535.66 लाख की कमी निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने एवं जिलों में निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 109.84 लाख का आधिक व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7367—मॉडल स्कूल योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)300.00	300.00	300.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(20) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7592—खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न— मूल 2,880.00 पुनर्वि. (-)1,173.97	1,706.03	1,706.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,173.97 लाख की कमी निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 761—कन्या शिक्षा परिसर— मूल 1,039.50 पुनर्वि. (-)163.57	875.93	906.32	+30.39

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.57 लाख की कमी जिलों में निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 30.39 लाख का अधिक व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष		कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(–)
		अनुदान	व्यय	(₹ लाख में)

(22) 2202–02–796–109–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8549—विज्ञान वाणिज्य शिक्षा

प्रोत्साहन योजना—

मूल 317.50

पुनर्वि. (–)197.98

119.52

119.52

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.98 लाख की कमी निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2202–02–796–110–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

307—अशासकीय संस्थाओं

को अंशदान—

मूल 7,108.00

पुनर्वि. (–)883.59

6,224.41

6,805.33

+580.92

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 350.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,233.59 लाख की कमी निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने एवं जिलों में निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 883.59 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 580.92 लाख का अधिक व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2202–03–796–001–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा

अभियान—

मूल 800.00

पुनर्वि. (–)800.00

0.00

0.00

0.00

₹ 800.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(25) 2202–03–796–103–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

798—कला, विज्ञान एवं

वाणिज्य महाविद्यालय—

मूल 11,120.80

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (–)2,887.60

8,233.20

8,229.09

(–)4.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,887.60 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(26) 2203–796–102–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7445—सरगुजा विश्वविद्यालय में

इंजीनियरिंग कालेज—

मूल 250.00

पुनर्वि. (–)150.00

100.00

100.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(-)
(27) 2204—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6407—राज्य युवा महोत्सव— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)160.00 30.00 30.00 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

- (28) 2204—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6408—राज्य युवा मितान क्लब— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)700.00 1,200.00 1,199.00 (-)1.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 700.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय की स्वीकृति किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

- (29) 2204—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7819—युवा शक्ति योजना— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00 0.00 0.00 0.00
--

₹ 190.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना का क्रियान्वयन अधीन के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (30) 2205—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5377—मुक्ताकाश संग्रहालय— मूल 845.00 पूरक (-)607.56 237.44 237.44 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 607.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (31) 2210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6385—चिकित्सा विद्यालय सबंद्ध अस्पताल— मूल 9,083.30 पूरक 400.00 पुनर्वि. (-)3,598.15 5,885.15 5,866.44 (-)18.71

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,598.15 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (32) 2210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6389—सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय— मूल 160.00 पुनर्वि. (-)160.00 0.00 0.00 0.00
--

₹ 160.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(33) 2210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7397—छत्तीसगढ़ आक्रिमिक

चिकित्सा समाधान सेवा

योजना—

मूल 760.00

पुनर्वि. (-)304.00

456.00

456.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 304.00 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 2210—02—769—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय

चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना

707.90

541.67

(-)166.23

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 2210—03—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6611—प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ

इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन—

मूल 2,850.00

पूरक (-)2,275.00

575.00

575.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,275.00 लाख की कमी शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(36) 2210—03—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य

मिशन—

मूल 45,600.00

पूरक (-)324.90

45,275.10

45,275.10

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 324.90 लाख की कमी शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(37) 2210—03—796—198—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

2777—प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र—

मूल 13,101.40

पूरक संकेतिक

पुनर्वि. (-)408.85

12,692.55

12,994.25

+301.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 408.85 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 301.70 लाख का अधिक व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकड़ा को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(38) 2210—04—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना		3,530.90	2,620.41	(—)910.49
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई हैं।				
(39) 2210—04—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना		554.90	333.56	(—)221.34
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(40) 2210—05—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6386—सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय— मूल 9,876.40 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)3,016.86		6,859.54	6,856.81	(—)2.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,016.86 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(41) 2210—06—796—003—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 824.65 पुनर्वि. (—)333.10		491.55	491.06	(—)0.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 333.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(42) 2210—06—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 768.85 पुनर्वि. (—)253.96		514.89	514.39	(—)0.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 253.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(43) 2210—06—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 312.20 पुनर्वि. (—)139.23		172.97	172.55	(—)0.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.23 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(44) 2210—06—796—101—6390—मुख्यमंत्री हाट बाजार विलनिक—	मूल 494.00 पूरक 266.00 पुनर्वि. (-)116.83	643.17	323.17 (-)320.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.23 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक प्रावधान द्वारा ₹ 266.00 लाख का आवधन अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(45) 2210—06—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4244—मलेरिया—

मूल 1,957.49 पुनर्वि. (-)385.45	1,572.04	1,557.60	(-)14.44
------------------------------------	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 385.45 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(46) 2210—06—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
--

6441—कोविड—19 के संक्रमण का रोकथाम एवं उपचार—
मूल 3,800.00
पूरक 15,808.00
पुनर्वि. (-)20.34

19,587.66 15,032.66 (-)4,555.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 20.34 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(47) 2210—06—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
--

7679—टी.बी. के रोकथाम हेतु पोषण आहार—
मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00

0.00 0.00 0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(48) 2210—06—796—200—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
--

6362—डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना—
मूल 20,900.00 पुनर्वि. (-)373.43

20,526.57 15,868.24 (-)4,685.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 373.43 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 4,658.33 लाख अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में निधि के अभ्यर्पण के समय निधि की आवश्यकता का उचित अंकलन नहीं किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
(49) 2210—06—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6363—मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (—)1,900.00 0.00 0.00 0.00			

₹ 1,900.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(50) 2211—796—001—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 1508—जिला स्तरीय अमला— मूल 392.41 पुनर्वि. (—)224.00 168.41 167.26 (—)1.15
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 224.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(51) 2211—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 13,450.80 पुनर्वि. (—)1,193.09 12,257.71 12,268.16 +10.45
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,193.09 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकार्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(52) 2215—02—796—107—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 15,200.00 पुनर्वि. (—)15,200.00 0.00 0.00 0.00
--

₹ 15,200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(53) 2216—03—796—105—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7807—प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 45,600.00 पुनर्वि. (—)45,600.00 0.00 0.00 0.00
--

₹ 45,600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(54) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7706—अमृत मिशन— मूल 4,400.00 पुनर्वि. (-)3,857.19	542.81	542.81	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,857.19 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(55) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7709—सभी के लिए आवास योजना— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)2,092.72	4,907.28	4,907.28	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,092.72 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(56) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 335.50 पुनर्वि. (-)271.19	64.31	64.31	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 271.19 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(57) 2217-80-796-192-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7709—सभी के लिए आवास योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)836.57	2,163.43	2,163.43	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 836.57 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(58) 2225-02-796-001-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 244.00 पुनर्वि. (-)133.05	110.95	110.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.05 लाख की कमी देयक प्राप्त नहीं होने एवं निधि के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(59) 2225-02-796-102-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5024—आदिवासी विशेष

पिछड़ा वर्ग—

मूल 1,750.00

पुनर्वि. (-)1,022.52

727.48

727.48

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,022.52 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(60) 2225-02-796-102-0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित—

7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से

स्थानीय विकास कार्यक्रम—

मूल 8,000.00

पुनर्वि. (-)7,641.95

358.05

358.05

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,641.95 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(61) 2225-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

9853—आदिवासी संस्कृति का

परिरक्षण एवं विकास—

मूल 800.00

पुनर्वि. (-)281.64

518.36

518.36

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 281.64 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(62) 2225-02-796-277-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7627—व्यवसायिक प्रशिक्षण

योजनाएं—

मूल 578.00

पुनर्वि. (-)371.49

206.51

208.15

+1.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 371.49 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(63) 2230-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7632—युवा क्षमता विकास योजना—

मूल 100.00

पुनर्वि. (-)97.23

2.77

2.77

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(64) 2230-03-796-003-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7867—प्रधान मंत्री कौशल

विकास योजना—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (-)1,000.00

0.00

0.00

0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(65) 2230—03—796—003—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7955—जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण— मूल 570.00 पुनर्वि. (-)294.00	276.00	276.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 294.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(66) 2230—03—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 3,481.97 पुनर्वि. (-)809.28	2,672.69	2,679.76	+7.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 809.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 7.07 लाख का अधिक्य व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(67) 2230—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 3,385.00 पुनर्वि. (-)2,933.00	452.00	452.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,933.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(68) 2235—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 79—दृष्टि एवं श्रवण बधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं— मूल 589.15 पुनर्वि. (-)230.78	358.37	358.84	+0.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.78 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(69) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना)— मूल 6,568.26 पूरक 607.00 पुनर्वि. (-)3,711.83	3,463.43	3,463.43	0.00
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 607.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,711.83 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(70) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7884—प्रधान मंत्री मातृ वंदना— मूल 1,375.18 पुनर्वि. (—)137.41 1,237.77 1,237.77 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.41 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(71) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 39,927.90 पुनर्वि. (—)3,835.86 36,092.04 36,097.20 +5.16			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,835.86 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 5.16 लाख का आधिकय व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(72) 2235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण— मूल 630.51 पुनर्वि. (—)174.58 455.93 460.19 +4.26			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 174.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 4.26 लाख का आधिकय व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(73) 2235—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7680—आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई घटक— मूल 821.00 पुनर्वि. (—)183.82 637.18 637.18 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(74) 2235—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 400.00 पुनर्वि. (—)400.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के अंत में योजना प्रारम्भ करने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(—)
(75) 2235—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना— मूल 722.00 पुनर्वि. (-)122.59 599.41 519.41 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 122.79 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण शासन द्वारा विवाह कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(76) 2236—02—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 26,098.49 पुनर्वि. (-)6,143.79 19,954.70 19,954.70 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,143.79 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(77) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6359—मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (-)2,011.23 288.77 288.77 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,011.23 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(78) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7747—महतारी जतन योजना— मूल 1,396.00 पुनर्वि. (-)283.43 1,112.57 1,112.57 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 283.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(79) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 2,245.00 पुनर्वि. (-)1,003.58 1,241.42 1,260.95 +19.53			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,003.58 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 19.53 लाख का अधिक व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का घोतक है। 2007-08 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(80) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 4,560.00 पुनर्वि. (-)4,425.37	134.63	134.63	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,425.37 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(81) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7258—राष्ट्रीय मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम— मूल 346.35 पुनर्वि. (-)207.61	138.74	138.74	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 207.61 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(82) 2401-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6438— राजीव गांधी किसान न्याय योजना— मूल 2,16,700.00 पुनर्वि. (-)4,796.83	2,11,903.17	2,11,903.17	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,796.83 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(83) 2401-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7264—एन. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)158.88	241.12	241.12	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 158.88 लाख की कमी निधि के जारी में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(84) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 3,070.00 पुनर्वि. (-)167.61	2,902.39	2,902.39	+0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 167.61 लाख की कमी छत्तीगढ़ बीज निगम से दावे विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
(85) 2401-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6448—गोधन न्याय योजना— मूल 6,650.00 पुनर्वि. (-)4,467.60 2,182.40 2,182.40 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,467.60 लाख की कमी जिलों से मांग अनुसार निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(86) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 5,480.00 पुनर्वि. (-)4,748.59 731.41 731.41 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,748.59 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि के द्वितीय किश्त जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(87) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7266—एन.एम.एस.ए. रेन फेड ऐरिया डेवलपमेंट योजना— मूल 704.00 पुनर्वि. (-)563.04 140.96 140.96 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 563.04 लाख की कमी वर्ष के अंत में केन्द्रांश जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(88) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट स्कीम— मूल 711.00 पुनर्वि. (-)611.87 99.13 99.13 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 611.87 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(89) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,920.00 पुनर्वि. (-)1,689.45 230.55 230.55 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,689.45 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(90) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 1,770.00 पुनर्वि. (-)919.39	850.61	850.61	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 919.39 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कार्यक्रम का प्रबंधन एवं प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(91) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 4,017.00 पुनर्वि. (-)3,817.67	199.33	199.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,817.67 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(92) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7833—रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाइल (आर.पी.एस.)— मूल 152.00 पुनर्वि. (-)152.00	0.00	0.00	0.00
₹ 152.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(93) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 6,145.00 पुनर्वि. (-)6,006.87	138.13	138.13	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,027.10 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,979.77 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा योजना का अनुमोदन नहीं किये जाने के प्रावधान से ₹ 6,006.87 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(94) 2401-796-108-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5549—गन्ना कृषकों को बोनस— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,162.55	837.45	837.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,162.55 लाख की कमी सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(95) 2401—796—109—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन

ऑन एग्रीकल्चर

एक्सटेंशन—

मूल 1,520.00

पुनर्वि. (-)897.32

622.68

622.68

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 897.32 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(96) 2401—796—113—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन

अंतर्गत कृषि यंत्रों

पर अनुदान—

मूल 2,850.00

पुनर्वि. (-)1,713.38

1,136.62

1,136.62

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,713.38 लाख की कमी समय से निधि जारी नहीं होने एवं बैंकों द्वारा कृषि मशीनरी के लिए ऋण प्रक्रिया में विलम्ब किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(97) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना(सामान्य)—

मूल 1,280.00

पुनर्वि. (-)990.25

289.75

289.75

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 990.25 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(98) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7258—नेशनल मिशन आन

आईलसीड़स एन्ड

आईलपाम—

मूल 320.00

पुनर्वि. (-)310.80

9.21

9.21

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 310.80 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत निधि हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(99) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई

योजना—

मूल 1,600.00

पुनर्वि. (-)954.38

645.62

645.62

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 954.38 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत निधि हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(100) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— पूरक 6,560.00 पुनर्वि. (—)4,263.70	2,296.30	2,296.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,263.70 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत निधि हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(101) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7874—नेशनल मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (एन.एम.एस.ए.)— पूरक 228.00 पुनर्वि. (—)209.90	18.10	18.10	000
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 209.90 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत निधि हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(102) 2401—796—119—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7947—एन.एम.एस.ए. के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन— पूरक 384.00 पुनर्वि. (—)341.46	43.54	42.54	000
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 341.46 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत निधि हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(103) 2401—796—119—0312—नाबार्ड प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7854—नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना— मूल 380.00 पुनर्वि. (—)242.19	137.81	137.81	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 242.19 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत निधि हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(104) 2401—796—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6353—चिराग योजना— मूल 6,750.00 पुनर्वि. (—)3,020.00	3,730.00	3,730.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,020.00 लाख की कमी निधि के विमुक्ति अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(105) 2402—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 3,800.00 पुनर्वि. (—)3,416.47	383.53	383.53	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,416.47 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के विमुक्त अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(–)
(106) 2403–796–101–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5620—पशु रोग नियंत्रण— मूल 280.00 पुनर्वि. (–)180.00 100.00 100.00 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(107) 2403–796–101–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7826—बकरी रोग नियंत्रण (पीपीआर सीपी)— मूल 100.00 पुनर्वि. (–)100.00 0.00 0.00 0.00
--

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(108) 2403–796–101–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 250.00 पुनर्वि. (–)243.31 6.69 6.69 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.31 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(109) 2403–796–108–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,615.00 पुनर्वि. (–)971.86 643.14 643.14 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 971.86 लाख की कमी के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(110) 2405–796–101–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(सामान्य)— मूल 700.00 पुनर्वि. (–)384.47 315.53 315.53 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 384.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013–14 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(111) 2406—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2962—बिगड़े वनों का सुधार— मूल 10,580.00 पुनर्वि. (—)861.34	9,718.66	9,987.01	+268.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 861.34 लाख की कमी के बन विभाग के नये कार्यों की स्वीकृति में विलम्ब हो के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 268.35 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का घोतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(112) 2406—01—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6827—भूजल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 1,299.00 पुनर्वि. (—)147.78	1,151.22	1,151.023	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.78 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(113) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2533—हरियाली प्रसार योजना— मूल 882.00 पुनर्वि. (—)389.53	492.47	492.47	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 389.53 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने कारण उल्लिखित की गई है।			
(114) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4475—सामाजिक वानिकी— मूल 375.00 पुनर्वि. (—)232.99	142.01	142.01	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 232.99 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं अधीनस्थ अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(115) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5091—लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (—)149.75	150.25	158.78	+8.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.75 लाख की कमी निधि हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 8.53 लाख का अधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का घोतक है।			
(116) 2406—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 3,160.50 पुनर्वि. (—)640.42	2,520.08	2,245.10	(—)274.98

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 640.42 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वित्त वर्ष समाप्त होने के पहले व्यय नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकार्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(117) 2406–01–796–102–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6854—लाख विकास

योजना—

मूल	200.00
पुनर्वि.	(–)200.00

0.00

0.00

0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(118) 2406–01–796–105–0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5231—लघु वनोपज कार्य हेतु

लघु वनोपज संघ को

अनुदान—

मूल	3,000.00
पुनर्वि.	(–)3,000.00

0.00

0.00

0.00

₹ 3,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(119) 2406–01–796–105–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6373—लघु वनोपज प्रसंस्करण

हेतु अनुदान—

मूल	3,500.00
पुनर्वि.	(–)3,500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 3,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन के साथ ही भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(120) 2406–02–796–110–0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6771—अचानकमार अमरकंटक

बायोस्फेर रिजर्व

का विकास—

मूल	334.40
पुनर्वि.	(–)334.40

0.00

0.00

0.00

₹ 334.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(121) 2406–02–796–110–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

3730—प्रोजेक्ट टाईगर—

मूल	2,300.00
पुनर्वि.	(–)1,571.29

728.71

728.71

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,571.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2009–10 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(122) 2406—02—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 426.40 पुनर्वि. (-)186.61	239.79	223.04	(-)16.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 186.61 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(123) 2406—04—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7261—राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 350.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई दृष्टिगत हुई है।			
(124) 2406—04—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7856—ग्रीन इंडिया मिशन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(125) 2408—01—796—003—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण— मूल 304.00 पुनर्वि. (-)228.42	75.58	75.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(126) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति— मूल 494.00 पुनर्वि. (-)494.00	0.00	0.00	0.00
₹ 494.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(127) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना— मूल 1,29,573.58 पुनर्वि. (-)39,019.92	90,553.66	90,553.66	0.0
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39,019.92 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(128) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7994—गुड़ वितरण योजना— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (—)649.83 4,350.17 4,350.17 0.0			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 649.83 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(129) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8674—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुये व्ययों की प्रतिपूर्ति— मूल 11,556.60 पूरक 3,154.00 पुनर्वि. (—)3,154.04 11,556.56 11,556.56 0.0

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,154.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं कए गए हैं (जुलाई 2022)। यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान था, ₹ 3,154.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(130) 2425—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 10,462.54 पुनर्वि. (—)2,285.54 8,177.00 8,177.00 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,285.54 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(131) 2425—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7889—प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण— मूल 380.00 पुनर्वि. (—)380.00 0.00 0.00 0.00

₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(132) 2501—06—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकामिशन— मूल 15,200.00 पूरक 2,600.52 पुनर्वि. (—)8,739.32 9,061.20 9,061.20 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,739.32 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्त अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 2,600.52 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 2013—14 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(133) 2501—06—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8775—प्रशासन योजना जिला स्तर— मूल 634.24 पुनर्वि. (—)505.47	128.77	128.77	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 505.47 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(134) 2505—60—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना— मूल 60,800.00 पूरक 1,900.00 पुनर्वि. (—)1,898.74	60,801.26	60,801.26	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,898.74 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(135) 2515—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा— मूल 3,521.75 पुनर्वि. (—)746.50	2,775.25	2,775.48	+0.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 746.50 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(136) 2702—03—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5707—शाकम्बरी योजना— मूल 494.00 पुनर्वि. (—)168.70	325.30	325.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.70 लाख की कमी बीज निगम द्वारा कम राशि के देयक प्रस्तुत करने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(137) 2810—03—796—800—0410—ऊर्जा विकास निधि— 3188—ऊर्जा विकास संस्था को सहायक अनुदान— मूल 950.00 पुनर्वि. (—)332.50	617.50	617.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.50 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(138) 2851—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6193—खादी बोर्ड के परिवार मूलक ईकाइयों को स्थापना हेतु सहायता— मूल 262.35 पुनर्वि. (—)157.41	104.94	104.94	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.41 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(139) 2851-796-107-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 164—गैरसर्विक टसर कोसा उत्पादन विकास योजना— मूल 873.60 पुनर्वि. (-)432.35 441.25 441.25 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 432.35 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण कैम्प तथा रैली का आयोजन नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(140) 2851-796-107-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5662—पालित प्रजाति के कृषि पालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह— मूल 1,077.80 पुनर्वि. (-)104.94 972.86 970.78 (-)2.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.94 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण टसर कोकून का कम उत्पादन होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(141) 2852-80-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5385—नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना— मूल 1,560.00 पुनर्वि. (-)1,410.00 150.00 150.00 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,410.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5216—हाई स्कूल 35,035.72 37,964.12 +2,928.40			
अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(2) 2202-02-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5551—हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय— मूल 2,500.00 पुनर्वि. 298.68 2,798.68 2,798.68 0.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.32 लाख की कमी मुफ्त साइकिल वितरण के लिए निधि की आवश्यकता होने के कारण प्रावधान में ₹ 298.68 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2202-02-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 110—अशासकीय विद्यालय को अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)22.54 3,177.46 4,284.09 +1,106.63			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,085.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,107.54 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि के मांग प्राप्त नहीं होने के प्रावधान में ₹ 22.54 लाख की कमी के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 1,106.63 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है।

(4) 2210-01-796-196-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

1473—जिला अस्पताल— मूल 11,726.58 पूरक 1,990.00 पुनर्वि. (-)571.78 13,144.80 14,277.79 +1,132.99
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 571.78 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 1,132.99 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है।

(5) 2210-03-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 8,339.00 पूरक संकेतिक पुनर्वि. (-)459.62 7,879.38 12,302.93 +4,423.55

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 459.62 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 4,423.55 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। 2012-13 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(6) 2210-03-796-198-0102—अनुसूचित जनजाति

उपयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 4,352.85 पुनर्वि. (-)82.69 4,270.16 7,315.45 +3,045.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.69 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 3,045.29 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन का द्योतक है। 2012-13 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(7) 2210-06-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6441—कोविड-19 के संक्रमण का रोकथाम एवं उपचार 14,300.00 23,833.33 +9,533.33

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2401—796—108—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,127.10 1,127.10 1,127.10 0.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,127.10 लाख का आवर्धन राज्य के सात जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली का क्रियान्वयन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2401—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 18,780.00 पुनर्वि. 831.56 19,611.56 19,611.56 0.00
--

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 900.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 68.44 लाख की कमी बीमा कंपनियों का भुगतान के लिए निधि की आवश्यकता एवं बीमा कंपनी से बीमा दावा बिलों की प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 831.56 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(10) 2408—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)— 3248—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति— मूल 20,900.00 पुनर्वि. 17,673.08 38,573.08 38,573.08 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,673.08 लाख का आवर्धन बैंकों को भुगतान के लिए धन की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से बहुत कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 38,646.38 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹ 3,418.52 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 42,064.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) ₹ 1,12,163.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 1,13,322.57 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4202—01—796—201—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7657—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (−)100.00 100.00 100.00 0.00			

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी निधि के विमुक्त अनुसार आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			

(2) 4202–01–796–202–1202–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)–

1400–विवेकानन्द गुरुकुल

उन्नयन योजना—

मूल 1,600.00

पुनर्वि. (–)1,600.00

0.00

0.00

0.00

₹ 1,600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4202–01–796–202–1002–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)–

1400–विवेकानन्द गुरुकुल

उन्नयन योजना—

मूल 5,500.00

पुनर्वि. (–)5,500.00

0.00

0.00

0.00

₹ 5,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2010–11 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 4202–01–796–202–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

9840–शैक्षणिक संस्थाओं के

भवनों का निर्माण—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (–)221.61

778.39

778.39

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 221.61 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4202–02–796–103–1002–अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

8935–लाइवलीहुड

कालेज—

मूल 100.00

पुनर्वि. (–)100.00

100.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4202–02–796–103–0702–केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)–

7438–स्टेट स्किल

डेव्हलपमेंट मिशन—

मूल 1,000.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (–)654.96

345.04

345.04

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 654.96 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012–13 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षन्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(7) 4202—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—ऑद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 4202—02—796—104—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलिटेक्निक संस्थाएं— मूल 1,282.10 पुनर्वि. (-)1,008.55 273.55 273.55 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,008.55 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने, संस्थाओं द्वारा व्यय नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4202—02—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7445—सजगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(10) 4210—01—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6358—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4210—01—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7668—बन्द एवं ट्रामा सेंटर— मूल 138.00 पुनर्वि. (-)138.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 138.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 300.10 पूरक 2,200.00 पुनर्वि. (-)787.85 1,712.25 1,712.25 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 787.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(13) 4210—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 3,079.70 पुनर्वि. (—)1,013.02 2,066.68 2,066.69 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,013.02 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4210—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 1,193.70 पूरक 10.00 पुनर्वि. (—)112.87 1,090.83 1,090.83 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 112.87 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4210—03—796—105—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6386—चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 25,000.10 पुनर्वि. (—)20,000.10 5,000.00 5,000.00 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 20,000.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6386—चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 5,300.00 पुनर्वि. (—)243.41 5,056.59 5,056.59 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4215—01—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6383—जल जीवन मिशन योजना— मूल 31,187.24 पूरक 20,707.00 पुनर्वि. (—)17,212.00 34,682.24 34,682.24 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17,212.00 लाख की कमी राज्यांश के अनुरूप तथा केन्द्रांश के विसुवित के आधार पर निधि का आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4215—01—796—102—0312—नाबार्ड सहायता योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7858—सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (—)125.18 274.82 189.82 (—)85.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.18 लाख की कमी निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(19) 4215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2715—प्रशासन— मूल 522.45 पुनर्वि. (—)297.62 224.83 224.83 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 297.62 लाख की कमी निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6420—गोठानों में नलकुप खनन— मूल 380.00 पुनर्वि. (—)193.28 186.72 186.72 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.28 लाख की कमी जिलों से निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(21) 4215—01—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7962—मिनीमाता अमृत धारा नल योजना— मूल 418.00 पुनर्वि. (—)19.55 398.45 58.45 (—)340.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19.55 लाख की कमी निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(22) 4225—02—796—102—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1))— मूल 12,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (—)575.25 11,424.75 11,424.58 (—)0.17			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 575.25 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(23) 4225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5024—आदिवासी विशेष पिछ़ड़ा वर्ग— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)680.37 319.63 319.63 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 680.37 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(24) 4225—02—796—102—0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (—)17,856.41 143.59 143.59 0.00			

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17,856.41 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(25) 4225—02—796—800—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 464.82 पुनर्वि. (-)464.82	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 464.82 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 4225—02—796—800—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7844—शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.30	+0.30
₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4235—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5650—जिला निःशुल्क पुनर्वास केन्द्र— मूल 110.00 पुनर्वि. (-)110.00	0.00	0.00	0.00
₹ 110.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(28) 4235—02—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 1,204.00 पुनर्वि. (-)1,204.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,204.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(29) 4235—02—796—103—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7971—कामकाजी महिला हॉस्टल भवन निर्माण— मूल 265.00 पुनर्वि. (-)265.00	0.00	0.00	0.00
₹ 265.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(30) 4235—02—796—103—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8680—अनुसूचित जनजाति उपयोजना बागवानी विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 4401—796—119—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7970—प्लग टाइप यूनिट की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा स्वीकृति नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 4415—01—796—277—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9182—इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय— मूल 700.00 पुनर्वि. (—)700.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि विमुक्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(33) 4425—796—108—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7678—सहकारी संस्थाओं के लिए अंश पूँजी— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (—)2,000.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 2,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान परियोजना कार्यान्वयन के अधीन होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 4425—796—200—0312—नाबार्ड सहायता योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 0.01 पूरक 108.50 पुनर्वि. (—)108.51 0.00 0.00 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.51 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 4515—796—102—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन— मूल 3,800.00 पुनर्वि. (—)3,592.90 207.10 207.10 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,592.90 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश का आहरण किए जाने कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(36) 4515—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6437—ग्रामीण क्षेत्रों में गौठान निर्माण—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(—)100.00	0.00	0.00
₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			0.00
(37) 4700—03—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2898—बांध एवं संलग्न कार्य—			
मूल	1,990.10		
पुनर्वि.	(—)1,410.68	579.42	578.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,410.68 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं वृक्षारोपण मुआवजा हेतु राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।		(—)0.45	
(38) 4700—80—796—005—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(—)1,122.32	877.68	879.83
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,122.32 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		+2.15	
(39) 4701—17—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य—			
मूल	102.00		
पुनर्वि.	(—)102.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन से ₹ 60.00 लाख एवं समर्पण से ₹ 42.00 लाख द्वारा ₹ 102.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भूमि मुआवजे का भुगतान नहीं होने, निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं शासन से योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।		0.00	
(40) 4701—24—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य—			
मूल	1,550.00		
पुनर्वि.	(—)242.88	1,307.12	1,306.99
पुनर्विनियोजन से ₹ 500.00 लाख एवं समर्पण से ₹ 742.88 लाख द्वारा प्रावधान से ₹ 242.88 लाख की कमी भूमि मुआवजे का भुगतान नहीं होने, निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		(—)0.13	
(41) 4701—25—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366—मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(—)100.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।		0.00	

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(42) 4701-29-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल 1,005.00 पुनर्वि. (-)1,005.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,005.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरण का निराकरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(43) 4701-31-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
₹ 150.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भूमि अधिग्रहण के प्रकरण का निराकरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(44) 4701-34-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल 1,010.00 पुनर्वि. (-)952.65	57.35	69.01	+11.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 952.65 लाख की कभी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के बाद ₹ 11.66 लाख आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि को अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(45) 4701-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कभी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(46) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
3828-लघु सिंचाई योजना-			
मूल 28,000.00 पूरक 360.22 पुनर्वि. (-)8,512.13	19,848.09	20,690.06	+841.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,512.13 लाख की कभी वन विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने, नये योजन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के अनूपूरक अनुदान एवं समर्पण के पश्चात ₹ 841.97 लाख का आधिक्य व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(47) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-			
5059-एनीकट / स्टॉपडेम का निर्माण-			
मूल 5,000.00 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)1,411.39	3,598.61	3,608.84	+10.23

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,411.39 लाख की कमी नये योजन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के अनूपूरक अनुदान एवं समर्पण के पश्चात ₹ 10.23 लाख का आधिक्य व्यय निधि की अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
		(₹ लाख में)	

(48) 4702–796–102–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

7422—औद्यौगिक जल

संरचना निर्माण—

मूल	6,000.00			
पुनर्वि.	(–)5,838.24	161.76	161.76	0.00

₹ 700.00 लाख का पुनर्विनियोजन एवं ₹ 5,138.24 लाख का समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,838.24 लाख की कमी नये योजन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2012–13 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(49) 4702–796–800–0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6354—बांध पुर्नवास एवं

सुधार प्रोजेक्ट—

मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(–)1,000.00	0.00	0.00	0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(50) 4801–06–796–800–0410—ऊर्जा विकास निधि—

6758—कृषि पंपों का

ऊर्जाकरण—

मूल	5,700.00			
पूरक	5,833.76			
पुनर्वि.	(–)5,033.76	6,500.00	6,500.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,033.76 लाख की कमी उपरोक्त योजना का व्यय की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विकास निधि से होने के कारण उल्लिखित की गई है। पूरक प्रावधान द्वारा ₹ 5,833.76 लाख का आवर्धन आधिक्य साबित हुआ।

(51) 4810–796–101–0410—ऊर्जा विकास निधि—

7693—सोलर पंप हेतु

सहायक अनुदान—

मूल	1,140.00			
पुनर्वि.	(–)399.00	741.00	741.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 399.00 लाख की कमी उपरोक्त योजना का व्यय की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विकास निधि से होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(52) 4851–796–101–0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों

की स्थापना—

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(–)500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(53) 5054—04—796—0101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4871—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (—)2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

₹ 2,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(54) 5054—04—796—337—0312—नाबाड सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 7,866.00 पुनर्वि. (—)2,249.82	5,616.18	6,023.89	+407.71
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,249.82 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के बाद ₹ 407.71 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(55) 5054—04—796—101—0312—नाबाड सहायता योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 3,078.00 पुनर्वि. (—)2,340.30	737.70	1,165.46	+427.76
---	--------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,340.30 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के बाद ₹ 427.76 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(56) 5054—04—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3,000.00 0.00 (—)3,000.00

₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(57) 6408—02—796—190—0312—नाबाड सहायता योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8545—नाबाड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 1,710.00 पूरक 2,546.00 पुनर्वि. (—)874.37	3,381.63	3,381.63	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 874.37 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—समाप्त

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4202—01—796—202—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

9005—ईमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण
कार्य एवं मरम्मत—

मूल	1,500.00			
पुनर्वि.	(—)0.02	1,499.98	1,624.98	+125.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.02 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(2) 4215—01—796—102—0312—नाबाड़ सहायता योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5403—पाइप द्वारा ग्रामीण

जल प्रदाय योजना—

मूल	250.00			
पुनर्वि.	(—)57.29	192.71	617.71	+425.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.29 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् ₹ 425.00 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(3) 4702—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4416—सर्वे—

मूल	1,000.00			
पूरक	20.00			
पुनर्वि.	535.88	1,555.88	1,599.27	+43.39

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 164.12 लाख की कमी लम्बित देयकों के भुगतान एवं कार्यों को धीमी प्रगति होने से प्रावधान में ₹ 535.88 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(4) 5054—04—796—337—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

4855—प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना—

मूल	51,300.00			
पुनर्वि.	693.27	51,993.27	54,993.27	+3,000.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,306.73 लाख की कमी निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के पुनर्विनियोजन के बाद ₹ 3,000.00 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित—

(x) ₹ 15.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल
(सभी दत्तमत)**

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सड़कें एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	9,60,71,00			
पूरक	2	9,60,71,02	5,45,71,28	(-)4,14,99,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,20,26,61
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

दत्तमत—

(i) ₹ 41,499.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 42,026.61 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 5053—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4727—हवाई पट्टियों का

निर्माण एवं विस्तार—

मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)169.34	230.66	233.91

(2) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4149—वृहद पूलों का

निर्माण—

मूल	12,450.00		
पुनर्वि.	(-)1,789.70	10,660.30	10,745.80

(3) 5054—03—796—337—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3710—राज्यों के राजमार्ग—

मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,091.82	908.18	922.77

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 169.34 लाख, ₹ 1,789.70 लाख एवं ₹ 6,091.82 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् उपरोक्त शीर्षों में अधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आंकलन को दर्शाता है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 5054—04—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6479—आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.

(आर.आर.पी.) फेस—3—

मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,200.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(5) 5054—04—796—101—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—
7842—आर. आर. पी.

फेस-II—

मूल	2,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)2,000.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,200.00 लाख एवं ₹ 2,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054—04—796—101—0312—नाबाड पोषित योजनाएं—
(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)

7676—जवाहर सेतु

योजना—

मूल	1,900.00	1,590.08	1,644.94	+54.86
पुनर्वि.	(—)309.92			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 309.92 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 54.86 लाख का आधिकय व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(7) 5054—04—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4871—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों

पर पुलों का निर्माण—

मूल	110.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)110.00			

(8) 5054—04—796—337—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7842—आर. आर. पी.

फेस-II—

मूल	23,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)23,000.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 110.00 लाख एवं ₹ 23,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 5054—04—796—337—0312—नाबाड पोषित योजनाएं—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)

6590—नाबाड ऋण सहायता के

अंतर्गत ग्रामीण मार्गों

का निर्माण—

मूल	8,000.00	663.25	666.74	+3.49
पुनर्वि.	(—)7,336.75			

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 969.35 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 7,336.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(10) 5054-04-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3539—मुख्य जिला
सङ्कें—
मूल 11,000.00
पुनर्वि. (-)3,654.61

7,345.39 7,376.25 +30.86

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,154.61 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 3,654.61 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 5054-04-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6484—मुख्यमंत्री धरसा
विकास योजना—
मूल 380.00
पुनर्वि. (-)380.00

0.00 0.00 0.00

₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 5054-04-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

2457—न्यूनतम आवश्यकता
कार्यक्रम—
मूल 18,410.00
पुनर्वि. 2,678.18

21,088.18 21,317.69 +229.51

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 321.82 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार संविदात्मक दायित्व का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 2,678.18 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 5054-04-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6450—मुख्यमंत्री सुगम
सङ्केत योजना—
मूल 2,500.00
पुनर्वि. 1,495.34

3,995.34 3,995.34 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.66 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार संविदात्मक दायित्व का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 1,495.34 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(—)
-----------------------------	------------------	--------------	------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
 पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत— वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	70,64,05	35,35,22	(—)35,28,83 35,28,31
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	30	00	(—)30 30

पूँजीगत:

दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	1,69,50	1,57,45	(—)12,05 12,05
---	---------	---------	-------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 3,528.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 3,528.31 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2204—103—2323—निर्देशन एवं

प्रशासन—

मूल	967.95			
पुनर्वि.	(—)369.73	598.22	597.71	(—)0.51

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 369.73 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं कोविड-19 महामारी में व्यय कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2019—20 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5429—युवक कल्याण

गतिविधियाँ—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(—)84.05	115.95	115.95	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.05 लाख की कमी प्रशिक्षार्थियों को छात्रावास में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने तथा कोविड-19 महामारी के लिए निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 84.05 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6407—राज्य युवा

महोत्सव—

मूल	250.00			
पुनर्वि.	(—)200.00	50.00	50.00	0.00

अनुदान संख्या 43—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में व्यय कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	
(4) 2204-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6408—राज्य युवा मितान क्लब—			
मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)555.27	1,944.73	1,944.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 555.27 लाख की कमी आवश्यकतानुसार निधि की स्वीकृति किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2204-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6409—मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना—			
मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
(6) 2204-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7819—युवा शक्ति योजना—			
मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधानयोजना के क्रियान्वयन में तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2204-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
1190—ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता—			
मूल 75.00 पुनर्वि. (-)51.06	23.94	23.94	0.00
(8) 2204-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5223—खिलाड़ियों को प्रोत्साहन—			
मूल 250.00 पुनर्वि. (-)130.97	119.03	119.03	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 51.06 लाख एवं ₹ 130.97 लाख की कमी कोविड-19 महामारी व्यय में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2204-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6367—खेल प्राधिकरण—			
मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी योजना के क्रियान्वयन में तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2204-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7296—खेल अकादमी—			
मूल 368.92 पुनर्वि. (-)197.67	171.25	171.24	(-)0.01

अनुदान संख्या 43—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 247.67 लाख की कमी प्रशिक्षार्थियों को छात्रावास में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने तथा वास्तविक आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 197.67 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकार्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(11) 2204–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7473–37 ^{वै} राष्ट्रीय खेल—			
मूल	1,350.00		
पुनर्वि.	(–)1,350.00	0.00	0.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,350.00 लाख की कमी योजना के क्रियान्वयन में तौर—तरीकों को अंतिम रूप दिये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(12) 2204–104–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7777—खेल प्रशिक्षण अकादमी—			
मूल	189.18		
पुनर्वि.	(–)124.28	64.90	64.90
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 139.28 लाख की कमी योजना के क्रियान्वयन में तौर—तरीकों को अंतिम रूप दिये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 124.28 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
प्रभारित			
(iii) ₹ 0.30 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ हजार में)	आधिकर्य+ बचत(—)
-----------------------------	------------------	--------------	--------------------

मुख्य शीर्ष –

2202—सामान्य शिक्षा

4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	8,01,51,55		
पूरक	सांकेतिक	8,01,51,55	6,31,92,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			(-)1,69,58,75 1,79,13,29

प्रभारित	1,10	00	(-)1,10 1,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			

पूँजीगत :

दत्तमत	6,22,50	6,27	(-)6,16,23 6,16,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 16,958.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 17,913.29 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकर्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2202—03—001—3443—महाविद्यालयीन शिक्षा

संचालनालय—

मूल	1,402.40		
पुनर्वि.	(-)787.10	615.30	614.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 787.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं प्रशिक्षण प्रदान नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—03—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8971—राष्ट्रीय उच्चतर

शिक्षा अभियान—

मूल	6,711.80		
पुनर्वि.	(-)6,686.89	24.91	24.91

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,686.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश अप्राप्त रहने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
(3) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7238-इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़— मूल 1,696.00 पुनर्वि. (-)317.60 1,378.40 1,378.40 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 317.60 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7656-दुर्ग विश्वविद्यालय— मूल 530.00 पुनर्वि. (-)318.00 212.00 212.00 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 318.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9948-विश्वविद्यालय पैशन भुगतान योजना— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)184.00 1,216.00 1,216.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना— मूल 445.00 पुनर्वि. (-)119.93 325.07 323.69 (-)1.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 119.93 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 56,649.85 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)7,906.78 48,743.07 48,725.18 (-)17.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,906.78 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2202-03-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान— मूल 4,700.00 पुनर्वि. (-)1,040.07 3,659.93 4,634.68 +974.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,040.07 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 974.75 लाख का आधिकय व्यय के परिप्रेक्ष्य में निधि के समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के पर्याप्त आकलन नहीं कया गया था। अत्यधिक अंतिम आधिकय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(9) 2202-03-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7364—अनुदान प्राप्त महाविद्यालय पेशन योजना—			
मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)520.00	680.00	680.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 520.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)

(1) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

5205—रविशंकर विश्वविद्यालय,
रायपुर—

मूल 100.00
पुनर्वि. (-)100.00

0.00 0.00 0.00

(2) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

6414—रायगढ़ विश्वविद्यालय—

मूल 100.00
पुनर्वि. (-)100.00

0.00 0.00 0.00

(3) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय,
खैरागढ़—

मूल 150.00
पुनर्वि. (-)150.00

0.00 0.00 0.00

(4) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

7656—दुर्ग विश्वविद्यालय—

मूल 100.00
पुनर्वि. (-)100.00

0.00 0.00 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान से क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 150.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2015-16 से 2020-21 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिकर्य+
बचत(—)**मुख्य शीर्ष—****2702—लघु सिंचाई**

4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	79,47,36	70,09,59	(—)9,37,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			9,69,96
(31 मार्च 2022)			

पूंजीगत:

मूल	3,74,51,00	3,75,52,22	3,20,75,37	(—)54,76,85
पूरक	1,01,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				53,83,21

(31 मार्च 2022)

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

(i) ₹ 937.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 969.96 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकर्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2702—03—101—207—अन्य लघु सिंचाई

निर्माण कार्य—

मूल	4,479.50	3,994.81	4,027.31	+32.50
पुनर्वि.	(—)484.69			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 484.69 लाख की कमी विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, विभिन्न भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य की आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिकर्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2702—03—103—207—अन्य लघु सिंचाई

निर्माण कार्य—

मूल	1,470.90	1,098.51	1,101.63	+3.12
पुनर्वि.	(—)372.39			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 372.39 लाख की कमी विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, विभिन्न भत्ते की दर में वृद्धि नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य की आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2702—03—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5707—शाकम्बरी योजना—

मूल	650.00	573.77	573.77	0.00
पुनर्वि.	(—)76.23			

अनुदान संख्या 45—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.23 लाख की कमी छत्तीसगढ़ बीज निगम से देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 101.22 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) ₹ 5,476.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 5,383.21 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3803—लघु एवं लघुतम सिंचाइ योजनाएं—			
मूल	21,480.00		
पूरक	101.22		
पुनर्वि.	(—)5,047.43	16,533.79	16,505.27

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,047.43 लाख की कमी में पुनर्विनियोजन और समर्पण से क्रमशः ₹ 1,500.00 लाख एवं ₹ 3,547.42 लाख की कमी वनरोपन का क्षति—पूर्ति प्राप्त नहीं होने, नया योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4416—सर्वेक्षण—			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(—)102.13	497.87	497.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.13 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7953—जलवायु संवेदनशील योजना—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(—)100.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्र जल आयोग से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4702—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7422—ऑपोर्गिक जल संरचना निर्माण—			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(—)2,047.69	1,952.31	1,969.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,047.69 लाख की कमी पुनर्विनियोजन और समर्पण से क्रमशः ₹ 2,000.00 लाख एवं ₹ 47.69 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं कार्य के प्रगति के अनुसार भुगतान होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 45—समाप्त

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(5) 5054—05—337—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7820—सड़क एवं

पुल निर्माण—

मूल 100.00
पुनर्वि. (—)100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सड़कों एवं ब्रीजों का निर्माण हेतु एजेंसी का निर्धारण रूप नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

4702—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5059—एनिकट / स्टापडेम

का निर्माण—

मूल 10,000.00
पुनर्वि. 2,089.03

12,089.03

12,006.93

(—)82.10

पुनर्विनियोजन और समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 3,500.00 लाख एवं ₹ 1,410.97 लाख के से प्रावधान में ₹ 2,089.03 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों का निर्वहन होने एवं कार्य प्रगति के अनुसार भुगतान होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(v) उचंत लेन देनः—

उचंत के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में दर्शाई गई है।

वर्ष 2021—22 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2021 को नामें +/जमा(—)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष नामें +/जमा(—)
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(—)47.83	0.00	0.00	(—)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	0.00	0.00	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	0.00	0.00	+42.24
(iv) कार्यशाला उचंत	+0.04	0.00	0.00	+0.04
योग	+180.85	0.00	0.00	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

- 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	22,75,00	9,09,57	(-)13,65,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			13,65,43

प्रभारित

पूरक	2,23,27	2,23,27	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

पूंजीगत	3,80,00	00	(-)3,80,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			3,80,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

परिषद को अनुदान—

मूल	1,225.00		
पुनर्वि.	(-)712.93	512.07	512.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 712.93 लाख की कमी कर्मचारियों की संख्या में कमी एवं निधि के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5632—साईंस सिटी

की स्थापना—

मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)332.50	367.50	367.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.50 लाख की कमी कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला

की स्थापना—

मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)320.00	30.00	30.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 320.00 लाख की कमी निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 46—समाप्त

पूँजीगत:

(ii) ₹ 380.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(—)
(1) 5425—600—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5632—साइन्स सिटी की स्थापना— मूल 180.00 पुनर्वि. (—)180.00	0.00	0.00	0.00
(2) 5425—600—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5632— साइन्स सिटी की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00
(3) 5425—600—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (—)100.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान से क्रमशः ₹ 180.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की कमी निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—

2203—तकनीकी शिक्षा

2230—श्रम, रोजगारतथा कौशल विकास

**4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय**

राजस्व:

दत्तमत	3,50,01,30	2,30,59,80	(—)1,19,41,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1,17,25,69
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	10	00	(—)10 10

पूंजीगत

दत्तमत	22,60,50	10,11,94	(—)12,48,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			12,58,69

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 11,941.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 11,725.69 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 2203—001—1869—तकनीकी शिक्षा

संचालनालय—

मूल	491.10		
पुनर्वि.	(—)135.26	355.84	
		355.39	(—)0.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 135.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2203—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2668—पॉलीटेक्निक

संस्थाएं—

मूल	7,578.66		
पुनर्वि.	(—)864.67	6,713.99	
		6,474.98	(—)239.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 864.67 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(3) 2203—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

502—इंजीनियरिंग

महाविद्यालय—

मूल	2,472.65
पुनर्वि.	(-)111.43

2,361.22 2,374.34 +13.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 864.67 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2203—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6425—मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक

गुणवत्ता विकास

योजना—

मूल	200.00
पुनर्वि.	(-)200.00

0.00 0.00 0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान 31 मार्च को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2203—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7341—आई. आई. आई. टी. की

स्थापना—

मूल	2,500.00
पुनर्वि.	(-)1,500.00

1,000.00 1,000.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,500.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2230—02—001—3795—रोजगार

संचालनालय—

मूल	240.30
पुनर्वि.	(-)93.42

146.88 146.87 (-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.42 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2230—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7632—युवा क्षमता

विकास योजना—

मूल	300.00
पुनर्वि.	(-)285.69

14.31 14.31 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.69 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2230—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9147—रोजगार कार्यालय—

मूल	1,475.10
पुनर्वि.	(-)310.91

1,164.19 1,163.59 (-)0.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 310.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(9) 2230-03-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

7960—ओद्योगिक गुणवत्ता में

वृद्धि हेतु कौशल

प्रशिक्षण—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (-)454.73

545.27

545.27

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 454.73 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

717—ओद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान—

मूल 200.00

पुनर्वि. (-)200.00

0.00

0.00

0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011-12 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7867—प्रधान मंत्री कौशल

विकास योजना—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (-)1,000.00

0.00

0.00

0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(12) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7955—जीवन निर्वाह हेतु

प्रशिक्षण—

मूल 750.00

पुनर्वि. (-)388.00

362.00

362.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 388.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

717—ओद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान—

मूल 10,854.50

पुनर्वि. (-)1,989.65

8,864.85

8,874.95

+10.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,989.65 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7438—स्टेट स्किल

डेवलपमेंट मिशन—

मूल 400.00

पुनर्वि. (-)350.00

50.00

50.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 350.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(15) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 4,050.00 पुनर्वि. (-)3,515.50	534.50	534.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,515.50 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

(16) 2230—03—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)105.00	255.00	255.00	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) वर्ष के दौरान ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) ₹ 1,248.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 1,258.69 लाख की राशि अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4202—02—103—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	60.00	0.00	(-)60.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202—02—104—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

2668—पॉलिटेक्निक संस्थाएं— मूल 495.00 पुनर्वि. (-)465.60	29.40	39.11	+9.71
---	-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 465.60 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(3) 4202—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2668—पॉलिटेक्निक

संस्थाएँ—

मूल	837.50
पुनर्वि.	(-)182.40

655.10

655.10

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.40 लाख की कमी मितव्ययी उपयों के अपनाने एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 4202—02—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6436—मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी

प्रोत्साहन एवं विकास

योजना—

मूल	300.00
पुनर्वि.	(-)300.00

0.00

0.00

0.00

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

**2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों
का कल्याण**

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	4,94,30	3,29,18	(—)1,65,12 2,34,55
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 165.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 234.55 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2202—02—110—307—अशासकीय संस्थाओं
को अंशदान—

मूल	272.00	150.92	220.46	+69.54
पुनर्वि.	(—)121.08			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.08 लाख की कमी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 69.54 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2225—01—102—6800—अनुसूचित जाति
आयोग का गठन—

मूल	212.30	108.83	108.72	(—)0.11
पुनर्वि.	(—)103.47			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.47 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2053—जिला प्रशासन

राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	3,84,25	2,03,10	(—)1,81,15 1,80,86
---	---------	---------	-----------------------

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

(i) ₹ 181.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 180.86 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2053—093—2987—20 सूत्रीय कार्यक्रम
का क्रियान्वयन—

मूल	384.25		(—)0.29
पुनर्वि.	(—)180.86	203.39	203.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.86 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2075—विविध सामान्य सेवायें

2250—अन्य सामाजिक सेवायें

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व

मूल	15,23,50			
पूरक	74,42	15,97,92	7,21,58	(-)8,76,34 8,74,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				

पूँजीगत	4,50,00	4,77,16	+27,16 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 74.42 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह दोषपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(ii) ₹ 876.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 874.86 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)

(1) 2250—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5455—राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर
मेले आदि में जनसुविधायें उपलब्ध
कराने हेतु अनुदान—

मूल	900.00		
पुनर्वि.	(-)580.00	320.00	320.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 580.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा कम अनुदान जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2250—800—2003—सिंधु दर्शन/कैलाश

मानसरोवर यात्रा—

मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)128.00	2.00	2.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 128.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2250—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6292—शासकीय मंदिरों

का पुनरोद्धार—

मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)135.00	15.00	15.00

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 35.00 लाख की कमी से प्रावधान से ₹ 135.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2019—20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(4) 2250—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6394—संचालनालय धर्मस्थ तथा

अधीनस्थ कार्यालय—

मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(−)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

2250—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5805—मंदिरों तथा धार्मिक स्त्रिलों पर

धर्मशालाओं आदि का

निर्माण—

मूल	50.00
पूरक	74.42
पुनर्वि.	97.29

221.71

221.71

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का आवधन जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण द्वारा ₹ 2.71 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2853—लौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	23,34,20	21,01,28	(—)2,32,92 2,32,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			
पूंजीगत	61,98,13	61,98,13	00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2235—60—789—192—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5397—राष्ट्रीय परिवार

सहायता योजना—

मूल	70.00	
पुनर्वि.	(—)23.20	46.80

46.80 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23.20 लाख की कमी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सहायता योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी होने से कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2853—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

7611—गौण खनिज से प्राप्त

राजस्व का नगरीय निकायों

के लिए अंतरण—

मूल	200.00	
पुनर्वि.	(—)200.00	0.00

0.00 0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

मूल	2,04,80,00			
पूरक	10,00	2,04,90,00	2,04,28,75	(—)61,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				6,91,25
(31 मार्च 2022)				

पूंजीगत :

मूल	50,20,00			
पूरक	10,00	50,30,00	32,60,00	(—)17,70,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				17,70,00
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 61.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 691.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	--	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2415—01—120—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182—इंदिरा गांधी कृषि

विश्वविद्यालय—

मूल	16,100.00			
पुनर्वि.	(—)250.00	15,850.00	15,850.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2415—01—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7988—उद्यानिकी

विश्वविद्यालय—

मूल	700.00			
पूरक	5.00			
पुनर्वि.	(—)180.00	525.00	525.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(3) 2415—04—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7403—कामधेनु पशुचिकित्सा

विश्वविद्यालय—

मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)55.00

45.00

45.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 55.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2415—03—277—0101—राज्य आयोजना(सामान्य)—

7403—कामधेनु पशुचिकित्सा

विश्वविद्यालय—

मूल	3,490.00
पुनर्वि.	(-)192.50

3,297.50

3,927.50

+630.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। ₹ 630.00 लाख का आधिक्य व्यय, 2020—21 का लम्बित आपत्ति पुस्तिका उचंत लेखे के निराकरण के कारण हुआ।

पूँजीगत :

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 4415—01—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7988—उद्यानिकी

विश्वविद्यालय—

मूल	160.00
पूरक	5.00
पुनर्वि.	(-)165.00

0.00

0.00

0.00

₹ 165.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधियों के जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4415—01—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9182—इंदिरा गांधी कृषि

विश्वविद्यालय—

मूल	3,000.00
पुनर्वि.	(-)750.00

2,250.00

2,250.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 750.00 लाख की कमी निधियों के विमुक्ती अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(−) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(3) 4415—03—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7403—कामधेनु पशुचिकित्सा

विश्वविद्यालय—

मूल	1,700.00
पुनर्वि.	(-)700.00

1,000.00

1,000.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 700.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4415—04—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7403—कामधेनु पशुचिकित्सा

विश्वविद्यालय—

मूल	100.00
पुनर्वि.	(-)100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4415—05—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7403—कामधेनु पशुचिकित्सा

विश्वविद्यालय—

मूल	60.00
पुनर्वि.	(-)50.00

10.00

10.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य+
या	व्यय	बचत(—)
विनियोग	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2236—पोषण

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	10,16,19,41			
पूरक	6,65,22	10,22,84,63	7,48,66,55	(—)2,74,18,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,74,21,69

प्रभारित	10	68	+58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			10

पूँजीगत :

दत्तमत	33,66,50	2,67,18	(—)30,99,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			30,99,32

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 320.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 345.22 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 665.22 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 27,418.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 27,421.69 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2235—02—001—9041—महिला एवं बाल

कल्याण संचालनालय—

मूल	1,790.00		
पुनर्वि.	(—)754.50	1,035.50	1,034.15
			(—)1.35

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 754.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

5354—एकीकृत सेवा योजना

(विदेशी सहायता

अन्तर्गत योजना)—

मूल	4,024.38		
पूरक	665.22	2,234.40	2,234.40
पुनर्वि.	(—)2,455.20		0.00

अनुदान संख्या 55—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,455.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(–) (₹ लाख में)
(3) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 241.00 पुनर्वि. (–)241.00	0.00	0.00	0.00

₹ 241.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7507—राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला केन्द्र की स्थापना— मूल 1,152.64 पुनर्वि. (–)93.30	1,059.34	1,059.34	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.30 लाख की कमी वालांटियर का चयन नहीं किए जाने एवं कोविड-19 महामारी के कारण कॉलेजों के बंद होने एवं प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 2,046.70 पुनर्वि. (–)274.32	1,772.38	1,772.38	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 274.32 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9042—एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह— मूल 2,099.59 पुनर्वि. (–)1,273.25	826.34	824.57	(–)1.77
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,273.25 लाख की कमी योजना दिशा-निर्देश के आधार पर एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2235–02–102–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 28,355.00 पुनर्वि. (–)4,157.74	24,197.26	24,199.79	+2.53
--	-----------	-----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,157.74 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2007–08 से 2019–20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(8) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का पर्यवेक्षण—				
मूल	850.72			
पुनर्वि.	(-)231.68	619.04	628.83	+9.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.68 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2003—04 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण—				
मूल	700.00			
पुनर्वि.	(-)700.00	0.00	0.00	0.00

₹ 700.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना—				
मूल	4,426.61			
पुनर्वि.	(-)1,866.01	2,560.60	2,660.60	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,866.01 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधियों के अनुसार व्यय किए जाने एवं योजना दिशा—निर्देशा के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5560—राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र—				
मूल	238.27			
पुनर्वि.	(-)96.10	142.17	147.64	+5.47

(12) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय—				
मूल	7,600.00			
पुनर्वि.	(-)361.74	7,238.26	7,245.82	+7.56

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 96.10 लाख एवं ₹ 361.74 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2008—09 से 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7303—राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग—				
मूल	175.00			
पुनर्वि.	(-)85.00	90.00	90.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 55—जारी

आधिकय+
बचत(—)कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

(14) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक— मूल 991.00 पुनर्वि. (-)474.64	516.36	516.36	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 474.64 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(15) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)599.70	0.30	0.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 599.70 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा जारी किए गय दिशा—निर्दशा एवं घोषण के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7915—आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं को हितलाभ— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)79.00	421.00	421.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 79.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(17) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7916—किशोर न्याय निधि— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं रहने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(18) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8958—आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय मूल 292.92 पुनर्वि. (-)85.29	207.63	207.63	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 175.00 पुनर्वि. (-)175.00	0.00	0.00	0.00
₹ 175.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिला से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7824—राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 55—जारी

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(21) 2235–02–103–0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7879—महिला पुलिस स्वंय सेवक योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (–)580.08	19.92	19.92	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 580.08 लाख की कमी भारत सरकार से संशोधित स्वीकृति प्राप्त अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2235–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5373—महिला कोष का गठन— मूल 200.00 पुनर्वि. (–)56.00	144.00	144.00	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2235–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5563—क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्था— मूल 190.10 पुनर्वि. (–)89.76	100.34	101.43	+1.09
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा ₹ 89.76 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2235–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना— मूल 950.00 पुनर्वि. (–)92.47	857.53	727.53	(–)130.00
---	--------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.47 लाख की कमी कोविड–19 महामारी के कारण सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत ₹ 130.00 के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(25) 2235–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8681—राज्य महिला आयोग— मूल 491.16 पुनर्वि. (–)280.49	210.67	210.67	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.49 लाख की कमी कोविड–19 महामारी के कारण कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 2235–02–103–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8809—घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (नवा—बिहान)— मूल 336.14 पुनर्वि. (–)76.19	259.95	259.89	(–)0.06
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 76.19 लाख की कमी प्रशिक्षण का आयोजन प्रतिबंधित होने से कम व्यय होने के साथ ही जिला कार्यालय के समाजिक सेवा संगठन द्वारा अन्य क्रिया—कलाप हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(27) 2235—02—107—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5491—समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन— मूल 87.89 पुनर्वि. (-)67.19	20.70	20.70	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.19 लाख की कमी राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के साथ ही भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 2235—02—107—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7815—उज्जवला परियोजना— मूल 90.11 पुनर्वि. (-)66.25	23.86	23.86	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 66.25 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2236—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 237.39 पुनर्वि. (-)106.26	131.13	131.13	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2007–08 से 2019–20 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(30) 2236—02—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 34,266.43 पुनर्वि. (-)7,292.43	26,974.00	26,954.61	(-)19.39
---	-----------	-----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से 7,292.43 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2007–08 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(31) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6359—मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान— पूरक 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,915.08	84.92	84.92	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,915.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7747—महतारी जतन योजना— मूल 1,539.33 पुनर्वि. (-)390.95	1,148.38	1,148.28	(-)0.10
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 390.95 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(33) 2236—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9050—न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम विशेष पोषण

आहार योजना—

मूल 927.00

पुनर्वि. (—)591.11

335.89

335.89

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 591.11 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2007—08 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

2235—02—103—0101—राज्य आयोजना(सामान्य)—

9369—महिला जागृत

शिविर—

मूल 235.00

पुनर्वि. (—)68.26

166.74

296.74

+130.00

₹ 130.00 लाख के अधिक्य व्यय को देखते हुए ₹ 68.26 लाख के समर्पण के समय निधि की कमी का उचित निर्धारण नहीं किया गया। समर्पण के साथ अधिक व्यय के कारण सूचित नहीं किया गया।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.58 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अन्यथित किया गया।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 4235—02—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

337—आंगनबाड़ियों का

सुधार एवं निर्माण—

मूल 2,284.00

पुनर्वि. (—)2,284.00

0.00

0.00

0.00

₹ 2,284.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2007—08 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4235—02—102—0101—राज्य आयोजना(सामान्य)—

7764—किशोर न्याय अधिनियम

अंतर्गत भवन निर्माण—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)123.12

176.88

176.88

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.12 लाख की कमी जिलों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(3) 4235—02—102—0101—राज्य आयोजना(सामान्य)—

9949—एकीकृत बाल
संरक्षण योजना—
मूल 116.60
पुनर्वि. (—)116.60

0.00 0.00 0.00

₹ 116.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के करण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7971—कामगार महिलाओं हेतु
हास्टल का निर्माण—
मूल 375.00
पुनर्वि. (—)375.00

0.00 0.00 0.00

₹ 375.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के करण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4235—02—800—9041—महिला एवं बाल

कल्याण संचालनालय—
मूल 190.80
पुनर्वि. (—)190.80

0.00 0.00 0.00

₹ 190.80 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग
 (सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—**2851—ग्राम तथा लघु उद्योग****4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों
पर पूँजीगत परिव्यय****राजस्व**

मूल	1,11,23,44			
पूरक	सांकेतिक			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		1,11,23,44	90,04,43	(—)21,19,01
(31 मार्च 2022)				20,98,87
पूँजीगत		6,00,43	1,12,04	(—)4,88,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,88,39
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:****दत्तमत—**

(i) ₹ 2,119.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 2,098.87 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2851—103—931—केन्द्रीय

कार्यालय—

मूल	675.61			
पुनर्वि.	(—)224.14	451.47	451.91	+0.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 224.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2851—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4748—हस्तशिल्प निगम को

विकास योजनाओं

हेतु अनुदान—

मूल	252.80			
पुनर्वि.	(—)101.10	151.70	151.70	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.10 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1068—खादी बोर्ड की स्थापना

व्यय हेतु अनुदान—

मूल	716.80			
पुनर्वि.	(—)250.88	465.92	465.92	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.88 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(4) 2851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6193—खादी बोर्ड के परिवार

मूलक ईकाइयों को स्थापना

हेतु सहायता—

मूल 239.60

पुनर्वि. (—)107.82

131.78

131.78

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.82 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6426—ग्रीन खादी उत्पादन

केन्द्र की स्थापना—

मूल 100.00

पुनर्वि. (—)100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6427—राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं

अनुसंधान संरथान—

मूल 100.00

पुनर्वि. (—)100.00

0.00

0.00

0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2851—107—3778—रेशम उद्योग की योजनाओं

का क्रियान्वयन—

मूल 4,603.30

पुनर्वि. (—)849.10

3,754.20

3,742.46

(—)11.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 849.10 लाख की कमी कोविड—19 के कारण हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:-

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(1) 4851—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6769—भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी

संस्थान की स्थापना—

मूल 97.20

पुनर्वि. (—)75.29

21.91

21.91

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.29 लाख की कमी लोक निर्माण विभाग चांपा द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 4851—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7625—हथकरघा सी. एफ. सी. की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00 0.00 0.00 0.00			

₹ 300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1068—खादी बोर्ड की स्थापना व्यय हेतु अनुदान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00 0.00 0.00 0.00
--

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत	7,00.00	00	(—)7,00.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			7,00.00

(31 मार्च 2022)

टीका एवं टिप्पणियाँ

पूंजीगत :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)

(1) 4700—13—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का

निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य—

मूल	100.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)100.00		

(2) 4700—14—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का

निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य—

मूल	100.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)100.00		

(3) 4700—15—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का

निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य—

मूल	100.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)100.00		

(4) 4700—16—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का

निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य—

मूल	100.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)100.00		

(5) 4701—80—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6371—मध्यम सिंचाई योजनाओं का

निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य—

मूल	100.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)100.00		

अनुदान संख्या 57—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्ताविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(6) 4701—80—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6371—मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(7) 4702—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6372—लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
(8) 4702—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6371—मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के प्रत्येक शीर्षान्तर्गत ₹ 100.00 लाख एवं क्रम संख्या (7) एवं (8) के प्रत्येक शीर्षान्तर्गत ₹ 50.00 लाख प्रत्येक समर्पण द्वारा प्रावधान से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिकय+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	------------------

मुख्य शीर्ष—**2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत****6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज**

राजस्व:	11,10,57,99	8,80,26,94	(—)2,30,31,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		2,44,83,19	

पूँजीगत	20,00	00	(—)20,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		20,00	

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:**

(i) ₹ 23,031.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 24,483.19 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	------------------

(1) 2245—01—101—2018—नगद दान—

मूल	634.10		
पुनर्वि.	(—)504.43	129.67	29.67

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.30 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 504.43 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2245—01—101—7710—फसल क्षति

हेतु सहायता—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(—)2,960.00	40.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,960.00 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2245—01—102—2661—पैयजल

आपूर्ति—			
मूल	606.00		
पुनर्वि.	(—)600.00	6.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण का अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2245—01—800—1467—जिला एवं अन्य सड़कें	400.00	0.00	(—)400.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2245—01—800—2389—निर्माण कार्य—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)250.00	150.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 250.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2245—01—800—3819—लघु सिंचाई (कृषि)—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(—)332.00	68.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 82.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 332.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 2245—02—101—2018—नगद			
दान—			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(—)223.25	1,976.25	303.29
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 23.25 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 223.25 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2245—02—102—2661—पेयजल आपूर्ति	200.00	0.00	(—)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2245—02—106—1467—जिला एवं अन्य सड़कें—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(—)500.00	500.00	303.29
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2245—02—110—2018—नगद दान—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(—)196.99	3.01	3.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.99 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(11) 2245—02—111—7352—शोकरत परिवारों को सहायक अनुदान—	मूल 2,350.00 पुनर्वि. (—)252.19	2,602.19	1,892.18 (-)710.01
--	------------------------------------	----------	-----------------------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 247.81 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 252.19 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। यद्यपि वास्तविक व्यय मुल प्रावधान से कम रहा, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2012—13 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(12) 2245—02—112—5607—बाढ़ नियंत्रण—

मूल 800.00 पुनर्वि. (—)316.03	483.97	53.82 (-)430.15
----------------------------------	--------	--------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 316.03 लाख की कमी जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 2245—02—111—7357—बाढ़ आदि

में सहायता—	100.00	0.00 (-)100.00
-------------	--------	-------------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(14) 2245—02—113—7357—बाढ़ आदि

में सहायता—	1,000.00 पुनर्वि. (—)217.83	782.17	783.92 +1.75
-------------	--------------------------------	--------	-----------------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 17.83 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 217.83 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(15) 2245—02—117—7357—बाढ़ आदि

में सहायता—	1,200.00 पुनर्वि. (—)511.01	688.99	586.95 (-)2.04
-------------	--------------------------------	--------	-------------------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 211.01 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 511.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(16) 2245—02—122—6457—राज्य आपदा न्यूनीकरण

निधि से व्यय—	7,000.00 पुनर्वि. (—)5,800.00	1,200.00	0.00 (-)1,200.00
---------------	----------------------------------	----------	---------------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,800.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2245—02—122—989—क्षतिग्रस्त सिंचाई,

बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्योंका

मरम्मत और उसकी

पुनःस्थापना—

मूल 1,000.00 पुनर्वि. (—)1,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2010—11 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(18) 2245—05—101—6442—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि—			
मूल	11,520.00		
पुनर्वि.	(—)5,760.00	5,760.00	5,760.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,760.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2245—05—101—7427—राज्य आपदा मोचन निधि	50,688.00	46,080.00	(—)4,608.00
अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2245—80—101—7354—प्रशिक्षण	200.00	0.00	(—)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2245—80—102—6457—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय—			
मूल	920.00		
पुनर्वि.	(—)920.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 920.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2245—80—103—4849—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधिमें अंतरण—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(—)5,000.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2245—80—800—6457—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय—			
पूरक	3,600.00		
पुनर्वि.	(—)3,600.00	0.00	0.00
			0.00
₹ 5,320.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2245—80—800—7408—राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण—			
मूल	2,750.00		
पुनर्वि.	(—)2,749.22	0.78	0.78
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,380.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,369.22 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने एवं प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 2,749.22 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(25) 2245—80—800—96—अग्नि पीडितों को राहत—			
मूल	1,850.00		
पुनर्वि.	(—)72.73	1,777.27	1,599.43
			(—)177.84

अनुदान संख्या 58—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 72.73 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2245—02—114—7357—बाढ़ अनुदान आदि
में सहायता—

मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)200.32	799.68	2,021.08

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.32 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 200.32 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पश्चात् ₹ 1,221.40 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2245—80—102—7729—डुबने से, खदान धसकने से,
रसोई गैस फअने से, बिजली गिरने से मृत्यु
होने पर राहत—

मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	1,492.00	5,992.00	7,410.92

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 8.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 1,492.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पश्चात् ₹ 1,418.92 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(3) 2245—80—800—2018—नगद दान—

मूल	4,422.00		
पुनर्वि.	1,220.51	5,642.51	14,675.67

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,200.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 797.49 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,220.51 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पश्चात् ₹ 9,033.16 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(4) 2245—80—800—6488—महामारी / विविध—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	4,919.96	5,019.96	5,179.95

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,940.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 20.04 लाख की कमी महामारी के लिए आवंटन किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 4,919.96 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पश्चात् ₹ 159.99 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(5) 2245—80—800—747—ओला पीड़ितों

को राहत—

मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)408.33	891.67	1,402.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 408.33 लाख की कमी जिलाधीशों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् ₹ 510.50 लाख का आधिक्य व्यय निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 58—जारी

(अ) अकाल राहत निधि—

1 अप्रैल 2021 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 871.46 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान ₹ 1.05 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई भी राशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2022 को निधि का अंत शेष ₹ 872.51 लाख (जमा) था।

31 मार्च 2022 को निधि का विवरण निम्नानुसार है :—

विवरण		01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2022 को अंतशेष
8223 अकाल राहत निधि		(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
	101 निधि लेखा	410.73 (जमा)	0.00	1.05	411.78 (जमा)
	102 निवेश लेखा	460.73 (जमा)	0.00	0.00	460.73 (जमा)
	योग	871.46 (जमा)	0.00	1.05	872.51 (जमा)

निधि के लेन-देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2021–22 के विस्तृत विवरण क्रमांक—21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संब्यवहारों में सम्मिलित है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :—

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक—2005' के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) के का ज्ञापन पत्र क्रम संख्या 33–3/2021—एन.डी.एम—1 दिनांक 12 जनवरी 2022 के अनुसार 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू—स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग किया जावेगा।

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 2021–22 से 2025–26 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राशि को 15 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोचन निधि की कुल राशि में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2021–22 के लिए कुल प्रावधानित राशि ₹ 50,688.00 लाख में से ₹ 46,080.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें केन्द्रांश ₹ 34,560.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 11,520.00 लाख था।

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601—भारत सरकार से सहायक अनुदान—01—आयोजनेत्तर अनुदान—109—राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत जमा होता है। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121—"सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि—101—आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर "2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्नप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2021 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 10,310.68 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2021–21 के दौरान लेखा शीर्ष "8121—"सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में ₹ 46,080.00 लाख जमा किया गया। लेखा शीर्ष "2245—05—101—7427" को नामें किया गया है।

₹ 36,053.89 का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2022 को निधि का अंत शेष ₹ 20,551.84 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियम योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज आदयी"—05—आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामे किया जाता है।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोर्चन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोर्चन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस.डी.आर.एफ.निधि के रूप में माना जाता है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोर्चन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2021–22 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में दर्शाया गया है।

पूँजीगत :

(vii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2011–12 से 2020–21 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)

मुख्य शीर्ष—**3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं****4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों
पर पूँजीगत परिव्यय**

राजस्व	65.00	20.25	(—)44.75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			44.75
पूँजीगत	1,04,00,00	1,03,37,30	(—)62.70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			2,47,96

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :****(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

3451—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—**7282—जिला योजनाओं का****सुदृढ़ीकरण—**

मूल	65.00		
पुनर्वि.	(—)44.75	20.25	20.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 44.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2008—09 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत :

(ii) ₹ 62.70 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 247.96 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

4515—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—**7493—विधान सभा निर्वाचन****क्षेत्र विकास योजना—**

मूल	10,400.00		
पुनर्वि.	(—)247.96	10,152.04	10,337.30

+185.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 247.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211—परिवार कल्याण
- 2215—जलापूर्ति और सफाई
- 2216—आवास
- 2217—शहरी विकास
- 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 2230—श्रमतथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
- 2236—पोषण
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार
- 2425—सहकारिता
- 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- 2505—ग्रामीण रोजगार
- 2702—लघु सिंचाई
- 2801—बिजली
- 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
- 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4408—खाद्य भण्डारण और भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय
- 4415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
- 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
- 4810—नवीन तथा अक्षय उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय
- 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
- 6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

6408—खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज

6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ हजार में)	

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	51,36,71,81		
पूरक	3,79,00,69	55,15,72,50	44,89,82,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)10,25,90,28
(31 मार्च 2022)			10,31,76,94

प्रभारित		10	00	(—)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				10

पूँजीगत :

दत्तमत—

मूल	10,20,45,57		
पूरक	2,80,21,17	13,00,66,74	11,00,04,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(—)2,00,61,96
(31 मार्च 2022)			2,06,28,65

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 15,349.62 लाख), दिसम्बर 2021 (₹ 21,173.54 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 1,377.53 लाख), में प्राप्त किया गया ₹ 37,900.69 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,02,590.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 1,03,176.94 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(1) 2202—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

3491—माध्यमिक शालायें

(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं

के लिए)—

मूल

पुनर्वि.

17,911.70

(-)4,014.24

13,897.46

13,898.55

+1.08

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,214.24 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 4,014.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(2) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4396—शासकीय प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 22,234.77 पुनर्वि. (-)476.33	21,758.44	21,754.98	(-)3.46
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 276.33 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 476.33 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 495—आश्रम एवं शालाएं— मूल 2,426.80 पुनर्वि. (-)525.76	1,901.04	1,906.07	+5.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 525.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5092—जवाहर उत्कर्ष योजना— मूल 420.00 पुनर्वि. (-)122.34	297.66	297.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 122.34 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-789-108-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904—नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 3,092.00 पुनर्वि. (-)200.60	2,891.40	2,891.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.60 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 2202-01-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1394—छात्राओं को गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए) मूल 1,280.00 पुनर्वि. (-)738.71	541.29	541.29	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 738.71 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(7) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 13,200.00 पुनर्वि. (-)6,682.08 6,517.92 6,517.92 0.00			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,682.08 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 5,482.00 पूरक 618.29 पुनर्वि. (-)454.39 5,645.90 5,645.90 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 454.39 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-212 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 4,192.00 पूरक 533.29 पुनर्वि. (-)1,452.58 3,272.71 3,272.71 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,452.58 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या के आधार पर व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, पूरक बजट द्वारा प्रावधान में निधि का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। 2011-12 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2202-02-789-106-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)134.44 865.56 865.56 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.44 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202-02-789-109-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल 1,500.00 पूरक 1,114.00 पुनर्वि. (-)260.00 2,354.00 2,354.00 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 260.00 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

- (12) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—
(अनुसूचित जाति उपयोजना)—
7979—समग्र शिक्षा—
मूल 4,560.00
पुनर्वि. (-)3,289.20 1,270.80 1,270.80 0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,289.20 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
- (13) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना—
1395—छात्रावास—
मूल 9,402.00
पूरक 1.00
पुनर्वि. (-)2,102.17 7,300.83 7,414.50 +113.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,102.17 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011-12 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।
- (14) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना—
3673—राज्य छात्रवृत्तियां—
मूल 10,000.10
पुनर्वि. (-)5,944.45 4,055.66 4,055.66 0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,944.45 लाख की कमी पात्र छात्रों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
- (15) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना—
578—उच्चतर माध्यमिक
विद्यालय—
मूल 36,857.91
पुनर्वि. (-)736.26 36,121.65 36,109.26 (-)12.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 736.26 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।
- (16) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों
के लिए विशेष घटक योजना—
6140—छात्र भोजन
सहाय योजना—
मूल 388.00
पुनर्वि. (-)193.26 194.74 194.74 0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.26 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(17) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

7363—युवा कैरियर

निर्माण योजना—

मूल	234.90
पूरक	300.00
पुनर्वि.	(-)401.90

133.00 133.06 +0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 401.90 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

7367—आदर्श विद्यालय

योजना—

मूल	400.00			
पुनर्वि.	(-)304.19	95.81	95.81	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 304.19 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

7592—खाद्य सुरक्षा अधिनियम

के अंतर्गत छात्रावासियों को

खाद्यान्न—

मूल	450.00			
पुनर्वि.	(-)291.15	158.86	158.86	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.15 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2202-03-789-001-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8971—राष्ट्रीय उच्च शिक्षा

मिशन का अंशादान—

मूल	1,000.00			
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00	0.00

₹ 1,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2202-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

798—कला, विज्ञान एवं

वाणिज्य महाविद्यालय—

मूल	4,890.80			
पुनर्वि.	(-)1,084.13	3,806.67	3,802.34	(-)4.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,084.13 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(22) 2204—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
6408—राज्य युवा मितान कल्ब—			
मूल 600.00			
पुनर्वि. (-)411.25	188.75	168.75	(-)20.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 411.25 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2210—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयोंमें भारतीय चिकित्सा पद्धति की स्थापना	420.40	289.34	(-)131.06
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2210—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
8951—आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर	478.80	342.85	(-)135.95
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(25) 2210—03—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
1228—ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय—			
मूल 715.30			
पुनर्वि. (-)359.78	355.52	354.31	(-)1.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 359.78 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(26) 2210—03—789—110—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—			
(अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
6611—प्रधानमंत्री आयुषमान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना—			
पूरक 900.00			
पुनर्वि. (-)660.00	240.00	240.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 660.00 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(27) 2210—03—789—110—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य

मिशन—

मूल 14,400.00

पूरक 3,000.00

पुनर्वि. (—)102.60

17,297.40

17,297.40

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.60 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(28) 2210—03—789—197—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5998—सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र—

मूल 2,512.85

पुनर्वि. (—)352.81

2,160.04

2,158.93

(—)1.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 352.81 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2210—03—789—198—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—

मूल 4,802.30

पुनर्वि. (—)414.46

4,387.84

4,384.81

(—)3.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 414.46 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

2011—12 से 2020—21 के दौरान इस भी शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(30) 2210—05—789—101—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

8952—आयुर्वेदिक महाविद्यालय,

बिलासपुर

901.30

618.47

(—)282.83

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(31) 2210—06—789—101—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6441—कोविड—19 की संक्रमण

की उपचारएवं रोकथाम—

मूल 1,200.00

पूरक 4,992.00

पुनर्वि. (—)31.42

6,160.58

3,155.92

(—)3,004.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 31.42 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 2210—06—789—101—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7679—ठीं बी के रोकथाम

हेतु पोषण आहार—

मूल 200.00

पुनर्वि. (—)0.20

199.80

0.00

(—)198.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.20 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(33) 2210—06—789—200—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6362—डाक्टर खूबचंद बघेल स्वारथ्य सहायता योजना— मूल 6,600.00 पुनर्वि. (-)1,168.24	5,431.76	5,431.76	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,168.24 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 2210—06—789—200—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6363—मुख्य मंत्री विशेष
स्वारथ्य सहायता योजना—मूल 600.00
पुनर्वि. (-)600.00

0.00 0.00 0.00

₹ 600.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 2215—02—789—107—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7610—स्वच्छ भारत

अभियान—

मूल 4,800.00
पुनर्वि. (-)4,800.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,114.66 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,685.34 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा निधि जारी नहीं करने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 4,800.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(36) 2216—03—789—105—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7807—प्रधानमंत्री आवास

योजना (ग्रामीण)—

मूल 14,400.00
पुनर्वि. (-)14,400.00

0.00 0.00 0.00

₹ 14,400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं करने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(37) 2217—80—789—191—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7706—अमृत मिशन—

मूल 2,640.00
पुनर्वि. (-)2,640.00

0.00 0.00 0.00

₹ 2,640.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(38) 2217-80-789-191-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7709—सबके लिए

आवास योजना—

मूल 2,450.00

पूरक 2,703.49

पुनर्वि. (—)2,052.72

3,100.78

3,100.78

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,052.72 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(39) 2217-80-789-192-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7709—सबके लिए

आवास योजना—

मूल 805.00

पूरक 1,005.39

पुनर्वि. (—)599.34

1,256.05

1,256.05

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 599.34 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(40) 2225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत

सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित—

7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित

योजनाओं से स्थानीय

विकास कार्यक्रम—

मूल 4,700.00

पुनर्वि. (—)1,736.53

2,963.47

0.00

(—)2,963.47

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,736.53 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(41) 2225-01-789-277-0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7627—व्यवसायिक प्रशिक्षण

योजनाएँ—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)156.53

143.47

143.47

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.53 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(42) 2230-03-789-003-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7867—प्रधानमंत्री कौशल

विकास योजना—

मूल 213.80

पुनर्वि. (—)213.80

0.00

0.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 213.80 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(43) 2230—03—789—003—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)866.50	133.50	133.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 866.50 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(44) 2235—02—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 79—दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएं तथा संरक्षणाएं— मूल 193.05 पुनर्वि. (-)116.29	76.76	76.72	(-)0.04
(45) 2235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 2,336.83 पूरक 94.00 पुनर्वि. (-)1,298.61	1,132.22	1,132.22	0.00
(46) 2235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 9,700.53 पुनर्वि. (-)1,435.13	8,265.40	8,270.37	+4.97
उपरोक्त क्रम संख्या (44) से (46) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 116.29 लाख, ₹ 1,298.61 लाख एवं ₹ 1,435.13 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (44) एवं 2017—18 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (45) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2015—16 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (46) के शीर्षान्तर्गत भी निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(47) 2235—02—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना की घोषणा में विलम्ब होने के साथ ही वित्त विभाग द्वारा मार्च में दिशा-निर्देश जारी किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(48) 2235—02—789—103—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना— मूल 228.00 पुनर्वि. (-)123.16	104.84	104.84	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.16 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के कारण सामुहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिकर्य+ बचत(-)
(49) 2235-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7875—सुचिता योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)113.52	86.48	86.48	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.52 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(50) 2236-02-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 8,167.94 पुनर्वि. (-)1,527.66	6,640.28	6,640.37	+0.09
(51) 2236-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6359—मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)592.91	107.09	107.09	0.00
(52) 2236-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 284.00 पुनर्वि. (-)176.03	107.97	107.88	(-)0.09
उपरोक्त क्रम संख्या (50) से (52) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,527.66 लाख, ₹ 592.91 लाख एवं ₹ 176.03 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018-19 से 2020-21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (50) एवं 2020-21 के दौरान क्रम संख्या (51) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2015-16 से 2020-21 के दौरान क्रम संख्या (52) के शीर्षान्तर्गत भी निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(53) 2401-789-102-0703—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— पूरक 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,450.89	49.11	49.11	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,450.89 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(54) 2401—789—102—0703—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6438—राजीव गांधी किसान न्याय योजना— मूल 83,800.00 पुनर्वि. (—)9,514.80	74,285.20	74,285.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,514.80 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(55) 2401—789—105—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6448—गोधन न्याय योजना— मूल 2,100.00 पुनर्वि. (—)1,413.40	686.60	686.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,413.40 लाख की कमी जिलों से निधि के मांग अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(56) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,350.00 पुनर्वि. (—)873.60	476.40	476.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 873.60 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा दुसरी किश्त जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(57) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7266—एन.एम.एस.ए.रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम— मूल 264.00 पुनर्वि. (—)197.61	66.39	66.49	+0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.61 लाख की कमी प्रशासनीक स्वीकृती वर्षान्त में प्राप्त होने से व्यय नहीं हो पाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(58) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए.स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 185.00 पुनर्वि. (—)154.01	30.99	30.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 154.01 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृती प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(59) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7684—प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना—

मूल 720.00

पुनर्वि. (—)240.41

479.59

479.59

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.41 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृती प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(60) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7830—परम्परागत कृषि

विकास योजना—

मूल 180.00

पुनर्वि. (—)100.11

79.89

79.89

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.11 लाख की कमी कोरोना महामारी में प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(61) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7832—टारगेट राईस

फेलो एरिया—

मूल 1,140.00

पुनर्वि. (—)1,053.03

86.97

86.97

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,053.03 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा स्वीकृती के विरुद्ध निधि जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(62) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8942—राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना (हरित क्रांति)—

मूल 1,975.00

पुनर्वि. (—)1,776.80

198.22

198.22

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,163.38 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 613.42 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा स्वीकृती प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 1,776.80 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(63) 2401—789—108—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5549—गन्ना कृषकों

को बोनस—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (—)735.54

264.46

264.46

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 735.54 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(64) 2401—789—109—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269—एन.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्वर एक्सटेंशन— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)245.34 234.66 234.66 0.00			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 245.34 लाख की कमी स्वीकृती प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(65) 2401—789—119—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)326.04 153.96 153.96 0.00			
(66) 2401—789—119—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एन्ड आईलपॉम— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)119.78 0.22 0.22 0.00			
(67) 2401—789—119—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)112.50 487.50 487.50 0.00			
उपरोक्त क्रम संख्या (65) से (67) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 326.04 लाख, ₹ 119.78 लाख एवं ₹ 112.50 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (66) एवं (67) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2015—16 से 2019—20 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (65) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(68) 2401—789—119—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 2,460.00 पुनर्वि. (-)1,582.21 931.79 931.79 0.00			
(69) 2401—789—119—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7947—एन.एस.ए. अन्तर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांसमिशन— मूल 144.00 पुनर्वि. (-)125.49 18.51 18.51 0.00			

उपरोक्त क्रम संख्या (68) एवं (69) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 1,582.21 लाख एवं ₹ 125.49 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधि की स्वीकृती प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी क्रम संख्या (68) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(70) 2401—789—800—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—				
6353—चिराग योजना—				
मूल 750.00		520.00	520.00	0.00
पुनर्वि. (-)230.00				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.00 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के विमुक्ती अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(71) 2402—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—				
7350—एकीकृत वाटरशेड				
प्रबंधन कार्यक्रम—				
मूल 1,202.00		632.83	632.83	0.00
पुनर्वि. (-)567.17				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 567.17 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों के विमुक्ती अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(72) 2403—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—				
7621—नेशनल लाइव				
स्टॉक मिशन—				
मूल 250.00		14.62	0.00	(-)14.62
पुनर्वि. (-)235.38				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 235.38 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।				
(73) 2403—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—				
1108—गहन पशु विकास				
परियोजना—				
मूल 308.40		206.84	206.79	(-)0.05
पुनर्वि. (-)101.56				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(74) 2403—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—				
7242—राष्ट्रीय कृषि विकास				
योजना (सामान्य)—				
मूल 600.00		218.06	218.06	0.00
पुनर्वि. (-)381.94				
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 381.94 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(75) 2406—01—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—				
2962—बिगड़े वनों का				
सुधार—				
मूल 4,294.40		3,169.06	3,997.29	+828.23
पुनर्वि. (-)1,125.34				

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,125.34 लाख की कमी योजना का अनुमोदन में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(76) 2406–01–789–102–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2533—हरियाली प्रसार योजना— मूल 597.40 पुनर्वि. (–)315.90	281.50	282.21	+0.71
(77) 2406–01–789–102–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6724—बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 2,116.80 पुनर्वि. (–)111.83	2,004.97	1,179.83	(–)825.14
उपरोक्त क्रम संख्या (76) एवं (77) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 315.90 लाख एवं ₹ 111.83 लाख की कमी अधिनस्थ वृत्तों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (77) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी क्रम संख्या (77) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी क्रम संख्या (76) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(78) 2406–04–789–101–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7261—राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम— मूल 100.00 पुनर्वि. (–)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(79) 2408–01–789–102–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3229—नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति — मूल 156.00 पुनर्वि. (–)156.00	0.00	0.00	0.00
₹ 156.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(80) 2408–01–789–102–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना— मूल 40,917.97 पुनर्वि. (–)12,322.08	28,595.89	28,595.89	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,580.97 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 6,741.11 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 12,322.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(81) 2408–01–789–102–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
8674—राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुये व्ययों की प्रतिपूर्ति—			
मूल 3,649.44			
पूरक 996.00			
पुनर्वि. (–)996.00	3,649.44	3,649.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 996.00 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(82) 2425–789–107–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
5628—कृषक ऋण व्याजदर युक्तिकरण हेतु व्याज अनुदान—			
मूल 3,303.96			
पुनर्वि. (–)721.96	2,582.00	2,582.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 721.96 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(83) 2425–789–107–0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
7889—प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण—			
मूल 120.00			
पुनर्वि. (–)120.00	0.00	0.00	0.00
₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(84) 2501–06–789–102–0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन—			
मूल 4,800.00			
पूरक 11,239.93			
पुनर्वि. (–)958.21	15,081.72	15,081.72	0.00

अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 11,239.93 लाख का आवधन भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी किये जाने के साथ ही राज्य शासन द्वारा राज्यांश अनुरूप जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 958.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(85) 2501—06—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8775—प्रशासन योजना

जिला स्तर—

मूल 199.47
पुनर्वि. (-)158.81

40.66

40.66

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 158.81 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(86) 2505—60—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना—

मूल 19,200.00
पूरक 600.00
पुनर्वि. (-)599.67

19,200.33

19,200.33

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,114.66 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,714.33 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 599.69 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(87) 2810—789—800—0410—ऊर्जा विकास निधि—

के लिए विशेष घटक योजना—

3188—ऊर्जा विकास संस्था को

सहायक अनुदान—

मूल 300.00
पुनर्वि. (-)105.00

195.00

195.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(88) 2851—789—105—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6193—खादी बोर्ड के परिवार

मूलक ईकाईयों को स्थापना

हेतु सहायता—

मूल 262.35
पुनर्वि. (-)118.06

144.29

144.29

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.06 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(1) 2202—02—789—109—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5551—हाईस्कूल की छात्राओं

को निःशुल्क सायकल प्रदाय—

मूल 1,250.00
पुनर्वि. 469.64

1,719.64

1,719.64

0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 30.36 लाख कमी से प्रावधान में ₹ 469.64 लाख का आवर्धन योजना हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
(2) 2202-02-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
110—अशासकीय विद्यालय को अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल 1,000.00	922.54	1,230.76	+308.22
पुनर्वि. (−)77.46			
(3) 2210-03-789-198-0103—अनुसूचितजातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल 1,088.60	1,031.41	1,293.61	+262.20
पुनर्वि. (−)57.19			
(4) 2210-06-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
6441—कोविड-19 के संक्रमण का रोकथाम एवं उपचार	4,507.00	7,511.66	+3,004.66
अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(5) 2211-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
621—उप स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल 1,836.90	1,785.07	1,971.96	+186.89
पुनर्वि. (−)51.83			
(6) 2225-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
2629—अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाये—			
मूल 1,335.00	1,299.64	4,448.11	+3,148.47
पुनर्वि. (−)35.36			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 35.36 लाख कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(7) 2401—789—108—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6606—भारतीय प्राकृतिक

कृषि पद्धति—

पूरक सांकेतिक

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 112.71 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं

(जुलाई 2022)।

(8) 2401—789—110—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7797—प्रधानमंत्री फसल

बीमा योजना—

मूल 6,360.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 524.73 लाख के आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किये जाने तथा बीमा कम्पनियों से अधिक राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2401—789—113—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8961—कृषि यांत्रिकीकरण

मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों

पर अनुदान—

मूल 900.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 620.67 लाख के आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्य शासन द्वारा राज्यांश जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2408—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

3248—राज्य सहकारी विपणन

संघ को खाद्यान्न उपार्जन

में हुई हानि की

प्रतिपूर्ति—

मूल 6,600.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,580.97 लाख के आवर्धन बैंक की प्रतिदेय हेतु मार्कफेड का भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 20,061.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 20,628.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 64—जारी

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिकय+
	अनुदान	व्यय	बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 4202-01-789-202-1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
1400—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना—			
मूल 1,238.00 पुनर्वि. (-)1,238.00	0.00	0.00	0.00
₹ 1,238.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 4202-02-789-104-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल 100.00 पुनर्वि. (-)98.06	1.94	3.16	+1.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.06 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4202-01-789-104-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं—			
मूल 161.00 पुनर्वि. (-)62.65	98.35	97.54	(-)0.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62.65 लाख की कमी संस्थाओं द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4210-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
620—उप स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल 142.55 पुनर्वि. (-)142.55	0.00	0.00	0.00
₹ 142.55 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4210-02-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल 397.37 पुनर्वि. (-)125.08	172.29	172.29	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.07 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4210-02-789-104-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
5056—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण—			
मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(7) 4215—01—789—102—0313—नाबार्ड पोषित योजनायें

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5403—पाइप द्वारा ग्रामीण

जल प्रदाय

योजना—

मूल 150.00
पुनर्वि. (-)133.79

16.21

16.21

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.79 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 4215—01—789—102—0313—नाबार्ड पोषित योजनायें

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7858—सौर ऊर्जा आधारित

ग्रामीण पेयजल

योजना—

मूल 50.00
पुनर्वि. (-)50.00

0.00

0.00

0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 4215—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5403—पाइप द्वारा ग्रामीण

जल प्रदाय योजना—

मूल 150.00
पुनर्वि. (-)82.22

67.78

63.94

(-)3.84

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.22 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 4215—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6420—गोठानों में

नलकुप खनन—

मूल 120.00
पुनर्वि. (-)90.70

29.30

29.30

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.70 लाख की कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 4225—01—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7699—प्रधानमंत्री आदर्श

ग्राम योजना—

मूल 4,000.00
पूरक 8,850.00
पुनर्वि. (-)270.06

12,579.94

12,579.94

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 270.06 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(12) 4225—01—789—102—0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत

सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित—

7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित

योजनाओं से स्थानीय

विकास कार्यक्रम—

मूल 5,177.00

पूरक 400.00

पुनर्वि. (—)5,577.00

0.00

0.00

0.00

₹ 5,577.00 लाख के समर्पण के परिपेक्ष्य में दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 400.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। ₹ 5,577.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 4225—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5616—गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी

का समन्वित विकास—

मूल 500.00

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. (—)325.00

175.00

175.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 325.00 लाख की कमी निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 4225—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

7628—अनुसूचित जाति का

संस्कृति का परिरक्षण

एवं विकास—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)500.00

0.00

0.00

0.00

(15) 4235—02—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

337—आंगनबाड़ियों का सुधार

एवं निर्माण—

मूल 412.00

पुनर्वि. (—)412.00

0.00

0.00

0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 412.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।

(16) 4415—01—789—277—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

9182—इंदिरा गांधी कृषि

विश्वविद्यालय—

मूल 100.00

पुनर्वि. (—)87.68

12.32

12.32

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.68 लाख की कमी शासन द्वारा निधि विमुक्ति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(17) 4515—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी

रुबन मिशन—

मूल 1,200.00

पुनर्वि. (—)1,134.60

65.40

65.40

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,134.60 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 4515—789—102—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6437—ग्रामीण क्षेत्रों में

गौठान निर्माण—

मूल 50.00

पुनर्वि. (—)50.00

0.00

0.00

0.00

₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(19) 4700—01—789—800—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2898—बांध तथा

संलग्न कार्य—

मूल 210.00

पुनर्वि. (—)182.74

27.26

27.26

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.74 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(20) 4700—02—789—800—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2898—बांध तथा

संलग्न कार्य—

मूल 1,460.00

पुनर्वि. (—)399.39

1,060.61

1,060.61

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 399.39 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(21) 4700—10—789—800—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2884—नहर तथा उससे

संबंधित कार्य—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)171.59

128.41

128.41

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 171.59 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 4700—11—789—800—0103— अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2884—नहर तथा उससे

संबंधित कार्य—

मूल 300.00

पुनर्वि. (—)214.04

85.96

85.96

0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.04 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			

(23) 4700–12–789–800–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

2884—नहर तथा उससे

संबंधित कार्य—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (–)592.01

507.99

507.99

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 592.01 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निपटारा नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 4702–789–101–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

3828—लघु सिंचाई

योजना—

मूल 2,550.00

पुनर्वि. (–)1,404.14

1,145.86

1,149.20

+3.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,404.14 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निपटारा नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(25) 4702–789–102–0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

5059—एनिकट / स्टापडेम

का निर्माण—

मूल 2,000.00

पूरक 1,192.00

पुनर्वि. (–)2,102.32

1,089.68

1,089.68

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,102.32 लाख की कमी नवीन कार्यों हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,192.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 2008–09 से 2020–21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(26) 4801–06–800–0410—ऊर्जा विकास निधि—

6758—कृषि पंपों का ऊर्जाकरण—

मूल 1,800.00

पूरक 1,842.24

पुनर्वि. (–)1,582.24

2,060.00

2,060.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,582.24 लाख की कमी ऊर्जा विकास निधि से कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण पर व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(27) 4810–789–101–0410—ऊर्जा विकास निधि—

7693—सोलर पंप हेतु

सहायक अनुदान—

मूल 360.00

पुनर्वि. (–)126.00

234.00

234.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.00 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(28) 5054—04—789—337—0313—नाबाड पोषित योजनाये—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

6590—नाबाड ऋण सहायता

के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों

का निर्माण—

मूल 500.00

पुनर्वि. (—)500.00

0.00

0.00

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा 400.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण ₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2012—13 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(29) 5054—04—789—337—0313—नाबाड पोषित योजनाये

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7475—मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क

एवं विकास योजना—

मूल 2,484.00

पुनर्वि. (—)2,334.06

149.94

149.94

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,334.06 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(30) 5054—04—789—337—0313—नाबाड पोषित योजनाये

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव

पथ योजना—

मूल 972.00

पुनर्वि. (—)971.59

0.41

0.41

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 971.59 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2012—13 से 2020—21 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(31) 5054—04—789—337—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6450—मुख्यमंत्री सुगम

सङ्क योजना—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (—)362.08

637.92

637.90

(-)0.02

पुनर्विनियोजन द्वारा 300.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 62.08 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 362.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(32) 5054—04—789—337—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—

6484—मुख्यमंत्री धरसा

विकास योजना—

मूल 120.00

पुनर्वि. (—)120.00

0.00

0.00

0.00

₹ 120.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(33) 6408—02—789—190—0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 540.00 पूरक 804.00 पुनर्वि. पुनर्वि. (-)276.12 1,067.88 1,067.88 0.00
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 276.12 लाख की कमी निधि जारी नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 4225—01—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 3,200.00 पुनर्वि. पुनर्वि. (-)20.54 3,179.46 3,530.16 +350.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 20.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। ₹ 350.70 लाख के अंतिम आधिक्य के परिपेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का पर्याप्त आंकलन नहीं किया गया।

(2) 5054—03—789—101—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4149—वृहद पूलों का निर्माण— मूल 3,150.00 पुनर्वि. पुनर्वि. 18.82 3,168.82 3,231.43 +62.61

पुनर्विनियोजन द्वारा 118.82 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 18.82 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। ₹ 62.61 लाख के अंतिम आधिक्य के परिपेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का पर्याप्त आंकलन नहीं किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

(3) 5054—04—789—337—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 16,200.00 पुनर्वि. पुनर्वि. 1,166.30 17,366.30 17,366.30 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,166.30 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्राश एवं राज्य सरकार द्वारा जारी राज्यांश के अनुरूप व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 64—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(4) 5054—04—789—337—0103—अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—
6596—सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल.

निर्माण कार्यों हेतु

सहायता—

मूल	सांकेतिक			
पुनर्वि.	700.00	700.00	700.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 700.00 लाख का आवधन प्रतिबंध दायित्वों के भुगतान, भूमि अधिग्रहण निगम के वन पर्यवेक्षण शुल्क पर डायवर्जन के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें

5053—नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	48,41,21			
पूरक	6,00,00	54,41,21	49,00,65	(—)5,40,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,92,49
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	10	00	(—)10
(31 मार्च 2022)			10

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	1,00,670			
पूरक	80,000	1,80,670	1,12,968	(—)67,702
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				67,702
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 540.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 541.70 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का घोतक है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2052—091—4043—विमानन

संचालनालय—

मूल	4,841.21			
पूरक	600.00			
पुनर्वि.	(—)541.70	4,899.52	4,900.65	+1.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 541.70 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2004—05 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) वर्ष के दौरान ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 65—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 5053—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4727—हवाई पट्टियों का
निर्माण एवं विस्तार—
मूल 400.00
पुनर्वि. (—)400.00

0.00 0.00 0.00

₹ 400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियों से हवाई पट्टियों का विकास का सम्पूर्ण व्यय की पूर्ती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5053—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

4043—विमानन
संचालनालय—
मूल 606.70
पूरक 800.00
पुनर्वि. (—)277.02

1,129.68 1,129.68 0.0

अनुपूरक प्रावधान द्वारा निधि के आवधन के पश्चात ₹ 277.02 लाख का समर्पण निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
---------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—**2202—सामान्य शिक्षा**

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा
अल्पसंख्यकों का कल्याण

4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य
पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर
पूँजीगत परिव्यय

राजस्व	2,30,63,70	1,81,65,65	(-)48,98,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			49,02,81

पूँजीगत	25,73,00	4,70,80	(-)21,02,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			21,02,20

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 4,898.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 4,902.81 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2202—02—109—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—

8050—छात्रवृत्तियां—

मूल	2,600.10		
पुनर्वि.	(-)1,200.10	1,400.00	1,400.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,200.10 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण (₹ 600.10 लाख) एवं ₹ 600.00 लाख की अन्य कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2202—02—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

1395—छात्रावास—

मूल	636.00		
पुनर्वि.	(-)171.82	464.18	465.41
			+1.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 171.82 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा निधि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202—02—109—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3673—राज्य छात्रवृत्तियां—

मूल	18,100.00		
पुनर्वि.	(-)2,849.82	15,250.18	15,250.18
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,849.82 लाख की कमी पात्र उम्मीदवारों की संख्या में कमी (₹ 1,566.39 लाख) एवं ₹ 1,283.43 लाख की अन्य कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा वाहक विकास योजना— मूल 167.50 पुनर्वि. (-)121.06	46.44	48.66	+2.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 121.06 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 979—क्रीड़ा परिसर— मूल 96.80 पुनर्वि. (-)75.29	21.51	21.56	+0.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.29 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2225-03-102-6749-राज्य पिछ़ड़ा वर्ग आयोग— मूल 175.70 पुनर्वि. (-)93.49	82.21	82.21	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.49 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयकों को वापस किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2225-04-102-5073-अल्पसंख्यक आयोग— मूल 302.20 पुनर्वि. (-)42.53	259.67	259.48	(-)0.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 42.53 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2225-04-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(9) 2225-04-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5482—छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी का गठन— मूल 89.40 पुनर्वि. (-)38.54	50.86	52.31	+1.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 38.54 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			
(10) 2225-04-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9408—वक्फ बोर्ड— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)90.00	60.00	60.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(11) 2225-04-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9410—हज कमेटी को सहायता अनुदान— मूल 130.00 पुनर्वि. (-)78.00 52.00 52.00 0.00 समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।			

पूँजीगत:

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4202-01-202-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 1400—विवेकानंद गुरुकूल उन्नयन योजना— मूल 159.00 पुनर्वि. (-)159.00 0.00 0.00 0.00 ₹ 159.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(2) 4202-01-202-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

1395—छात्रावास— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00 0.00 0.00 0.00
--

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014-15 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 4225-03-190-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5096—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूँजी— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)90.00 60.00 60.00 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4225-03-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7978—दामाखेड़ा का एकीकृत विकास— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00 0.00 0.00 0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4225-04-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास— मूल 1,339.00 पुनर्वि. (-)1,238.20 100.80 100.80 0.00

अनुदान संख्या 66—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,238.20 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वार्ताविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
(₹ लाख में)			

(6) 4225–04–102–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

9410—हज कमेटी को				
सहायता अनुदान—				
मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 4225–04–800–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7978—दामाखेड़ा का				
एकीकृत विकास—				
मूल	100.00			
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00	0.00

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

कुल अनुदान या विनियोग	वारतविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(—)
-----------------------------	---------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

- 2059—लोक निर्माण कार्य
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2211—परिवार कल्याण
- 2216—आवास
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2403—पशुपालन
- 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग
- 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
- 4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
- 4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय
- 4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व:

दत्तमत	7,08,71,96	5,94,51,37	(—)1,14,20,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			64,67,89
(31 मार्च 2022)			
प्रभारित	86,50	13,06	(—)73,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			73,43
(31 मार्च 2022)			

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	7,85,43,68			
पूरक	1,00	7,85,44,68	3,07,90,34	(—)4,77,53,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,86,27,29
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 11,420.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 6,467.89 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(1) 2059—01—053—3383—विशेष मरम्मत—

भवन—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(—)566.13	933.87	934.08

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 416.13 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 566.13 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2059—01—053—3387—मरम्मत—

विश्राम गृह—			
मूल	841.00		
पुनर्वि.	(—)110.46	730.54	738.59

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 10.46 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 110.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2059—01—053—3643—राज भवन—

मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(—)821.63	178.37	178.37

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख तथ समर्पण द्वारा ₹ 121.63 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 821.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(4) 2059—01—053—4144—अस्पतालों एवं

चिकित्सालयों का निर्माण—			
(मूलभूत सेवाओं हेतु)—			
मूल	1,330.00		
पुनर्वि.	(—)106.10	1,223.90	1,223.91

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 6.10 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 106.10 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2059—60—053—794—कला और संस्कृति

भवनों का रख रखाव—			
मूल	235.00		
पुनर्वि.	(—)83.64	151.36	151.22

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.64 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 83.64 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2418—क्रियान्वयन—			
मूल	34,621.45		
पुनर्वि.	75.00	34,696.45	30,341.36

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.00 लाख का आवर्धन लम्बित चिकित्सा देयकों का भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 75.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(7) 2059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
3300—मण्डल स्थापना—

मूल	2,028.74		
पुनर्वि.	15.00	2,043.74	1,582.67

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन लम्बित चिकित्सा देयकों का भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 15.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2059—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—
3566—मुख्यालय स्थापना—

मूल	2,873.27		
पुनर्वि.	10.00	2,883.27	2,625.05

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन लम्बित चिकित्सा देयकों का भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2059—80—052—9269—मशीनों का नवीनीकरण
एवं प्रतिरक्षापन—

मूल	547.40		
पुनर्वि.	(-)81.36	466.04	466.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.36 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(10) 2059—80—799—1051—स्टॉक—

मूल	215.00		
पुनर्वि.	(-)94.03	120.97	120.97

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.03 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(11) 2059—80—799—4056—विविध लोक

निर्माण पेशागियां—			
मूल	235.00		

पुनर्वि.	(-)232.40	2.60	2.55	(-)0.05
----------	-----------	------	------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 232.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2216—05—053—4095—विशेष

मरम्मतें—			
मूल	1,650.00		

पुनर्वि.	(-)490.51	1,159.49	1,159.24	(-)0.25
----------	-----------	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 390.51 लाख की अन्य कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 490.51 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹ लाख में)			

(13) 2216-80-001-2300—निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना) का समानुपातिक भाग— मूल 3,692.90 पुनर्वि. (-)3,313.74	379.16	379.16	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,313.74 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रोराटा विवरण तथा बजट में प्रावधानित प्रोराटा अंश के अनुसार कार्यालय महालेखाकार द्वारा निधियों का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2216-80-052-692—औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)— मूल 1,324.80 पुनर्वि. (-)1,316.41	8.39	8.39	0.00
---	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,316.41 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रोराटा विवरण तथा बजट में प्रावधानित प्रोराटा अंश के अनुसार कार्यालय महालेखाकार द्वारा निधियों का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(₹लाख में)			

(1) 2059-01-053-2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)— मूल 1,270.00 पुनर्वि. 96.99	1,366.99	1,366.37	(-)0.62
---	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.01 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 96.99 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2059-01-053-6220—लोक निर्माण विभाग— मूल 550.00 पुनर्वि. 95.40	645.40	645.44	+0.04
--	--------	--------	-------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.60 लाख की कमी प्रगतिरत कार्यों का भुगतान किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 95.40 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2059-01-053-6441—कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार मूल 500.00 पुनर्वि. 586.33	1,086.33	1,086.33	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 13.67 लाख की कमी लम्बित देयकों के भुगतान के प्रावधान में ₹ 586.33 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(4) 2059—01—053—6520—माननीय विधायकों

हेतु सामग्री पूर्ति—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	79.95	279.95	279.96 +0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.05 लाख की कमी लम्बित देयकों के कारण भुगतान के प्रावधान में ₹ 79.95 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(5) 2059—60—053—7755—अतिविशिष्ट अतिथियों

का भ्रमण—			
मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	95.06	4,595.06	4,595.07 (-)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.94 लाख की कमी लम्बित देयकों के भुगतान के प्रावधान में ₹ 95.06 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(6) 2216—05—053—4489—सामान्य

मरम्मते—			
मूल	1,650.00		
पुनर्वि.	75.99	1,725.99	1,739.63 +13.64

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 24.01 लाख की कमी प्रगतिरत कार्यों का भुगतान किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 75.99 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय को "2059—लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (iv) में दिए गए हैं।

वर्ष 2021—22 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2021 को नामे (+) / जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2022 को नामे (+) / जमा (-)
2059—लोक निर्माण कार्य—	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-) 2,282.95	0.00	0.00	(-) 2,282.95
(ii) भण्डार	+1,838.92	120.97	0.00	+1,959.89
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,334.60	2.55	0.00	+7,337.15
योग	+6,890.57	123.52	0.00	+7,014.09

प्रभारित—

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(1) 2059—80—800—1835—डिक्री धन का

भुगतान (भारित)—			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)56.93	13.07	13.06 (-)0.01

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 56.93 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं की गई है (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(2) 2216-80-800-1836—डिक्री धन का

भुगतान (भारित)—

मूल	16.50
पुनर्वि.	(-)16.50

0.00

0.00

0.00

₹ 16.50 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 47,754.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 48,627.29 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	------------------	-------------	-------------------

(1) 4059-01-051-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

2450—न्याय प्रशासन—

मूल	5,363.50
पुनर्वि.	(-)4,113.34

1,250.16

1,279.72

+29.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,113.34 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 29.56 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों
की मरम्मत)—

मूल	200.00
पुनर्वि.	(-)200.00

0.00

0.00

0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2716—प्रशासनिक अकादमी—

मूल	870.00
पुनर्वि.	(-)780.70

89.30

89.29

(-)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 80.70 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 780.70 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(4) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

3342—छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली—

मूल	2,403.00
पुनर्वि.	(-)2,286.33

116.67

704.82

+588.51

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,286.33 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 588.15 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(5) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3755—राष्ट्रीय सैन्य दल— मूल 184.00 पुनर्वि. (-)184.00	0.00	0.00	0.00
₹ 184.00 लाख सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(6) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3855—लोक निर्माण कार्य— भवन— मूल 31,000.00 पुनर्वि. (-)19,289.68	11,770.32	11,770.35	+0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19,289.68 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(7) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4606—स्टॉम्प एवं पंजीयन— मूल 243.00 पुनर्वि. (-)107.26	135.74	135.75	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.26 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(8) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5049—राज्य विधान मण्डल— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)4,588.84	411.16	411.17	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,588.84 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5600—परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)362.42	117.58	117.58	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 306.42 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 362.42 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5651—होम गार्ड परिसर में निर्माण— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)95.70	94.30	94.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.70 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		

(11) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6333—भू—राजस्व कार्यालय भवन— मूल 535.00 पुनर्वि. (-)102.06	432.94	432.97	+0.03
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.06 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7716—मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं— मूल 227.00 पुनर्वि. (-)130.53	96.47	96.48	+0.01
--	-------	-------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.53 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8040—जेल भवनों का निर्माण— मूल 3,399.47 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,565.03	834.44	846.71	+12.27
---	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.53 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 4202—01—202—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 242.00 पुनर्वि. (-)100.19	141.81	141.81	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.19 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4202—01—202—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7673—विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 242.00 पुनर्वि. (-)140.64	101.36	101.36	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.64 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 4202—01—202—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल 3,772.00 पूरक 1.00 पुनर्वि. (-)193.17	3,579.83	3,661.59	+81.76
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.17 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 81.76 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में अनियमितता को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(17) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

5086—कॉलेज भवन का

निर्माण—

मूल	1,783.00			
पुनर्वि.	(-)163.56	1,619.44	1,646.98	+27.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.56 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 27.54 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 4202-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

4402—शासकीय शैक्षणिक

महाविद्यालय—

मूल	714.00			
पुनर्वि.	(-)715.96	1.04	1.05	+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 715.96 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

8071—पॉलीटेक्निक भवनों

का निर्माण—

मूल	560.00			
पुनर्वि.	(-)185.08	374.92	385.11	+10.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 185.08 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2012-13 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(20) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

515—इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान भवनों का

निर्माण—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 4202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास—

स्टेडियम इत्यादि—

मूल	735.00			
पुनर्वि.	(-)448.45	286.55	286.56	+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 447.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.45 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 448.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(22) 4202—03—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8984—यूथ हास्टल— मूल 124.00 पुनर्वि. (—)124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
₹ 124.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(23) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220—शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 5,500.00 पुनर्वि. (—)4,054.64	1,445.36	1,475.99		+30.63
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,654.64 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 4,054.64 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 30.63 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता अपर्याप्त आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2013—14 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(24) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8897—सिक्कल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना— मूल 400.00 पुनर्वि. (—)328.76	71.24	71.24		0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 328.76 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(25) 4216—01—106—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6222—न्याय प्रशासन (आवास गृह का निर्माण)— मूल 7,275.00 पुनर्वि. (—)4,616.84	2,658.16	2,722.98		+64.82
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,616.84 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				
(26) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3125—भू राजस्व— मूल 128.50 पुनर्वि. (—)104.73	23.77	23.77		0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.73 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(27) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5640—उच्च न्यायालय हेतु आवासीय केम्पस का निर्माण— मूल 2,590.00 पुनर्वि. (—)2,588.70	1.30	1.30		0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,408.70 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 2,588.70 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।				

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(28) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6222—न्याय प्रशासन (आवास
गृह का निर्माण)—मूल 491.00
पुनर्वि. (-)489.12

1.88

1.88

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 489.12 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(29) 4216—01—106—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6333—न्याय प्रशासन के आवास

गृह का निर्माण—

मूल 98.00
पुनर्वि. (-)98.00

0.00

0.00

0.00

₹ 98.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)आधिक्य+
बचत(—)

(1) 4059—01—051—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

6333—भू—राजस्व

कार्यालय भवन—

मूल 7.00
पुनर्वि. 443.00

450.00

450.00

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 447.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख की कमी देयक के भुगतान किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 443.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2450—न्याय प्रशासन—

मूल 1,300.00
पुनर्वि. 598.80

1,898.80

1,898.79

(-)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.20 लाख की कमी प्रगतिरत कार्यों का भुगतान किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 598.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(3) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से
लोक स्वास्थ्य का एकीकरण—मूल 305.00
पुनर्वि. 282.53

587.53

587.53

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 117.47 लाख की कमी प्रगतिरत कार्यों का भुगतान किए जाने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 282.53 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(4) 4250—203—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

976—सूचना प्रौद्योगिकी

भवन का निर्माण—

मूल 171.00
पुनर्वि. 116.12

287.12

295.55

+8.43

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 63.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 116.12 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत	95,04,50	56,78,92	(—)38,25,58 38,45,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 3,825.58 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 3,845.93 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+ बचत(—)
	अनुदान	व्यय	
		(₹ लाख में)	

(1) 4059—01—796—051—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

6333—भू—राजस्व कार्यालय—

भवन—

मूल	200.00	4.43	4.43
पुनर्वि.	(—)195.57		

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.57 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059—01—796—051—0102—अनुसूचित

जनजाति उपयोजना—

6333—भू—राजस्व—

कार्यालय भवन—

मूल	122.00	54.67	54.66
पुनर्वि.	(—)67.33		

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.33 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 4202—01—796—202—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण—			
मूल 4,202.00	2,850.17	2,850.16	(—)0.01
पुनर्वि. (—)1,351.83			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,351.83 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4202—02—796—104—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
8071—पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण—			
मूल 423.00	182.99	183.00	+0.01
पुनर्वि. (—)240.01			
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण से क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 140.01 लाख की कमी लेखा के पूर्व अनुमान के कारण कम व्यय एवं विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने से प्रावधान से ₹ 240.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012—13 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 4202—03—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि—			
मूल 631.00	394.20	394.20	0.00
पुनर्वि. (—)236.80			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 236.80 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 4210—03—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
4220—शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय—			
मूल 438.00	16.94	16.94	0.00
पुनर्वि. (—)421.06			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 421.06 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4216—01—796—106—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
2631—पुलिस प्रशासन—			
मूल 500.00	188.39	188.38	(—)0.01
पुनर्वि. (—)311.61			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 311.61 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4216—01—796—106—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
5918—सामान्य प्रशासन विभाग—			
मूल 320.00	117.73	117.72	(—)0.01
पुनर्वि. (—)202.27			
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 202.27 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

(9) 4250-796-203-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 976—सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण— मूल 55.00 पुनर्वि. (-)55.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

₹ 55.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिय में बिलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(10) 4250-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8935—लाइवलीहुड कालेज— मूल 472.00 पुनर्वि. (-)332.20	139.80	139.79	(-)0.01
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.20 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिय में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।

(11) 4250-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 976—आई. टी. आई. कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)317.63	782.37	782.35	(-)0.02
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 317.63 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिय में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-20 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
		(₹ लाख में)	

4202-01-796-203-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086—महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण— मूल 712.00 पुनर्वि. 79.03	791.03	811.22	+20.19
--	--------	--------	--------

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 20.97 के कारण प्रावधान में ₹ 79.03 लाख का आवर्धन कम व्यय होने एवं विभागीय प्रक्रिय में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के बाद भी उपरोक्त मद में ₹ 20.19 लाख का अधिक व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शता है।

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(-)**मुख्य शीर्ष—****2049—ब्याज का भुगतान****2217—शहरी विकास****राजस्व:**

मूल	8,95,12,32			
पूरक	2,58,62,00	11,53,74,32	7,74,38,23	(-)3,79,36,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,79,36,09
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 25,862.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
			(₹ लाख में)

(1) 2049—60—701—7709—सबके लिए

आवास योजना—

मूल	13,156.00			
पुनर्वि.	(-)7,725.78	5,430.22	5,430.22	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,725.78 लाख की कमी स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—

7685—स्मार्ट सिटी—

मूल	35,600.00			
पुनर्वि.	(-)21,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 13,084.69 लाख एवं ₹ 8,715.31 लाख की कमी से कुल प्रावधान में ₹ 21,800.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—

7706—अमृत मिशन—

मूल	14,960.00			
पुनर्वि.	(-)5,432.32	9,527.68	9,527.68	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,432.32 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2217—80—191—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—

8996—राष्ट्रीय शहरी

आजीविका मिशन—

मूल	2,470.50			
पुनर्वि.	(-)1,375.79	1,094.71	1,094.71	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,375.79 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(5) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 3,500.00 पूरक 5,689.64 पुनर्वि. (-)3,871.76	5,317.88	5,317.88	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,871.76 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 688.50 पुनर्वि. (-)383.40	305.10	305.10	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 383.40 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 1,800.00 पूरक 4,913.78 पुनर्वि. (-)850.00	5,863.78	5,863.78	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 850.00 लाख की कमी स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 891.00 पुनर्वि. (-)496.21	394.79	394.79	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 496.21 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 10,800.00 पूरक 15,258.58 पुनर्वि. 4,006.08	30,064.66	30,064.65	(-)0.01

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 13,084.69 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9,078.61 लाख के कमी के कारण प्रावधान में ₹ 4,006.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

3275—अन्य दूरसंचार सेवायें

5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

मूल	1,20,11,26			
पूरक	सांकेतिक			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		1,20,11,26	47,81,99	(—)72,29,27
(31 मार्च 2022)				72,29,27

पूँजीगत:

मूल	65,00,00			
पूरक	50,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		1,15,00,00	1,00,00,00	(—)15,00,00
(31 मार्च 2022)				15,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 3275—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

7919—छत्तीसगढ़ पब्लिक

फायनेंस मेनेजमेंट—

मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	(—)844.00	1,156.00	1,156.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 844.00 लाख की कमी निधि का आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 और 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—

6382—सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस

की स्थापना—

मूल	200.00			
पुनर्वि.	(—)200.00	0.00	0.00	0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि आहरण की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6410—मुख्य मंत्री

ई-रिव्यू—

मूल	310.00			
पुनर्वि.	(—)310.00	0.00	0.00	0.00

₹ 310.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6482—मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष भवनों में वाई—फाई सुविधा की स्थापना— मूल 250.00 पुनर्वि. (—)250.00	0.00	0.00	0.00
₹ 250.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि का आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6818—स्वान परियोजना— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (—)2,300.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 273.00 लाख और समर्पण द्वारा ₹ 2,027.00 लाख की कमी कम निधि का आवश्यकता होने एवं निधि के आहरण हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के कारण ₹ 2,300.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6894—डिजिटल शासन की स्थापना— मूल 288.00 पुनर्वि. (—)43.20	244.80	244.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 43.20 लाख की कमी निधि आहरण का स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7276—स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना— मूल 2,722.00 पुनर्वि. (—)2,002.00	720.00	720.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,002.00 लाख की कमी वित्त मंत्रालय द्वारा निधि आहरण का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8726—छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना— मूल 1,150.00 पुनर्वि. (—)500.00	650.00	650.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी वित्त मंत्रालय द्वारा निधि आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8954—वाई—फाई सिटी की योजना— मूल 45.00 पुनर्वि. (—)45.00	0.00	0.00	0.00
₹ 45.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 71—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8955—राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना—			
मूल 1,100.00 पुनर्वि. (—)705.00	395.00	395.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 273.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,288.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 705.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत :

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
5275—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7892—भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु—			
मूल 1,500.00 पुनर्वि. (—)1,500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 1,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ हजार में)
---------------	------------------	----------------------------------

मुख्य शीर्ष—

4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत	6,99,06,00	1,58,66,93	(—)5,40,39,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			5,42,49,17

टीका एवं टिप्पणियाँ

पूंजीगत :

(i) ₹ 54,039.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 54,249.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिकय+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	---------------------------------

(1) 4700—02—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना

निर्माण कार्य (नाबार्ड)—

मूल	15,000.00	1,743.29	1,741.26
पुनर्वि.	(—)13,256.71		(—)2.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,256.71 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 4700—03—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना

निर्माण कार्य (नाबार्ड)—

मूल	4,000.00	1,277.61	1,269.24
पुनर्वि.	(—)2,722.39		(—)8.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,722.39 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, भूमि अधिग्रहण के मामलों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने एवं ठेके के प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 4700—04—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

5516—वृहद सिंचाई परियोजना

निर्माण कार्य (नाबार्ड)—

मूल	900.00	12.83	12.83
पुनर्वि.	(—)887.17		0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 887.17 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वारस्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(4) 4700—05—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)3,076.53 1,923.47 1,957.70 +34.23			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,076.53 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015—16 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4700—09—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 5,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4700—10—800—0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4700—10—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,083.39	416.61	416.61	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,083.39 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 4700—11—800—0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 4700—11—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,936.22	63.78	63.78	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,936.22 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वारस्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(10) 4700—12—800—0313—नाबाड़ पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4700—12—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)2,458.22	741.78	741.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,458.22 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण मुआवजे के प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4701—05—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)162.62	37.38	73.85	+36.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.62 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात ₹ 36.47 लाख का आधिक्य व्यय के निधि के आवश्यकता का अपूर्ण आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 एवं 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4701—06—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4701—08—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (-)318.49	1,981.51	1,983.99	+2.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 318.49 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4701—12—800—0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 75—समाप्त

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(16) 4702–101–0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (–)2,601.62	1,398.38	1,398.38	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,601.62 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 4702–101–0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (–)4,981.13	2,018.87	2,153.14	+134.27
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,981.13 लाख की कमी वृक्षारोपण से संबंधित प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2015–16 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(18) 4702–101–0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामाच्च)— 9469—नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (–)13,958.68	4,041.32	4,054.35	+13.03
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,958.68 लाख की कमी वृक्षारोपण से संबंधित प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ हजार में)	

मुख्य शीर्ष—

5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत:

मूल	9,40,15,03			
पूरक	2	9,40,15,05	8,06,81,32	(—)1,33,33,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,32,04,15
टीका एवं टिप्पणियां				

पूँजीगत :

(i) ₹ 13,333.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 13,204.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमज़ोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
			(₹ लाख में)

(1) 5054—03—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड
डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट,
फेज-II—

मूल	2,523.01			
पुनर्वि.	(—)2,009.30	513.71	438.21	(—)75.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,009.30 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 5054—03—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—

7922—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड

डेवलपमेन्ट सेक्टर

प्रोजेक्ट, फेज-III—

मूल	8,413.00			
पुनर्वि.	(—)1,736.91	6,676.09	6,662.94	(—)13.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,736.91 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2016—17 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 5054—03—337—1202—विदेशी सहायता प्राप्तपरियोजनाएं

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड

डेवलपमेन्ट सेक्टर

प्रोजेक्ट, फेज-II—

मूल	1,121.01			
पुनर्वि.	(—)673.26	447.75	447.75	0.00

अनुदान संख्या 76—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 673.26 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011–12 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
(4) 5054–03–337–1202—विदेशी सहायता प्राप्तपरियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7922—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III— मूल 13,000.00 पुनर्वि. (–)2,702.42 10,297.58 10,297.06 (–)0.52			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,702.42 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 5054–03–337–1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7922—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III— मूल 67,000.00 पुनर्वि. (–)4,558.16 62,441.84 59,872.35 (–)2,569.49
--

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,558.16 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 2,569.49 लाख का बचत, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में अपर्याप्त आंकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–) (₹ लाख में)
5054–03–337–1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7433—छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II— मूल 1,958.01 पुनर्वि. (–)1,524.08 433.93 2,963.02 +2,529.09			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,524.08 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 2,529.09 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता में अपर्याप्त आंकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	(₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
-----------------------------	------------------	--------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2071—पेंशन और अन्य सेवा निवृति लाभ

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	9,03,02,64			
पूरक	7,00,00	9,10,02,66	6,72,67,45	(-)2,37,35,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,82,55,21
(31 मार्च 2022)				

प्रभारित	3,20	00	(-)3,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10
(31 मार्च 2022)			

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	1,35,63,97			
पूरक	83,52,84	2,19,16,81	61,75,75	(-)1,57,41,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,57,32,20
(31 मार्च 2022)				

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 में ₹ 70.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 23,735.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 18,259.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। शेष राशि का समर्पण नहीं किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	

(1) 2071—01—800—5499—सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—

मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)357.77	142.23	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 357.77 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2008—09 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2071—01—800—8676—सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा

70.00	0.00	(-)70.00
-------	------	----------

₹ 70.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
(3) 2210—01—110—6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय—			
मूल	24,655.70		
पूरक	700.00		
पुनर्वि.	(—)5,639.69	19,716.01	19,681.89
			(—)34.12
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक प्रावधान द्वारा प्रावधान में ₹ 700.00 लाख का आवधन अनावश्यक सिद्ध हुआ। ₹ 5,639.69 लाख के समर्पण एवं ₹ 34.12 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2210—01—110—6389—सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय—			
मूल	3,343.40		
पुनर्वि.	(—)808.48	2,534.92	2,534.02
			(—)0.90
(5) 2210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6387—कैंसर संस्थान—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(—)361.88	1,138.12	1,137.61
			(—)0.51
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 808.48 लाख एवं ₹ 361.88 लाख के कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(6) 2210—02—101—3821—लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत	190.00	9.31	(—)180.69
(7) 2210—02—101—4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	460.70	290.19	(—)170.51
(8) 2210—02—101—461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	1,144.90	862.12	(—)282.78
(9) 2210—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4194—सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय एवं भंडार	527.80	264.38	(—)263.42
(10) 2210—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	2,146.80	1,697.12	(—)449.68
(11) 2210—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5683—जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठों की स्थापना	929.90	762.61	(—)167.29
(12) 2210—02—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7511—आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल	655.60	526.54	(—)129.06
(13) 2210—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	495.80	357.93	(—)137.87

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—)
	(₹ लाख में)		
(14) 2210—04—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय	11,867.30	9,263.19	(—)2,604.11
(15) 2210—04—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)	493.70	323.23	(—)170.47
(16) 2210—05—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय	2,761.90	2,245.45	(—)516.45
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (7), (9), (11), (13) एवं (15) तथा 2017—18 से 2020—21 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी। 2012—13 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (8) एवं 2007—08 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (14) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(17) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1355—चिकित्सा शिक्षा संचालनालय— मूल 348.80 पुनर्वि. (—)133.88	214.92	214.77	(—)0.15
(18) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6386—चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 31,179.20 पूरक 300.00 पुनर्वि. 8,858.44	22,320.76	22,288.08	(—)32.68
(19) 2210—05—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8897—सिक्ल सेल इंस्ट्रियूट की स्थापना— मूल 600.00 पुनर्वि. (—)320.00	280.00	280.00	0.00
(20) 2210—06—003—6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 772.00 पुनर्वि. (—)391.78	380.22	382.41	+2.19
(21) 2210—06—003—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 620.45 पुनर्वि. (—)286.45	334.00	333.37	(—)0.63
(22) 2210—06—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 2,370.50 पुनर्वि. (—)652.09	1,718.41	1,715.84	(—)2.57

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(23) 2210—06—112—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
7279—चिकित्सा महाविद्यालय—				
मूल 850.00 पुनर्वि. (-)435.00	415.00	415.00	415.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 133.88 लाख, ₹ 8,858.44 लाख, ₹ 320.00 लाख, ₹ 391.78 लाख, ₹ 286.45 लाख, ₹ 652.09 लाख एवं ₹ 435.00 लाख के कमी के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (18) में अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (17) एवं 2020—21 के दौरान क्रम संख्या (18) से (23) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

पूँजीगतः

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2021 (₹ 7,500.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 852.84 लाख) में प्राप्त किया गया कूल ₹ 8,352.84 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 15,741.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान ₹ 18,259.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 4210—01—110—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—				
6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय—				
मूल 802.27 पुनर्वि. (-)300.00	502.27	502.27	502.27	0.00
(2) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय—				
मूल 450.00 पूरक 3,800.00 पुनर्वि. (-)838.67	3,411.33	3,411.33	3,411.33	0.00
(3) 4210—01—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
6389—सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय—				
मूल 1,450.00 पुनर्वि. (-)190.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 300.00 लाख, ₹ 838.67 लाख एवं ₹ 190.00 लाख के कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(4) 4210—03—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)—				
6386—चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय—				
मूल 10,000.10 पुनर्वि. (-)10,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00

₹ 10,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(—) (₹ लाख में)
-------	---------------	------------------	----------------------------------

(5) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6386—चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी

महाविद्यालय—

मूल 800.00

पूरक 3,700.00

पुनर्वि. (-)4,379.62

120.48

121.62

+1.14

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अनुपूरक प्रावधान द्वारा प्रावधान में ₹ 3,700.00 लाख का आवधन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,379.62 लाख के कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 80—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 141.45 लाख एवं ₹ 168.77 लाख की कमी जिलों से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान उपरोक्तक्रम संख्या (1) एवं 2014–15 से 2020–21 दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)	आधिकय+ बचत(–)
-------	---------------	------------------	-------------	------------------

(3) 2235–60–198–4858—सुखद

सहारा योजना—

मूल	7,140.00			
पुनर्वि.	(-)423.14	6,716.86	6,716.86	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 423.14 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2235–60–198–9142—सामाजिक सुरक्षा

और कल्याण—

मूल	28,174.80			
पुनर्वि.	(-)865.91	27,308.89	27,308.89	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 865.91 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2235–60–198–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

5397—राष्ट्रीय परिवार

सहायता योजना—

मूल	972.00			
पुनर्वि.	(-)93.96	878.04	878.04	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 49.12 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 44.84 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी के कारण प्रावधान में ₹ 93.96 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019–20 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2515–101–8391—त्रिस्तरीय पुरस्कार—

मूल	500.00			
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00	0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजना के दिशा—निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2515–198–8209—पंचायत पदाधिकारियों को

मानदेय एवं सुविधाएं—

मूल	7,000.00			
पुनर्वि.	(-)387.16	6,612.84	6,612.84	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 387.16 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2515–198–1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)—

7687—मुख्यमंत्री पंचायत

सशक्तीकरण योजना—

मूल	120.40			
पुनर्वि.	(-)120.40	0.00	0.00	0.00

₹ 1,204.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2515—198—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान— मूल 1,140.00 पुनर्वि. (-)439.13	700.87	700.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 439.13 लाख की कमी भारत सरकार से अनुमोदन के अनुसार व्यय की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2515—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8555—छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)320.14	679.86	679.86	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 320.14 लाख की कमी शासन से अनुमोदन के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2853—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 13,936.85 पुनर्वि. (-)13,936.85	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,936.85 लाख की कमी सक्षम प्राधिकारी से निधि का आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 3604—197—0480—पंचायत, भू—राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि— 4610—स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध पंचायतों को अनुदान— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)500.01	6,499.99	6,499.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.01 लाख की कमी शासन के अनुमोदन के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235—60—198—7921—मुख्यमंत्री पेशन योजना— मूल 16,380.00 पुनर्वि. 1,289.05	17,669.05	19,841.09	+2,172.04

अनुदान संख्या 80—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,289.05 लाख का आवर्धन हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि के कारण उल्लिखित किया की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन के पश्चात् भी ₹ 2,172.04 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधियों की आवश्यकता के अपर्याप्त आंकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4515–198–1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)—

8555—छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं

अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र

विकास प्राधिकरण—

मूल	7,000.00
-----	----------

पुनर्वि.	(-)1,085.89
----------	-------------

5,914.11

5,804.95

(-)109.16

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,085.89 लाख की कमी शासन के अनुमोदन के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4515–198–1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)—

8986—मुख्य मंत्री समग्र ग्रामीण

विकास योजना—

मूल	6,000.00
-----	----------

पुनर्वि.	(-)5,738.14
----------	-------------

261.86

261.86

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,738.14 लाख की कमी शासन के अनुमोदन के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

कुल अनुदान	वास्तविक	
या	व्यय	
विनियोग	(₹ हजार में)	

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जलापूर्ति तथा सफाई

2217—शहरी विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन

4215—जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय

4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

6217—शहरी विकास के लिए कर्ज

राजस्व :

दत्तमत	18,21,37,20	17,41,68,25	(—)79,68,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			79,68,95
(31 मार्च 2022)			

प्रभारित—

मूल	38,33,91	
पूरक	64,11,46	1,02,45,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		1,02,45,37
		00
		00

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	5,19,06,68	
पूरक	1,50,00,00	6,69,06,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		6,68,96,68
(31 मार्च 2022)		(—)10,00
		10,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल	
	अनुदान	वास्तविक
		व्यय
		(₹ लाख में)

(1) 2217—05—191—7675—14वें वित्त आयोग की

अनुशंसा के अन्तर्गत

प्राप्त अनुदान—

मूल	4,881.83	
पुनर्वि.	(—)4,881.83	0.00
		0.00
		0.00

₹ 4,881.83 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।
2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2217—05—192—7675—14वें वित्त आयोग की

अनुशंसा के अन्तर्गत

प्राप्त अनुदान—

मूल	1,680.63	
पुनर्वि.	(—)1,680.63	0.00
		0.00
		0.00

अनुदान संख्या 81—जारी

₹ 1,680.63 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(–)
	(₹ लाख में)		

(3) 2217–05–193–7675–14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—

मूल	1,440.54	0.00	0.00
पुनर्वि.	(–)1,440.54		

₹ 1,440.54 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2235–60–191–4858—सुखद सहारा योजना—

मूल	1,470.00	1,416.59	1,416.59	0.00
पुनर्वि.	(–)53.41			

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 53.41 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2235–60–191–9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—

मूल	2,955.60	2,898.26	2,898.26	0.00
पुनर्वि.	(–)57.34			

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 13.40 लाख एवं ₹ 43.94 लाख की कमी पेंशन लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण प्रावधान में ₹ 57.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235–60–191–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—	मूल	320.00	283.00	283.00	0.00
	पुनर्वि.	(–)37.00			

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 35.59 लाख एवं ₹ 1.41 लाख की कमी आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण प्रावधान में ₹ 37.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2235–60–191–0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7589—नगरी बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रिक पद्धति से भुगतान हेतु अनुदान—	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि.	(–)100.00			

₹ 100.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान बायो-मीट्रिक प्रणाली का कार्यान्वयन होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016–17 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2235–60–192–1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—

5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—	मूल	200.00	170.00	170.00	0.00
	पुनर्वि.	(–)30.00			

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 30.00 लाख की कमी योजन अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017–18 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(9) 2235—60—193—4858—इंदिरा सहारा योजना— मूल 546.00 पुनर्वि. (—)39.77 506.23 506.23 0.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 39.77 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2235—60—193—9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 1,546.80 पुनर्वि. (—)37.74 1,509.06 1,509.06 0.00			
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 34.23 लाख एवं ₹ 3.51 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण प्रावधान में ₹ 37.74 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2235—60—193—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (—)59.40 140.60 140.40 0.00			
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 50.31 लाख एवं ₹ 9.09 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण प्रावधान में ₹ 59.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2853—02—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7611—गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण— मूल 50.00 पुनर्वि. (—)50.00 0.00 0.00 0.00			
₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से निधि आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2217—05—193—6429—15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 10,070.00 पुनर्वि. 350.00 10,420.00 10,420.00 0.00			
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 350.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।			
(2) 2235—60—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— मूल 648.00 पुनर्वि. 46.47 694.47 694.47 0.00			

अनुदान संख्या 81—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.47 लाख का आवर्धन योजना अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(3) 2235-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

विधवा पेंशन—

मूल	270.00			
पुनर्वि.	31.94	301.94	301.94	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.94 लाख का आवर्धन योजना अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2235-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

7921—मुख्यमंत्री पेंशन

योजना—

मूल	336.00			
पुनर्वि.	73.99	409.99	409.99	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.99 लाख का आवर्धन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

**अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2215—जलापूर्ति तथा सफाई
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236—पोषण
- 2403—पशु—पालन
- 2405—मछली—पालन
- 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2853—अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग
- 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	2,20,65,47	1,40,13,94	(—)80,51,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			81,64,98
(31 मार्च 2022)			

पूंजीगत	1,05,00,00	9,36,43	(—)95,63,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			95,63,57
(31 मार्च 2022)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 8,051.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 8,164.98 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह दोषपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2202—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

4691—कन्याओं को शिक्षण हेतु
प्रोत्साहन योजनाएं—

मूल	400.00	342.46	342.46
पुनर्वि.	(—)57.54		0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 57.54 लाख की कमी योग्य छात्रों की संख्या कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202—01—796—196—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए

अनुदान मूलभूत न्यूनतम
सेवाओं के लिए—

मूल	500.00	0.00	0.00
पुनर्वि.	(—)500.00		0.00

₹ 500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
(रुलाख में)			

(3) 2202—02—796—197—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 900.00 पुनर्वि. (—)607.69	292.31	321.91	+29.60
---	--------	--------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 607.69 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य ₹ 29.60 लाख वर्ष 2017—18 का आपत्ति उचंत पुस्तिका के लम्बित राशियों के निराकरण के कारण हुआ है। 2011—12 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2235—60—796—198—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5397—राष्ट्रीय परिवार

सहायता योजना—

मूल 440.00 पुनर्वि. (—)104.20	335.80	335.80	0.00
----------------------------------	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.20 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2236—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

8891—फुलवारी योजना—

मूल 200.00

पुनर्वि. (—)200.00

0.00

0.00

0.00

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2515—796—198—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जनजाति उप योजना)—

7687—मुख्यमंत्री पंचायत

सशक्तीकरण योजना—

मूल 120.40

पुनर्वि. (—)120.40

0.00

0.00

0.00

₹ 120.40 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2515—796—198—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज

अभियान—

मूल 1,500.00

पुनर्वि. (—)1,135.70

364.30

364.30

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,135.70 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2853—02—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

6299—ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज

से प्राप्त राजस्व का पंचायतों

को अंतरण—

मूल 5,194.55

पुनर्वि. (—)5,194.55

0.00

0.00

0.00

अनुदान संख्या 82—समाप्त

₹ 5,194.55 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से निधि आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014–15 से 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(–)
		(₹ लाख में)	

4515–796–198–1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा—

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)

8986—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण

विकास योजना—

मूल	10,000.00
-----	-----------

पुनर्वि.	(-)9,563.57
----------	-------------

436.43

436.43

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,563.57 लाख की कमी शासन से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020–21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)

आधिक्य+
बचत(—)

मुख्य शीर्ष—

2217—शहरी विकास

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

4217—शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

राजस्व	55,38,60	54,86,45	(—)52,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			52,15
पूँजीगत	78,10,68	78,10,68	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान से बचत निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+
	अनुदान	व्यय	बचत(—)
		(₹ लाख में)	

2235—60—796—191—1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—

5397—राष्ट्रीय परिवार

कल्याण योजना—

मूल	60.00		
पुनर्वि.	(—)22.20	37.80	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 22.20 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2020—21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

2021–22 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित नहीं किया गया।

(₹ हजार में)

संख्या और अनुदान का नाम	लेखे का मुख्य शीर्ष	अग्रिम से खर्च	अग्रिम की मंजूरी की तारीख	अग्रिम की प्रतिपूर्ति की तारीख
निरंक				
कुल	निरंक			

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम अनुमान	बजट आंकड़े	वास्तविक	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/ कमी(-) (₹ हजार में)
06. वित्त विभाग से संबंधित व्यय			
राजस्व—			
दत्तमत	00	2,27,94	+2,27,94
08. भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन			
राजस्व—			
दत्तमत	16,00,00	00	(-)16,00,00
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,29,50,00	00	(-)2,29,50,00
10. वन			
राजस्व—			
दत्तमत	5,04,00,00	7,02,94,85	+1,98,94,85
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय			
राजस्व—			
दत्तमत	14,50,00	9,42,50	(-)5,07,50
पूंजीगत—			
दत्तमत	90,03,10	1,15,82,50	(-)25,79,40
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
राजस्व—			
दत्तमत	00	7,57	+7,57
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
राजस्व—			
दत्तमत	20,00,10	1,39,78	(-)18,60,32
पूंजीगत—			
दत्तमत	00	40,62	+40,62
23. जल संसाधन विभाग			
राजस्व—			
दत्तमत	2,43,80,03	30,17	(-)2,43,49,86
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,00	52	(-)1,48
24. लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल			
पूंजीगत—			
दत्तमत	3,20,00,00	1,41,66,10	(-)1,78,33,90

परिशिष्ट-II-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+) / कमी(-) (₹ हजार में)
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय राजस्व—			
दत्तमत	1,74,00	59,45	(-)1,14,55
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,00,03,03	26,03,16	(-)73,99,87
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राजस्व—			
दत्तमत	11,02,00	7,99,39	(-)3,02,61
पूंजीगत—			
दत्तमत	68,49,50	87,58,58	+19,09,08
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल			
पूंजीगत—			
दत्तमत	00	12,68	+12,68
46. विज्ञान और टेक्नालॉजी			
पूंजीगत—			
दत्तमत	00	1,00,00	+1,00,00
56. ग्रामोद्योग			
पूंजीगत—			
दत्तमत	15	00	(-)15
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	6,72,08,00	3,60,53,89	(-)3,11,54,11
पूंजीगत—			
दत्तमत	20,00	00	(-)20,00
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
राजस्व—			
दत्तमत	3,48,00	11,18,26	+7,70,26
पूंजीगत—			
दत्तमत	21,63,00	27,73,92	+6,10,92

परिशिष्ट-II—समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+) / कमी(-) (₹ हजार में)
------------------------------------	------------	-----------------	--

66. पिछड़ा वर्ग कल्याण

राजस्व—

दत्तमत	00	3,23,27	+3,23,27
--------	----	---------	----------

67. लोक निर्माण कार्य—भवन

राजस्व—

दत्तमत	2,58,48,98	1,18,09,14	(-)1,40,39,84
--------	------------	------------	---------------

पूंजीगत—

दत्तमत	84,89,27	00	(-)84,89,27
--------	----------	----	-------------

80 त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं

को वित्तीय सहायता

राजस्व—

दत्तमत	70,00,00	64,99,99	(-)5,00,01
--------	----------	----------	------------

योग—

राजस्व—

दत्तमत	18,15,11,11	12,84,69,64	(-)5,30,41,47
प्रभारित	00	00	00

पूंजीगत—

दत्तमत	9,14,80,05	4,00,38,08	(-)5,14,41,97
प्रभारित	00	00	00

महायोग—

राजस्व	18,15,11,11	12,84,69,64	(-)5,30,41,47
पूंजीगत	9,14,80,05	4,00,38,08	(-)5,14,41,97

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2022

www.cag.gov.in

agaechhattisgarh@cag.gov.in